राजस्थान विधान सभा

१७ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक १६ दिसम्बर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्होत्तर ४–०६ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २०३

किशनगढ़ सब डिवीजन की पाठशालाओं में नियुक्त नए अध्यापक एवं क्लर्क्स

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) किशनगढ़ सब डिवीजन के स्कूलों में इस वर्ष ऐसे कितने नये अध्यापकगण व क्लर्कों की नियुक्ति की गई जो इस सब डिवीजन के रहने वाले नहीं है ?

(ख) उक्त अध्यापकों व क्लर्कों के नाम व योग्यताएं क्या २ हैं वह उनकी नियुक्ति का आदेश किस अधिकारी द्वारा किस आधार पर दिया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) केवल एक क्लर्क एवं एक अध्यापक की जो जयपुर जिले के ही रहने वाले हैं।

(ख) अध्यापक का नाम श्री हरिशंकर शर्मा, बी. ए. एवं क्लर्क का नाम श्री श्याम बिहारी इन्टर है।

शिक्षाधिकारी द्वारा ग्रेजुएट अध्यापकों एवं क्लर्कों की नियुक्ति समस्त राजस्थान के आधार पर की जाती है और नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह नियुक्ति करनी हो वहां उस जिले के रहने वाले ही रक्खे जावें।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिवीजन के बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसमें बताया गया है कि बाहर के कोई भी नहीं है। जो लिये गये हैं वे उसी डिवीजन के हैं और जयपुर जिले में से वे नियुक्तियां की हैं।

Page No.2

श्री चांदमल मेहता—क्या जिन व्यक्तियों को यहां लिया गया है वे किशनगढ़ सब डिवीजन के हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जयपुर जिले के हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निकाले गये सक्युलर के मुताबिक उसी डिवीजन के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—डिवीजन का कोई सक्युलर नहीं है, जिले का हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सक्युलर के मुताबिक डिवीजन वाले को ही नहीं बल्कि उस तहसील के रहने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ?

श्रीमती कुमलाकुमारी वेनीवाल—ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सक्युलर के माफिक इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, सब डिविजन किशनगढ़ ने सब डिविजन किशनगढ़ के ही व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये सिफारिश की थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल—हो सकता है वह सिफारिश करे और अगर सुविधा पड़े तो अपोइन्ट भी कर सकते हैं, पर ऐसा कोई डेफिनिट सक्युलर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, किशनगढ़ ने किशनगढ़ सब डिवीजन के व्यक्तियों को नियुक्ति के लिये सिफारिश की थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हो सकता है, लेकिन जिस जगह जरूरत पर ये दो लगाये गये उस योग्यता में ये लोग नहीं आते होंगे।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों की सिफारिश इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने की क्या वे उस योग्यता के नहीं थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास स्पेसिफिक डिटेल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने इस नियुक्ति में अनधिकार चेष्टा की है ?

(घंटी)

Page No.3

प्रश्न संख्या २०४

श्री अध्यक्ष—Any other supplementry.

श्री जयसिंह

(अनुपस्थित—इसको आगे लिया गया है ।)

श्री ऋद्धिचन्द पालीवाल

(अनुपस्थित—इसको आगे लिया गया है)

प्रश्न संख्या २०६

राजस्थान की माध्यमिक पाठशालाओं में अनिवार्य ए. सी. सी. कोर्स

(श्री हिम्मतसिंह अटरू की अनुपस्थिति में)

श्री जवानसिंह—Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) Is it a fact that the Government has introduced A. C. C. training in every Middle School in Rajasthan as a compulsory course during the school hours ?

(b) What uniform has the Government prescribed for the cadets and who is going to bear its cost ?

(c) What would be a uniform cost and where will it be made ?

(d) Is this uniform compulsory for the cadets ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(a) No.

(b) The uniform prescribed is :—

(i) Shirt half sleeves. (Khaki colour)

(ii) Short Khaki Drill.

(iii) Shoes Canvas Brown.

For girls :—

(1) Salwar White,

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

(2) Shirt White.

And the cadets themselves bear the cost of the uniform.

(c) It costs Rs. 9/- and it can be had from messrs Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd.

(d) Yes.

श्री जवानसिंह—Has the Government arranged for such uniform at local places where they are required ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—Pardon ?

श्री जवानसिंह—Has the Government arranged for the uniforms at local places where they are required ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—Yes, they can be had from the Delhi Cloth Mills.

श्री जवानसिंह—My question is with regard to local places where they are required.

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—लोकल प्लेसेज़ तो नहीं हैं जी, वे तो प्राइवेटली एंगेज करते हैं।

श्री जवानसिंह—वह कोस्ट देहली की है या राजस्थान में आने के बाद लोकल प्लेसेज़ की है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—लोकल प्लेसेज़ की रेट्स हैं। वह तो गवर्नमेंट नहीं करती वहीं से प्रेस्काइब्ड होती हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २०७

सन् १९५४-५५ में किशनगढ़ के सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धन-राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

[श्री चांदमल मेहता]

(क) ५४-५५ के वित्तीय वर्ष में किशनगढ़ की सरकारी इमारतों के मेन्टीनेन्स के लिए कितने रुपये बजट में स्वीकृत किये गये हैं ?

(ख) उक्त रकम में से कितना रुपया खर्च किया गया और कितनी रकम लेप्स हो गई है ?

(ग) जो रकम लेप्स हुई वह किस किस इमारत की कितनी कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) १८,५८६ रुपये स्वीकृत किये गये।

(ख) १८,६६३ रु० खर्च हुए, लेप्स कुछ भी नहीं हुआ।

(ग) लेप्स कुछ भी नहीं हुआ, इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन इमारतों के लिये रुपया स्वीकृत था उन पर नहीं लगा और दूसरी इमारतों पर लगाया और फिर उसी तादाद की रकम बना दी जितनी स्वीकृत हुई थी ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जो रुपया साधारण मरम्मत से बच गया वह विशेष मरम्मत पर खर्च कर दिया गया। साधारण मरम्मत पर ११०२८ रुपया खर्च किया गया और विशेष मरम्मत पर ७६३५ रु० खर्च किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि साधारण मरम्मत के लिये जितना मंजूर हुआ वह उस पर खर्च नहीं किया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—साधारण मरम्मत का बचा वह विशेष मरम्मत पर खर्च कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मोकम विलास के लिये जो रुपया स्वीकृत था वह उस पर खर्च नहीं किया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—यह नई जानकारी है, जानकारी हासिल करके अर्ज कर सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय इस बात की भी जानकारी हासिल करेंगे कि एक नहीं बीस-पच्चीस कामों की रकम लेप्स हो गई है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि लेप्स बिल्कुल नहीं हुई है, जो रकम साधारण मरम्मत से बची उसको विशेष मरम्मत पर खर्च कर दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसी कितनी इमारतें हैं जिनकी साधारण मरम्मत के लिए रकम स्वीकृत हुई और वह रकम उन पर नहीं लगाई गई ?

श्री दामोदर लाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन यह मैं अर्ज कर चुका हूं कि साधारण मरम्मत से बच गई वह रकम विशेष मरम्मत पर खर्च कर दी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस काम के लिये यानि विशेष मरम्मत के लये जो रुपया स्वीकृत हुआ वह उस पर नहीं लगाया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—ऐसा हो सकता है, जरूरत नहीं हुई तो नहीं लगाया।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या जो रुपया स्वीकृत हुआ वह बिना जरूरत के स्वीकृत हुआ ?

श्री दामोदर लाल व्यास—स्वीकृत तो जरूरत से ही हुआ, लेकिन बजट में मंजूर हो जाने के बाद यह महसूस किया गया हो कि इसकी जरूरत नहीं है और इससे विशेष मरम्मत है वह जरूरी है, इसलिए पहले इस पर खर्च न किया जाकर अमुक काम पर खर्च किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वे इमारतें जो पब्लिक के मनोरंजन के लिए काम में आती हैं उन पर उक्त रुपया खर्च नहीं किया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, आप जानकारी देंगे तो उन पर खर्च कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या २०८

डेगाना (सब जिला मेड़ता) की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री भोपालसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिक्षा विभाग ने डेगाना, सब ज़िला मेड़ता की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की आज्ञा डेगाना हैडमास्टर के पास भेजी थी ?

(ख) क्या इस आज्ञा में १०,००० रु० (दस हजार रुपये) डेगाना स्टेशन से चंदा इकट्ठा कर सरकार को देने का भी लिखा हुआ था ?

[श्री भोपालसिंह]

(ग) क्या डेगाना गांव ने दस हजार का चंदा सरकार को देना मंजूर कर चन्दा इकट्ठा कर लिया था ?

(घ) क्या शिक्षा विभाग ने चंदा इकट्ठा कर लेने के बाद भी हाई स्कूल डेगाना में न खोलकर कहीं अन्य स्थान पर खोल दिया है ?

(ङ) क्या सरकार अगले साल डेगाना तहसील हेडक्वार्टर में हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) जी नहीं, पूरा रुपया इकट्ठा नहीं किया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) इस प्रश्न पर अन्य स्थानों के साथ साथ नियमानुकूल विचार किया गया है ।

श्री भोपालसिंह—क्या मंत्राणी महोदया को जानकारी है कि १०,००० रुपया इकट्ठा कर लिया गया है और यहां पर कई दफा निवेदन करने के उपरान्त भी हाई स्कूल नहीं खोला गया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मैंने आपको जवाब दिया कि पूरा रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, यही सही जानकारी है ।

श्री भोपालसिंह—पूरा नहीं तो कितना इकट्ठा किया गया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जिस समय स्कूल खुल गई थी ५,००० रुपया इकट्ठा हुआ ।

श्री जवानसिंह—यह जानकारी कब दी गई कि पूरा रुपया इकट्ठा हो गया है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—इसकी तारीख मेरे पास नहीं है, पर स्कूलें खुलने के वक्त जानकारी आई थी और वह तहसीलदार से तस्दीक शुदा थी, जिसमें ५,०००) रुपया इकट्ठा किये जाने की इत्तला थी ।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के पास डेगाना के आदमी गये और उन्होंने कहा कि हमने रुपया इकट्ठा कर लिया है और हाई स्कूल खोल दी जावे ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मैंने जो जानकारी दी है वह बिल्कुल सही है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २०६

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स किशनगढ़ के आधीन खोली जाने वाली प्राथमिक पाठशालायें

श्री चांदमल मेहता (८७)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, किशनगढ़ के मातहत चालू वर्ष में कितनी प्राथमिक पाठशालायें खोलने की योजनायें हैं ?

(ख) उक्त स्कूलें किन किन तहसीलों में कितनी कितनी खोली जावेंगी ?

(ग) उक्त स्कूलों के लिये किस किस तहसील के कितने कितने उम्मीदवार अध्यापक के लिये सिलेक्ट किये गये हैं ?

(घ) स्कूलें खोलने के लिये क्या आधार कायम किये गये ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) ४६ स्कूलें तारीख २-१०-५५ को खोलने की स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) उक्त स्कूलें निम्नांकित तहसीलों में खोलने की स्वीकृति दी गई है ?

तहसील बैराट में १२
तहसील किशनगढ़ में ४
तहसील अराई में २
तहसील सरवाड़ में २
तहसील रूपनगढ़ में २
तहसील फागी में ४
तहसील दूदू में २

Page No.9

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

तहसील फुलेरा में ६
तहसील कोटपुतली में ५
तहसील जमुवारामगढ़ में ५

——
४७

(ग) उक्त स्कूलों के लिये निम्नलिखित तहसीलों से निम्नलिखित उम्मिदवार अध्यापक चुने गये :—

क्रम संख्या	तहसील	संख्या उम्मीदवार
१.	किशनगढ़	८
२.	रूपनगढ़	५
३.	अराई	४
४.	सरवाड़	४
५.	जमुवारामगढ़	[illegible]
६.	बैराठ	२४
७.	कोटपुतली	१२
८.	पागी	५
९.	दूदू	६
१०.	फुलेरा	२२
		९९

(घ) स्कूल निम्नलिखित आधारों पर खोले जाते हैं :

१. भवन की सुविधा ।

२. ग्राम की आबादी ५०० से कम न हो ।

३. अथवा तीन मील के अन्दर कई ग्राम मिलने से आबादी ५०० हो जावे ।

४. बिखरी हुई आबादी व पिछड़े हुए ग्रामों में, जैसा कि जैसलमेर जिले में स्कूल खोलने के लिये उपरोक्त आधारों में छूट दी जाय ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन में जो स्कूलें खोलने की तजवीज थी उनकी संख्या कम कर दी गई ?

Page No.10

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि स्कूलें खोलने का जो क्राइटेरिया बनाया है उसके अन्तर्गत किशनगढ़ में जितनी स्कूलें खोलने की बात कही गई है उससे ज्यादा खोलने की तज़वीज थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हो सकता है कि ऐसी बात हुई हो ।

श्री चांदमल मेहता—क्या किशनगढ़ सब डिविजन में स्कूलों की संख्या कम हुई है या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल - मैंने आपको इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बैराट में जितनी स्कूलों की कमी की जानी चाहिये थी उसका सारा असर किशनगढ़ सब डिविजन में ही हुआ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी बात नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २१०.

बड़े शहरों में स्कूलों हेतु जनता से चन्दा एकत्रित करना

श्री भोपालसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बड़े शहरों में भी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाते समय या कोई नया स्कूल खोलते समय या स्कूल का भवन बनाते समय जनता से चन्दा इक्ट्ठा किया जाता है या बिना चन्दा सरकार ही भवन निर्माण करती है ?

(ख) क्या ऐसी कोई लिस्ट सरकार पेश करेगी कि अमुक २ पुरानी राजधानियों में नये स्कूल बनाते समय जनता से चन्दा लिया गया हो ?

(ग) क्या ग्रामों में विद्यालयों को बनाते वक्त चन्दे की मांग की जाती है या नहीं ?

(घ) क्या चन्दा इक्टा करना अनिवार्य है ?

(ड) यदि नहीं, तो क्या ग्रामीणों को विद्या देने के लिये सरकार चन्दा न लेने का प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) इस वर्ष केवल मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में परिवर्तन करने के लिये भवन निर्माण एवं एक वर्ष के खर्चे के लिये जनता द्वारा रुपया लिया गया था। इसमें गांव व बड़े शहरों में कोई भेद भाव नहीं बरता गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि गत वर्षों में यह नीति नहीं अपनाई गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोपालसिंह—हर गांव से चन्दा आधा लिया जावे, तो यह प्रश्न पैदा क्यों नहीं होता ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—गांववाले अगर चाहें तो लाखों रुपये चन्दे के रूप में इकट्ठे कर सकते हैं।

श्री भोपालसिंह—अभी जो कहा गया कि १० हजार रुपया इकट्ठा नहीं किया इसलिये वहां पर स्कूल नहीं खोला गया।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने कहा कि केवल उस वर्ष में किया गया और अगर किसी शहर में चन्दा नहीं देने पर खोली गई हो तो आप बता दें।

श्री भोपालसिंह—क्या आयन्दा साल में उसको काम में नहीं लाया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २११.

भूतपूर्व किशनगढ़ राज्य की माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों को सहायक अध्यापक बनाने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व किशनगढ़ स्टेट के माध्यमिक पाठशालाओं के किन २ प्रधानाध्यापकों को राजस्थान के निर्माण के बाद रिवर्ट करके सहायक अध्यापक बनाया गया है ?

Page No.12

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त अध्यापकों ने कितने समय के लिये प्रधानाध्यापक का कार्य किया व उस कार्यकाल में उनका परीक्षाफल कैसा रहा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) निम्नलिखित दो प्रधानाध्यापकों को सहायक अध्यापक बनाया गया।

(१) श्री हरिप्रसाद शर्मा :

(२) श्री सुगनलाल जोशी।

(ख) पर्युक्त अध्यापकों में से श्री हरिप्रसाद शर्मा ने ५.७.४३ से १४-७-४६ तक और श्री सुगनलाल जोशी ने १५.४.४६ से १४.७.४६ तक माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक का कार्य किया।

(ग) उक्त कार्यालय में उपयुक्त दोनों अध्यापकों का परीक्षाफल संतोषजनक रहा।

श्री चांदमल मेहता—जब इन उपरोक्त अध्यापकों का परीक्षाफल संतोषजनक रहा तो फिर इनको सहायक अध्यापक क्यों बनाया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—क्योंकि ये दोनों अध्यापक इन्टर नहीं थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या प्रधानाध्यापक होने के लिये उनका संतोषजनक परीक्षाफल रहा है, वह उनकी योग्यता नहीं है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—प्रधानाध्यापक इन्टर अवश्य होना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो उनका परीक्षाफल संतोषजनक रहा है उनकी योग्यता इन्टर के समकक्ष नहीं मानी जा सकती ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—"मानी जाने" का प्रश्न नहीं है; मानी नहीं गई।

श्री चांदमल मेहता—क्यों नहीं माने गये ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—वे इन्टर नहीं थे।

श्री किशनलाल शाह—क्या माध्यमिक पाठशालाओं के लिये हैडमास्टर का इन्टर होना जरूरी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हां।

श्री किशनलाल शाह—क्या सभी माध्यमिक पाठशालाओं में इन्टर हैडमास्टर हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई जगह हो सकती हैं कि कहीं अभी तक इन्टर ट्रेन्ड नहीं पहुँचे हों।

श्री किशनलाल शाह—जब इन्टर प्रधानाध्यापक आवश्यक हैं तो उनकी जगह दूसरे क्यों नहीं भेजे गये, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आवश्यकता के अनुसार इन्टर मिलते नहीं हैं......

श्री किशनलाल शाह—क्या राजस्थान में इन्टर पढ़े-लिखे लोगों की कमी है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इन्टर ट्रेन्ड की कमी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पिछले साल ६ महीने पहले वगैर इन्टर ही हैड मास्टर्स आज्ञा दे कर भेजे गये ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि कुछ स्कूलों में इस प्रकार की आज्ञा देकर भेजने में सरकार को कोई एतराज नहीं था तो फिर इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर यह प्रतिबन्ध क्यों लाजमी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने बताया कि जहां पर इन्टर ट्रेन्ड नहीं हैं, वहां पर काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१२.

सेपऊ (तहसील धौलपुर) के बाजार में पक्की सड़कें बनाने सम्बन्धी जनता की मांग

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेपऊ तहसील धौलपुर के बाजार में तो सरकार पक्की सड़के बनाने का विचार करती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां को जनता की ऐसी मांग है ? यदि उत्तर हां में है, तो जनता की मांग पूरी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(क) जी नहीं। हां, यह स्थानीय नगरपालिका से सम्बन्धित प्रश्न है।

(ख) विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१३

शिक्षा विभाग की स्वीकृति से उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापकों की योग्यता के स्थानों पर नियुक्ति

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिन अध्यापकों ने शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर उच्च योग्यता प्राप्त करली है उन्हें इस योग्यता के स्थान पर नियुक्त न कर नये व्यक्ति क्यों नियुक्त कर लिये जाते हैं ?

(ख) अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट्स अभी तक क्यों नहीं प्रकाशित की जा रही हैं ?

(ग) भविष्य में कब तक प्रकाशित हो सकेंगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) अध्यापकों को उच्च योग्यता प्राप्त करने पर ऊंचे ग्रेडों में योग्यतानुसार नियुक्त कर लिया जाता है। जिन विषयों में स्थायी अध्यापक विभाग में उपलब्ध नहीं होते उन्हीं में नई नियुक्तियां की जाती हैं।

(ख) फिक्सेशन का मामला पूर्ण रूप से तय न होने के कारण।

(ग) फिक्सेशन के मामले तय होने पर शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जावेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब तक तय नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१४

ग्राम पी (त. परबतसर) में डोली कि भूमियों पर उक्त ग्राम के ठाकुर द्वारा किये गये कब्जे

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) ग्राम पी, तहसील परबतसर, में ऐसी कितनी डोलों की जमीनें हैं जिनपर उक्त ग्राम के कब्जा कर लिया है ?

Page No.15

[चांदमल मेहता]

(ख) उक्त कब्जा कब कब किया गया ?

(ग) ठाकुर के खिलाफ इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) (क) ग्राम पी, तहसील परबतसर में डोली के २६ खसरा नम्बरों पर जागीरदार का कब्जा है।

(ख) कब्जा कब किया गया इसके बारे में निश्चय, पूर्वक नहीं कहा जा सकता लेकिन राजस्व विभाग के रेकॉर्ड के मुताबिक चार साल से उक्त जमीन पर उक्त जागीरदार का कब्जा है।

(ग) ठाकुर के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २१५.

प्रश्न संख्या २१५

धौलपुर –बाड़ी सड़क पर निबी नाला की घाटी की चढ़ई नीची करना

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या धौलपुर–बाडी सड़क पर निबी तालाब की घाटी की चढ़ाई बहुत ऊंची है ?

(ख) क्या इस घाटी को नीची करने के लिये टेन्डर भी हो चुके हैं ?

(ग) यदी हां, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देकर घाटी नीची कराने की आज्ञा शीघ्र ही प्रदान करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) हां।

(ख) हां।

(ग) हां, अर्थाभाव के कारण

(घ) यह विचाराधीन है।

श्री हंसराज जटिया—यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस पर जल्दी ही विचार हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २१६.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि···

(घण्टी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१६

गंगापुर व कोटला के समीप चन्द्रभागा नदी तक पक्की सड़क का निर्माण

श्री शंभुसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) भीलवाड़ा से पूर्व गंगापुर और कोटला के पास चन्द्रभागा नदी तक पक्की सड़क कितने मील लम्बी बनने वाली है ?

(ख) उपरोक्त सड़क के कितने मील से कितने मील तक के किस किस हिस्से का काम कब शुरू हुआ तथा अब किस स्थिति में है ? ठेकेदार कौन कौन व कहां कहां के हैं ?

(ग) उपरोक्त ठेकेदारों से कितनी अवधि में काम समाप्त करने का एग्रीमेंट था ? अवधि कब समाप्त हुई व उसमें कितना काम हुआ और जो अब तक बाकी है वह कब तक समाप्त हो जावेगा ?

(घ) सरकार द्वारा अवधि के अन्दर काम नहीं समाप्त करने पर क्या एक्शन लिया गया ?

(ङ) क्या कोटला के पास चन्द्रभागा नदी पर पुल भी बनाया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से राजस्व मंत्री)—

(क) ३३ मील ६ फर्लांग।

(ख) विवरण सदन की मेज पर रखा गया है।

(ग) जो कार्य चालू हैं वे इस वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाने की संभावना है। सिवाय मील २७ से ३२ के कार्य के प्रायः सभी कार्य समाप्त हो चुके हैं। लगभग १८ मील सड़क नई कूट कर बन गई है और बाकी करीब १२ मील द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बनाये जाने का विचार है।

(घ) कार्य को शीघ्र कराने के लिये ठेकेदारों को समय समय पर नोटिस दिये। अवधि पर कार्य समाप्त नहीं किये जाने पर पूर्ण चुकारे (फाइनल पेमेन्ट) के समय एग्रीमेंट के अनुसार जुर्माना किया जायगा।

Page No.17

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ङ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस नदी पर पुल बनाने का विचार किया जायगा ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावत श्री शंभुसिंह—एग्रीमेन्ट के मुताबिक काम समाप्त नहीं करने के कारण अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—फाइनल बिल नहीं आया है । जब फाइनल बिल आजायगा तो १० परसेन्ट कम कर दिया जायगा ।

रावत श्री शंभुसिंह—फाइनल बिल कब आयगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब काम समाप्त हो जायगा ।

रावत श्री शंभुसिंह—काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने आपको अभी बता दिया था । कुछ ठेकेदार ऐसे थे कि जिनका ठेका मन्सूख किया गया था और दूसरों को दिया गया था । काम इसी साल समाप्त हो जायगा ।

रावत श्री शंभुसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुल बनाया जायगा, तो तब तक के लिए नदी पर नावों की व्यवस्था होगी क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अब तक क्या होता था ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जयसिंह ठेकेदार बताया, तो क्या वे विधान सभा के हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ११७

माइनिंग इंजीनियर जयपुर के कार्यालय में सी. ए. फार्म्स का अभाव

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) माइनिंग इन्जीनियर जयपुर के ऑफिस में सी. ए. फार्म्स कितने समय से नहीं हैं ?

(ख) उक्त फार्म्स नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(क) १५-१०-५५ से नहीं थे, अब पहुंच गये हैं।

(ख) संचालक, खनिज विभाग के कार्यालय से समय पर नहीं पहुंचता था।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—श्री शंभूसिंह।

प्रश्न संख्या २१८

राजस्थान में घोषित एवं रक्षित प्राचीन स्मारकों का खनन एवं खोज तथा उनसे प्राप्त वस्तुएं

रावत श्री शंभूसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा घोषित व रक्षित प्राचीन स्मारक कौन कौन से व कहां कहां हैं ?

(ख) सन् १९५५ में पुरातत्व विषयक खनन और खोजें कहां कहां की गईं और वहां किस किस काल की क्या क्या वस्तुयें उपलब्ध हुई तथा वे कहां कहां रखी गई हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (शिक्षा उपमंत्राणी)—(क) इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सन् १९५५ में पुरातत्व विषयक खनन कार्य उदयपुर स्थित आहाड़ नामक ग्राम में हुआ जो कि रेलवे स्टेशन उदयपुर से लगभग २ फर्लांग की दूरी पर है। प्राप्त वस्तुओं में मिट्टी के पात्रों के टुकड़े, मिट्टी के खिलौने व सिक्के आदि हैं। कुशाण काल से लेकर ई० पूर्व ५वीं शताब्दी तक की ये वस्तुयें मानी गई हैं। ये वस्तुयें अभी अध्ययन हेतु उदयपुर में ही रखी हुई हैं। आहाड़ का खनन कार्य अभी जारी रहेगा। कार्य सम्पूर्ण होने पर तथा इस कार्य की एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात् ये वस्तुयें उदयपुर म्युज़ियम व अन्य राजस्थान स्थित म्युजियमों में प्रदर्शनार्थ रख दी जावेंगी।

(उत्तर विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रावत श्री शंभूसिंह—ये वस्तुयें जो उपलब्ध हुई हैं ये अब तक म्युज़ियम में क्यों नहीं रक्खी गई हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—शायद आपने सुना नहीं, म्युज़ियम में रखी हुई हैं।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि इस खुदाई में सोने के सिक्के और बहुत बड़ी मात्रा में माल मिला है ?

Page No.19

श्री श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जितना मिला है वह सब म्युजियम में रखा है। आप जाकर जानकारी करिये।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह

प्रश्न संख्या २१६.

राजस्थान में बालिकाओं के लिये डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एवं उनके लिये होस्टल सुविधाएं

श्री जवानसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) How many Degree and Post-Graduate College for women are there in Rajasthan ?

(b) What Hostel facilities are attached with these colleges ?

(c) Is the Government contemplating to start a few more Degree and Post-Graduate Colleges for women in Rajasthan with hostel facilities ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (शिक्षा उपमंत्रिणी)—(क) २।

(ख) इनके साथ छात्रावास की व्यवस्था है।

(ग) जी हां।

श्री जवानसिंह—ये दो कहां कहां हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—एक महारानी कॉलेज जयपुर और दूसरा वनस्थली में।

श्री जवानसिंह—महारानी कॉलेज में दूसरी जगह छात्रावास है या कॉलेज है उसी में है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—कॉलेज के एक हिस्से में किया हुआ है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या वनस्थली कॉलेज सरकार की है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सरकार की नहीं है। उन्होंने पूछा था कि राजस्थान में कितने स्त्री ग्रेजुएट कालेजेज़ हैं इसलिए बताया था।

श्री जवानसिंह—महारानी कॉलेज में जो छात्रावास है वहां कितनी नर्सेस की व्यवस्था है?

Page No.20

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस वक्त ४० लड़कियां हैं।

श्री जवानसिंह—कमरे कितने हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—कमरे उसी हिसाब से हैं।

श्री जवानसिंह—कितने हैं? हिसाब से मतलब यह कि एक कमरे में दस हैं या एक कमरे में एक?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—एक कमरे में एक भी नहीं और दस भी नहीं।

श्री जवानसिंह—हर एक कमरे में कितनी २ हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ये अंक मेरे पास नहीं हैं।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि कुल कमरे पांच हैं और लड़कियों की संख्या ४० है?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—कुछ .....

श्री अध्यक्ष—What is desired? No useful purpose will be served. Ask whether Government conemplates building new house?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—कुछ कमरे बड़े हैं।

श्री जवानसिंह—Why the Government is feeling shy in expiaining the condition prevailing at present?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—No. The Government is not feeling shy. She is telling the fact.

(हंसी)

श्री जवानसिंह—That is not the fact.

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—What I have told is the fact?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The fact seems to be unfortunately unknown.

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या गवर्नमेंट भी स्त्रीलिंग हो गई है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—The country is called 'she' and because the Government represents the country, so it may be called 'she'

(हंसी एवं घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री तेजमल बापना ।

(अनुपस्थित)

श्री सुगनचन्द

प्रश्न संख्या २२०

आसामी खेराबाद द्वारा भीलवाड़े में बीड़ की ४०० बीघा जमीन पर छठा बांटा दिलाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

(श्री तेजमल बापना की अनुपस्थिति में पूछा गया)

श्री सुगनचंद—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या आसामी खेराबाद ने तहसील भीलवाड़ा में इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि बीड़ की करीब ४०० बीघा ठिकाने की जिस जमीन को उन्होंने सिजारे काश्त की है उसका छठा बांटा दिलाये जाने की व्यवस्था की जाय ?

(ख) यह प्रार्थना-पत्र कब पेश किया और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि प्रार्थना-पत्र पेश करने के बाद जागीरदार ने किसानों से छठे के बजाय जबरन आधा बांटा वसूल कर लिया है ?

(घ) क्या सरकार जबरन ज्यादा वसूल किये हुए बांटे को वापिस दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां। आसामियान खेराबाद ने तहसील में बीड़ की काश्त के विषय में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया था। रकबे की तादाद दर्ज नहीं थी।

(ख) जी हां। यह प्रार्थना-पत्र तारीख २४-१०-५५ को पेश किया गया। ता. १६-११-५५ को यह नायब तहसीलदार के पास वास्ते कार्यवाही व रिपोर्ट तहकीकात के लिये भेजा गया।

(ग) आधा बांटा वसूल किया गया है।

(घ) आधा बांटा की वसूली के सम्बन्ध में काश्तकारों ने जाहिर किया कि वे जागीरदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या बयान वालेन्टियरिली थे ?

श्री दामोदर लाल व्यास—It is presumed that they are voluntary.

Page No.22

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में है कि बयान वालन्टीयरिली नहीं हैं और ओफिशयल रेकॉर्ड में ठीक तरह से दर्ज नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपके ध्यान में है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रिज़म्पशन की बात है, ऐसा कुबूल नहीं करते ?

श्री रामलाल उपाध्याय—किसानों के ऐसा बयान देने से क्या कोई जुर्म नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई जुर्म नहीं बनता।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या किसानों ने बयान दिया है कि छठा बंटा दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किसानों ने बयान दिया है कि आपस में एग्रीमेंट था, आधा बांटा देने का। पूछे जाने पर कि ज्यादा वसूली हुई तो उसके वापसी की कार्यवाही कराना चाहते हैं तो उन्होंने इन्कार कर दिया।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह।

प्रश्न संख्या २२१

जयपुर को 'सी' स्कीम में परगण की तलाई की छतरियों में एक स्कूल की स्थापना

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या शिक्षा विभाग की ओर से जयपुर की 'सी' स्कीम में परवण की तलाई की छतरियों में एक स्कूल खोला गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थान राजपूतों के शमशान और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किसी अन्य स्थान पर स्कूल खोलने का प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—जी हां।

(ख) राजपूतों के शमशान हैं।

(ग) स्कूल खोलने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति की स्वीकृति ली गई है और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, इसलिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Page No.23

श्री भैरूसिंह—इस सिलसिले में किस व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त की गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सम्बन्धित व्यक्ति से ?

श्री भैरूसिंह—सम्बन्धित व्यक्ति का नाम क्या है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जिनकी ये छतरियां हैं।

(हंसी)

श्री भैरूसिंह—ये छतरियां किनकी हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जानकारी देने वालों को पता होना चाहिए ।

श्री भैरूसिंह—जिनकी वे छतरियां हैं तो क्या वे जिन्दा हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जिन्दा लोगों की छतरियां नहीं होतीं।

श्री भैरूसिंह— । यह सही है कि इन पर राजपूत सभा का कब्जा है और उनकी स्वीकृति नहीं ली गई है ?

श्री अध्यक्ष—But what is the harm in telling the name of the owner ?

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि राजपूत सभा, जयपुर ने, एक बार नहीं अनेक बार आवेदन किया कि इन छतरियों पर सरकारी तौर पर कब्जा नहीं किया जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ऐसी बात होगी तो जानकारी की जायगी।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि इन छतरियों पर लैंड एक्वीज़िशन के तौर पर कब्जा नहीं किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ठाकुर साहब के सम्बन्धियों से इन छतरियों के विषय में पूछा गया, तो उन्होंने उनकी स्वीकृति दे दी। राजपूत सभा के विषय में जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि राजपूत सभा ने और डिग्गी कुंवर साहब ने उस अर्जी पर दस्तखत किये थे; अर्जी पेश की कि इन छतरियों को खाली कराया जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—शायद स्कूल खोलने के बाद आयी हो।

श्री भैरूसिंह—कब्जा हो गया, उस पर आवेदन पत्र दिया और उस पर डिग्गी कुंवर साहब ने हस्ताक्षर किये थे।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने बता दिया कि बाद में आयी हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

(घंटी)

श्री भैरूसिंह—क्या ये छतरियां किन्हीं से लिखित रूप में ली गई या जबानी ही।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

(घंटी)

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि

(घंटी)

एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—There will be no use putting any question. You can table a motion for half an hour discussion.

(विराम)

Shri Ram Ratan Tikkiwall.

प्रश्न संख्या २२५

ग्राम नानेर (टोंक) के श्री इकबाल हुसेन के लिये ३०० बीघा भूमि माफी में निकालना

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या जिला टोंक तहसील, ग्राम नानेर में, श्री इकबाल हुसेन को लगभग ३०० बीघा भूमि एस. डी. ओ. साहब टोंक द्वारा माफी में निकाली गई है ?

(ख) अगर निकाली गई है तो क्या एस. डी. ओ. साहब को इस प्रकार जमीन देने के पॉवर्स हैं ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि एस. डी. ओ. टोंक द्वारा उक्त भूमि का कई वर्षों का लगान माफ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें लागान माफ करने के पॉवर्स हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार एस. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री)—(क) जी नहीं। टोंक स्टेट कौंसिल की आज्ञा के मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड्स में सिर्फ अमलदरामद करने का हुक्म दिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या २२३

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदानसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २२४.

कलेक्ट्री कार्यालय भीलवाड़ा में इन्द्रलाल की चीफ एकाउन्टेन्ट के पद पर नियुक्ति

श्री कस्तूरचन्द—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलेक्ट्री कार्यालय भीलवाड़ा में श्री इन्द्रलाल को चीफ अकाउन्टेन्ट रक्खा गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि दूसरे उम्मीदवारों के ज्यादा सीनियर होते हुए भी इनको अपोइन्ट किया गया है ?

(ग) यदि हां, तो सीनियर उम्मीदवारों को नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां। अस्थायी तौर पर।

(ख) जी नहीं। यह तो पहले ही चीफ रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट के पद पर कार्य कर रहे थे। उसी पद का नाम अब डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यु एकाउन्टेन्ट रख दिया है।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री कस्तूरचन्द—क्या यह सही है कि ये पहले रेवेन्यू इन्स्पेक्टर थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पहले क्या थे, यह मुझे पता नहीं। इमीजिएटली बिफोर दी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट वे रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट थे।

श्री कस्तूरचन्द—रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट के पहले पटवारी, इन्स्पेक्टर, फिर रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट बन गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है कि अकाउन्टेन्ट के पहले ये क्या थे किन्तु इतना जरूर है कि वे इसके पहले चीफ रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट थे।

श्री कस्तूरचन्द—क्या आप इस बात की जानकारी करेंगे कि पहले ये पटवारी थे और फिर इन्स्पेक्टर हुए और अब एक दम रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट बना दिये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच जरूर की जायगी अगर आप यह बतायेंगे कि इस प्रकार से पक्षपात हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या आ गई जिससे उनका इतना मीटियोरिक राइज़ हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं यह कब कह रहा हूँ कि उनका राइज़ हो गया। वे पहले रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट थे, अब उनको डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट बनाया गया है।

श्री कस्तूरचन्द—क्या यह सही है कि जिनका राइट था उन लोगों को राइट नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२५.

भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये तांबा, शीशा व जस्ता के सर्वेक्षण तथा उत्खनन हेतु योजना

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या भारत सरकार ने राजस्थान के लिये तांबा, शीशा, व जस्ता के सर्वेक्षण तथा उत्खनन के लिये कोई योजना बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पदार्थों के सर्वेक्षण तथा उत्खनन के लिये कोई योजना बनायेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां, केवल सर्वेक्षण के लिये।

Page No.27

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार इन क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण तो करवा चुका है। इन क्षेत्रों की विस्तृत जांच पड़ताल के लिये वह अपनी योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने को सहमत हो गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के स्वीकृत होने पर ही उपलब्ध हो सकती है।

शीशा, जस्ता व चांदी के उत्खनन, पिसाई व ढालने के लिये जावर, उदयपुर में और ताम्बे के उत्खनन पिसाई व ढलाई के लिये खेतड़ी व खो दरीबा, जयपुर में एक संघ बनाने के लिये भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने आवेदन किया है व जावर के सम्बन्ध में तो एक विस्तृत योजना भी भेजी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २२६

अक्टूबर, १९५५ के पूर्व विद्युत एवं पॉवर कनेक्शन के विचाराधीन पत्रों का निर्णय

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Will the Minister-in-charge for P.W.D. be pleased to state:-

How many applications for ordinary light connections and power connections were pending before the Jaipur Power House upto the end of October, 1955 and by what time they can be expected to be disposed of ?

श्री दामोदरलाल व्यास (सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से श्री राजस्व मंत्री)—माह अक्टूबर, १९५५ तक जितने भी लाइट कनेक्शन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उन सबको लाइट कनेक्शन दे दिये गये। इस प्रकार का कोई भी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त माह तक पॉवर कनेक्शन सम्बन्धी ४३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए लेकिन ये सब विचाराधीन हैं

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—कितने दिनों से विचाराधीन हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—अक्टूबर ४३ के बाद जो ४३ आये, विचाराधीन हैं; क्योंकि बिजली की लाइनों पर अधिक मात्रा में लोड होने के कारण इन प्रार्थियों को पॉवर कनेक्शन नहीं दिये गये। ज्योंहीं इन लाइनों पर आवश्यक सुधार किया जावेगा इन व्यक्तियों को जिनके प्रार्थना पत्र विचाराधीन है पावर कनेक्शन दे दिया जायेगा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही है कि मेटीरियल के अभाव में पॉवर कनेक्शन नहीं दिये; लोड की वजह से नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लोड की वजह से नहीं दिये गये।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि जो एप्लीकेशन्स आती हैं पॉवर कनेक्शन के लिये उनसे ऐसा पता चलता है कि मेटीरियल की कमी की वजह से नहीं दिये जा रहे हैं कनेक्शन ?

श्री दामोदरलाल व्यास—डिपार्टमेन्टली जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा पता चलता है कि पॉवर कनेक्शन इसलिए नहीं दिये जा रहे हैं कि अधिक मात्रा में लोड है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही है कि दिवाली के पहले जितनी एप्लीकेशन्स पॉवर कनेक्शन के लिये दी गई थीं किसी को लाइट कनेक्शन नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने अक्टोबर का प्रश्न पूछा था, अक्टोबर तक जितने भी प्रार्थना-पत्र आये उन सब को लाइट कनेक्शन दे दिये गये।

श्री अध्यक्ष —October means end of October.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं यह जानना चाहता हूँ कि एन्ड ओफ अक्टोबर जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये, क्या उन सब को लाइट कनेक्शन दे दिया गया एक भी बाकी नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सब को कनेक्शन दिया गया।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—जिनके प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं उन सब को पॉवर कनेक्शन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जयपुर शहर में ट्रान्समीशन व डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को सुधारने के लिये १३.३ लाख रुपये की रकम मन्जूर हुई है। वह स्कीम जल्दी पूरी करने की प्रयत्न चल रहा है, उसके लिये आवश्यक मशीनरी मंगाई जा रही है, ज्योंही स्कीम पूरी हो जायगी पॉवर कनेक्शन दे दिया जायगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—वह सामान कब तक आ जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ सामान तो ऐसा है जो बाहर से आने वाला है, ज्योंही वह आजायगा काम चालू कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस आर्थिक वर्ष में यह सामान आ जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी से जल्दी मंगाने की कोशिश की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसके लिये आर्डर्स प्लेस किये जा चुके हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर आर्डर्स प्लेस किये जा चुके हैं तो यह यकीन किया जा सकता है कि सामान आने की स्थिति पैदा हो गई है इसलिये मेटीरियल सवाल यह है कि ऑर्डर्स प्लेस किया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन संभव है ऑर्डर्स प्लेस किये जा चुके हों।

श्री भैरूसिंह—फंड की स्वीकृति सरकार ने दे दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास—हां।

श्री भैरूसिंह—यह स्वीकृति कब दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये नोटिस चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अभी आपने फरमाया सामान बाहर से आने वाला है, क्या जयपुर के बाहर से आने वाला है या हिन्दुस्तान के बारह से ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हिन्दुस्तान से भी आने वाला है और बाहर से भी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो ऑर्डर्स राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाने वाला है या दिया जा चुका है और जो मशीनरी मंगाई जा रही है उसके ऑर्डर्स राजस्थान सरकार देगी या डी० जी० एस देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें कुछ सामान तो ऐसा है जो टेक्निकल कॉरपोरेशन मिशन एड के अन्तर्गत केन्द्रीय डाइरेक्टर ऑफ सप्लाइज़ एन्ड डिसपोज़ल्स के द्वारा प्राप्त किया जायगा। कुछ सामान ऐसा भी है जो डाइरेक्ट मंगाया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डी० जी० एस० को ऑर्डर्स प्लेस हो चुका है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—या तो हो गये होंगे, नहीं तो हो जाने चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि अभी तक ऑर्डर्स प्लेस नहीं किये गये हैं ? Are you in a position to contradict this ?

श्री अध्यक्ष—Neither to contradict nor to admit !

श्री दामोदरलाल व्यास—I say the information is not here.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि अगर इनको पॉवर कनेक्शन नहीं दिये गये तो अनएम्प्लॉयमेन्ट बढ़ेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, इसीलिये तो जल्दी की जा रही है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—इन ४३ की जो पाँवर कनेक्शन के लिये दरख्वास्तें हैं अगर वह पॉवर कनेक्शन दिया गया तो कितने मजदूरों की मजदूरी लग सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका हिसाब तो नहीं लगाया, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो यह हिसाब लगाकर बताया जा सकता है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या इसका उत्तर लेबर मिनिस्टर देंगे ?

प्रश्न संख्या २२७.

सीकर के बड़े तालाब वाले बीड़ की भूमि अप्रेल १६५३ में काश्त के लिये देना

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर के बड़े तलाब वाले बीड़ में एक अप्रेल, सन् १९५३ को कितनी भूमि राजकुमार सीकर के काश्त में व कितनी भूमि पड़त व गोचर थी ?

(ख) इस भूमि में से १ अप्रेल, सन् १९५३ के बाद अब तक किस किस को कितनी कितनी भूमि काश्त के लिये किस किस अधिकारी ने किन किन बातों के आधार पर किन नियमां के अन्तर्गत बताई ?

(ग) क्या इस भूमि में से गोचर भूमि काश्त के लिये देने से सीकर की जनता में काफी असन्तोष है ?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) २१८ बीघा १ बिस्वा काश्त में तथा २०६ बीघा ८ बिस्वा पड़त में व ६०८ बीघा १५ बिस्वा गोचर।

(ख) १४० बीघा ७ बिस्वा भूमि निम्नलिखित पुरुषों तथा संस्थाओं को बताई गई :

(१) रावराजा साहब सीकर। ६६ बीघा ७ बिस्वा आज्ञा इजलास खास ठिकाना सीकर नं० ११५ तारीख १४.५.५३ तथा नं. १४२३ दि० १४.५.५३।

(२) पशु चिकित्सालय ११ बीघा २ बिस्वा। आज्ञा इजलास खास ठिकाना सीकर नं० २५४२ दि० १४.११.५३.

Page No.31

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(२) नानू जाट निवासी पूरा ६० बीघा। आज्ञा राजस्व सचिव महोदय एफ ६।१०७ रेवेन्यु २। ५४ तारीख ३०.६.५४.

(ग) ठिकाने के वक्त का है। जब उसे ऐसी जमीन देने के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। ३ की जमीन रेवेन्यु स्टेन्डिग आॅर्डर नं. २ के अधीन दी गई है।

(ग) कुछ व्यक्तियों में असन्तोष जरूर है।

(ड) अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को नोटिस दिये गये हैं कि वे कारण जाहिर करें कि क्यों न जमीन उनसे छुड़वाली जावे और जिनका कब्जा उचित आदेशों के आधीन है उनसे प्रार्थना की गई कि क्या सीकर के पशुओं के हितार्थ कुछ जमीन छोड़ने की कृपा करेंगे।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालय के लिये जो जमीन दी गई है ११ बीघा, क्या यह गोचर भूमि का एक हिस्सा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गोचर भूमि का डिमार्केशन नहीं हुआ है। यह जो ६०८ बीघा भूमि है वह सारी की सारी गोचर भूमि की तरह काम आती थी, वैसे कोई भूमि गोचर भूमि डिक्लेअर्ड नहीं थी।

श्री भैंरूसिंह—जिस ६१८ बीघा भूमि को गोचर भूमि माना है और उसी जमीन में से यह भूमि दी है तो क्या उसे गोचर भूमि के लिये वापिस ले लेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जैसा कि अर्ज किया यह ६१८ बीघा १५ बिस्वा गोचर भूमि थी वह गोचर तो डिक्लेअर्ड नहीं थी किन्तु वहां मवेशी चरते थे और उसी जमीन में से वह जमीन दी गई है।

श्री भैंरूसिंह—किस कानून के आधार पर दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—रेवेन्यू के स्टेडिंग आॅर्डर के मुताबिक।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है वहां के आसपास के लोगों ने दरख्वास्त दी थी कि हमें जमीन दी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि आस-पास के लोगों की दरख्वास्तों पर विचार न कर नानू जाट को ६० बीघा जमीन दी गई क्योंकि वह जमनालाल बजाज का नौकर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस तरह का कोई कन्सीडरेशन नहीं था। अन्य व्यक्तियों की दरख्वास्तें थीं या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरूसिंह—यह भूमि देने से पहले क्या सीकर के क्लेक्टर ने यह कहा था कि यह गोचर भूमि है, यह न दी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रावराजा साहब सीकर ने जागीर रिजम्पशन एक्ट के पास होने से पहले इस जमीन पर कब्जा कर लिया ? क्या उनका यह मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर सरकार यह जांच कर ले और उसको यकीन हो जाय कि इसमें उनका मेलाफाइड इन्टेन्शन था तो क्या उस भूमि को केन्सिल करने का प्रयत्न किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अब आपने जानकारी दी है। मगर जिस समय सन् ५३ में यह जमीन ली उस समय उन्हें पूरे अधिकार थे जमीन लेने के।

श्री भैरूसिंह—जिस समय नानू जाट को यह जमीन दी गई उस समय रावराजा साहब को जमीन देने का अधिकार था या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं था।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि दूसरे अन्य लोगों ने जो दरख्वास्त दी थीं वह रावराजा साहब ने नामन्जूर की थी और जनता ने खास तौर से, खुदकाश्त पाने वालों ने सरकार के सामने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया कि पहले जमीन उनको दी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं है कि दरख्वास्त नामन्जूर हो गई। जो आज्ञा दी गई है वह सन् ५४ में दी गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो ट्रान्सफर्स इस प्रकार के किये गये हैं उन ट्रान्सफर्स के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का सोच रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह ट्रान्सफर नाज़ायज़ नहीं हुआ है। जिन्होंने कब्जा नाज़ायज़ तौर पर किया है उन्हें नोटिस दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिनसे यह प्रार्थना की गई है कि वे जमीन छोड़ दें उसका क्या नतीजा हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने प्रार्थना की है यह उन लोगों के ऊपर है कि कहां तक इसका रेस्पोन्ड दें।

श्री भैंरूसिंह—यह प्रार्थना किनसे की है। जिन्होंने अनाधिकार तौर से कब्जा कर रखा है उनकी संख्या बताएं।

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि सीकर के कलेक्टर ने सरकार से यह मांग की है कि उन लोगों को जबरदस्ती हटाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—सीकर कलेक्टर को स्वयं अधिकार है कि वह जबरदस्ती हटा सकता है।

श्री भैंरूसिंह—सीकर कलेक्टर ने मांग की है वह इस कारण से आवश्यक समझ कर की गई है कि जिन्हें हटाना है वे राजनैतिक नेता हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है। आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिनसे प्रार्थना की उसका क्या नतीजा हुआ है यह नहीं बताया आपने ?

श्री अध्यक्ष—श्री तेजमल बापना, श्री सुगनचन्द जैन।

प्रश्न संख्या २२८

सन् १६५१ से १९५५ तक भोडल के निर्यात पर रॉयल्टी के रूप में प्राप्त धन-राशि

श्री तेजमल बापना (श्री सुगनचन्द की अनुपस्थिति में)—

Will the Minister for Industries and Commerce reply to the following question—

(1) What was the amount realised as royalty on the export of Mica during the financial years 1951-52, 1952-53, 1953-1954 and 1954-55 ?

(2) What was the number of Prospecting Licences granted in those years and how many of them were turned into Mining Leases ?

[श्री तेजपाल आपना]

(3) How many cases of Mica disputes are still pending with the Director of Mines and Geology or with the Government please state their duration and reasons of their being kept pending for such a long period ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(१) सन् १९५१-५२ से १९५४-५५ तक चार वर्षों में अभ्रक की जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है :

वर्ष	आमदनी
१९५१–५२	११,६६,९४६ रु०
१९५२–५३	९,९३,५९२ रु०
१९५३–५४	६,९८,७२६ रु०
१९५४–५५	४,५६,६४० रु०

(२) (अ) उपरोक्त चार वर्षों में जो अभ्रक के, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स स्वीकृत किये गये थे उनकी संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	संख्या
१९५१–५२	९०
१९५२–५३	८६
१९५३–५४	१८
१९५४–५५	२२

(आ) अब तक इन प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्सों से १६ को माइनिंग लीज स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(३) अभ्रक के सम्बन्ध में कोई मामला विवादास्पद अब नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो माइनिंग लीज दिये गये हैं उनमें ऐसे लीज भी हैं जो कि विशेष कन्डीशन्स पर दिये गये हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

Page No.35

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इनमें से एक लीज़ इस शर्त पर दिया गया था कि माइका स्प्लिटिंग फेक्ट्री का निर्माण किया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां-हां, वह तो दिया गया है। उन्होंने वह फैक्टरी चालू कर दी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो कन्डीशन्स रखी गई थीं उसके बारे में कोई अवधि मुकर्रर नहीं की गई थी कि कब तक फैक्ट्री लगाना था या की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उसके लिये तो नहीं की गई थी। अवधि ८ महीने की दी थी लेकिन उन्होंने स्वयं फैक्ट्री चालू कर दी है और स्मलिंटग का काम शुरू कर दिया है और बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि अभी तक इतना अरसा गुजर कर चुका है उसके बाद भी फैक्ट्री नहीं लगाई गई है ?

श्री भोगी लाल पंड्या—आप यदि भीलवाड़ा जाकर देखेंगे तो वहां स्मेलटिंग करते हुए बहुत से मजदूर देखने को मिलेंगे जो कि कुछ तो यहां के हैं और कुछ बिहार से लाये गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न है कि वह फैक्ट्री नहीं लगी है। यह डेफिनिट स्टेटमेंट है, उसके बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैने आपको बताया कि काम शुरू कर दिया है। फैक्ट्री के लिए सरकार ने जमीन नहीं दी थी इसलिए सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी जमीन दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ज्योंही जमीन मिल जायगी फैक्ट्री का मकान बन जायगा। वैसे काम तो चल रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस शर्त पर जमीन दी गई है उस शर्त का पालन नहीं होने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—जमीन ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—लीज़, लीज़।

श्री भोगीलाल पंड्या—जमीन नहीं मिलेगी तो फैक्ट्री कैसे बनयेंगें ? मकान नहीं बन सका है लेकिन सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था उस उद्देश्य की पूर्ति बराबर हो रही है क्योंकि स्मेल्टिंग का काम बराबर चालू है

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लीज़ एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख है कि सरकार जमीन दिलायेगी ?

श्री भोगी लाल पंड्या—हमेशा यह नियम है कि सरकार जमीन दिलाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, क्या इसका जब लीज़ एग्रीमेंट किया गया था उसमें स्पेसिफिक उल्लेख है कि सरकार जमीन दिलाने का जिम्मा लेती है ? हां या ना में उत्तर देने की कृपा करें।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं। और वह इसलिए कि सरकार का पहला काम है हर फैक्टरी वाले को जमीन दिलाने का। म्युनिसिपेलिटी ने नहीं दी तो सरकार की ओर से प्रयत्न करके दिलाई जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि लीज़ एग्रीमेंट में इस बात का स्पेसिफिक उल्लेख नहीं है तो जो बाकी की शर्तें थीं अगर उनका पालन नहीं किया गया तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार का प्रथम कार्य है कि जो कुछ कोई काम करने वाला है उसको हर तरह से सुविधा दी जाय। जब तक कि सरकार की ओर से सुविधा नहीं दिलाई जा सकती है तब तक उस पार्टी को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पहले भी सरकार ऐसे कामों में सहयोग देती रही है और भविष्य में भी देती रहेगी।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज़ !

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष—श्री लालूराम।

प्रश्न संख्या २२६.

राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में हरिजन विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण-शुल्क से छूट

श्री लालूराम—क्या समाज कल्याण विभाग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान के कॉलेजों, हाई स्कूलों, मिडिल स्कूलों और प्राइमरी पाठशालाओं में हरिजन छात्रों से पूरी फीस ली जाती है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार की ओर से हरिजनों को एडमिशन फीस माफ नहीं की गई है ? यदि हां, तो अब तक क्यों ली जा रही है ?

Page No.37

[श्री लालूराम]

(घ) सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण विभाग मंत्री)—(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस आधी लेने के आदेश ३.१२.५३. को जारी हो चुके हैं ।

(घ) आदेशों के विपरीत शिकायत आने पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न संख्या २३०.

ग्राम सिकन्दरा (त० सिकराय) के दीपचन्द भोलाराम जैन सिकन्दरा की धर्मशाला को किराये पर लेना

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—क्या सप्लाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे–

(क) क्या यह सही है कि मौजा सिकन्दरा तहसील सिकराय में दीपचन्द भोलाराम जैन सिकन्दरा की धर्मशाला ग्रेन गोदाम के लिये किराये पर ली गई थी ?

(ख) क्या उक्त ग्रेन गोदाम का किराया अभी तक नहीं दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिलवाया और अब कब तक दे दिया जावेगा ?

(घ) यह किराया अब तक किसी गलती से नहीं दिया गया और सरकार उस गलती करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसदमंत्री)—(क) हां ।

(ख) ऑडिट द्वारा उसमें खामी बतलाई गई थी ।

(ग) इसका किराया नहीं देने का कारण ऑडिट के आक्षेपों की पूर्ति होना है ।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—यह कब तक हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे तहसीलदार को लिखा है कि जल्दी से जल्दी उन ऑडिट आक्षेपों को पूरा करके भेज दो । ज्योंही वह आ जायेगा त्योंहि वह पैसा मिल जायगा ।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—क्या आक्षेप हुए हैं, कुछ आप बता सकते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो मुझे याद नहीं है।

१२ दिसम्बर, १९५५ के प्रश्न

श्री अध्यक्ष—Yes. Question of 12th December.

श्री दामोदरलाल व्यास—Which question ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न १४२। श्री धूलजी भाई। क्या नहीं हैं ?

श्री धूलजी भाई—क्वेश्चन का नम्बर याद नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry, Sir, the information is not ready.

श्री अध्यक्ष—Next turn ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, Sir. But my next turn is tomorrow also and next Monday also. So it should be taken on the next Monday.

श्री अध्यक्ष—Yes, Questions to be repeated. श्री जयसिंह

प्रश्न संख्या २०४.

तहसील आसींद के विकास हेतु स्वीकृत धन-राशि का व्यय

श्री दामोदरलाल व्यास—Which question ?

श्री अध्यक्ष—२०४।

श्री जयसिंह—क्या मंत्री, विकास विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ज़िला डेवलपमेंट भीलवाड़ा की ता० २१-५-५५ की बैठक में तहसील आसींद के लिये ६८५०) रु० स्वीकृत हुआ है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस बैठक में स्वीकृत शुदा अन्य तहसीलों की रकम तहसीलों में खर्च हो चुकी है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि जनता के जिन २ कामों के लिए यह रकम स्वीकार की गई वे काम जनता पहले ही कर चुकी थी ?

(घ) तहसील आसींद में यह रकम अब तक नहीं मिलने का क्या कारण है और उस गलती का कौन जिम्मेदार है और सरकार उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, विकास मंत्री की अनुपस्थिति में)—

(क) जी हां। यह सही है कि दिनांक २२-५-५५ को, न कि २१-५-५५ को, जिला डेवलपमेंट कमेटी भीलवाड़ा की बैठक में तहसील आसींद के लिए ६८५.० रु० स्वीकृत किया गया।

(ख) अन्य तहसीलों में कुछ रकम खर्च हो चुकी है और बहुत से कार्य अब आरम्भ हो रहे हैं। उन पर रकम अब खर्च की जायगी।

(ग) रकम का एलॉटमेंट केवल ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया था कि जो पूरे नहीं हुए थे। ऐसे कार्य जो पहले पूरे हो चुके हैं और रकम नहीं है फिर दी गई हो, नहीं नोटिस में आये।

(घ) स्वीकृत धन-राशि की भुगतान जिन अधिकारियों की गलती के कारण नहीं हुई है उसकी जांच की जा रही है। अभी केवल एक तहसीलदार की तनख्वाह रोक दी गई है। आगे जांच जारी है।

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

प्रश्न संख्या २०५

गंगापुर के हरिजनों को गृह-निर्माण हेतु भूमि देना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गजट में एक्वीजिशन के नोटिस प्रकाशित हो जाने के पश्चात् भी गंगापुर के हरिजनों को मकान बनाने के लिये भूमि प्राप्त नहीं हुई है ?

(ख) क्या सरकार मकानों के लिये भूमि एक्वायर करने के लिये एक स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करेगी जो कि शीघ्र ही कार्य पूरा कराने का प्रबन्ध करेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में)—(क) कस्बा गंगापुर के हरिजनों के आवास के लिये नियमानुसार भूमि एक्वायर कर ली गई है। अतः कोई स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। नगर विकास सम्बन्धी योजना बन रही है। इसके पूरे होते ही हरिजनों को भूमि दे दी जावेगी।

श्री श्यामलाल गोयल—कब एक्वायर कर ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसील की जांच से पहले एक्वायर हो चुकी है।

Page No.40

श्री श्यामलाल गोयल—यह तो मैं जानता हूं कि कब एक्वायर हुई है। जमीन एक्वायर नहीं हुई है इसीलिये पूछ रहा हूं। दफा ४ के अनुसार एक्वीज़िशन के नोटिस दिये गये हैं लेकिन दरअसल दफा ६ के जरिये नहीं हुए हैं। कब एक्वायर कर ली गई और कौन २ सी जमीन एक्वायर की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दफा ४ की आपकी सूचना है, मगर मेरी सूचना ऐसी है कि यह एक्वायर करली गई है।

श्री श्यामलाल गोयल—कौन कौन सी जमीन एक्वायर कर ली गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बात डिटेल्स की है, कई नम्बर हैं।

श्री खेतसिंह—वही बता दें।

श्री श्यामलाल गोयल—किस दिन एक्वायर की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने आप से अर्ज किया कि नम्बर २१८ और २२ के संबंध में है और यह एक्वायर करने की तारीख मुझे मालूम नहीं है।

श्री श्याम लाल गोयल—१८ से २२ न० के लिए दफा ४ में तो नोटिस इश्यू हो गये अक्टूबर में हीं दफा ६ में नोटिस जारी हुए कि नहीं पजेशन लेने के ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मेरी जानकारी में तो यह है कि एक्वायर हो गई है। दफा ६ में नोटिस जारी नहीं हुआ, यह आप सूचना दे रहे हैं, और जांच करूंगा।

श्री श्याम लाल गोयल—अगर दफा ६ में नोटिस जारी नहीं हुआ है तो अब दफा ६ में एक्वायर करने का नोटिस सरकार जारी करेगी ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जरूर।

श्री जवान सिंह—प्रश्न और उत्तर अलग अलग जमीन के तो नहीं हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जी नहीं, सिरोही का नहीं गंगापुर का है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या २२३, श्री शिवदान सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री राजस्व मंत्री (से) हां साहब, report regarding Escheats Bill.

राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक,१९५५ पर राजस्व मंत्री द्वारा प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—राजस्थान राजगामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ दिनांक २८ सितम्बर, १९५५ को इस आदेश के साथ प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था कि समिति का प्रतिवेदन १५ अक्टूबर, १९५५ तक उपस्थित किया जाय। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये गये थे :

१. प्रभारी मंत्री
२. श्री चांद मल मेहता
३. श्री श्रीमान सिंह
४. श्री श्याम लाल गोयल
५. श्री द्वारकादास पुरोहित
६. श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा
७. श्री नारायण चतुर्वेदी
८. श्री गणपत सिंह
९. श्री धर्म चन्द
१०. श्री शंभू सिंह

तत्पश्चात् १५ अक्टूबर, १९५५ को समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के हेतु नियत समय को ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ाये जाने की स्वीकृत सदन से प्राप्त की गई।

समिति की बैठक २६।११।५५ एवं १५।१२।५५ को बुलाई गई किन्तु दोनों दिन मेरे अतिरिक्त कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुए; अतः मैं यह प्रतिवेदन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १२६ (३) के अन्तर्गत प्रस्तुत करता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मुझे सूचना ही नहीं मिली साहब मीटिंग की।

श्री दामोदर लाल व्यास—(राजस्व मंत्री) That you can complain to the Assembly Secretary.

कुं श्री जसवन्त सिंह—That is not a new thing for our Government.

श्री दामोदरलाल व्यास—He says, he did not get notice.

श्री मुकीलाल मोदी—ऐसे सदस्यों को रखने की क्या जरूरत है जो कि आयें ही नहीं ?

Page No.42

श्री हरिकृष्ण व्यास—अपने रूल्स में इस प्रकार का जिक्र है कि लगातार २ मीटिंगों में गैर हाजिर रहें तो अध्यक्ष महोदय से नोटीफाई किया जा सकता है, इस रूल के तहत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष—But now there is no need.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Rule 126 (3).

श्री अध्यक्ष—यही तो कह रहे हैं कि नियुक्त किया जाय।...

That is the same rule. Now the Bill will be taken up by the House clause by clause and the next motion will come.

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (तृतियवाचन एवं पारित)

The Revenue minister to move that the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954, be passed,

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मैं उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो भू-राजस्व विधेयक के तीसरे वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष, भू राजस्व सम्बन्धी जितने भी कानून बनते हैं उन सब कानूनों का एक ही दृष्टिकोण है और वह यह है कि काश्तकारों और सरकार के बीच किस तरह के सम्बन्ध बनाने हैं, किस तरह के अच्छे से अच्छे सम्बन्ध सरकार और काश्तकारों के बीच स्थापित करने हैं, इस प्रकार का यदि कोई कानून है तो वह भू-राजस्व विधेयक है, जो अभी विचारार्थ सदन में लिया जा रहा है।

आज तक हम इस बात को मानते आ रहे हैं कि राजस्थान में जागीरी प्रथा के कारण से और जागीरी प्रथा पोषक कानूनों से काश्तकारों का किसी प्रकार का हित संरक्षण नहीं हो सका। हमने इस बात को एक बार नहीं, बार-बार इस सदन में ही नहीं, बल्कि इस सदन से बाहर, चुनावों के मौकों पर और अन्यत्र भी कई बार दोहराया है, मांग की है और मांग करने के साथ-साथ हमने इस बात का लोगों को विश्वास दिलाया है कि अब राजस्थान विधान सभा में जितने कानून बनेंगे उनका उद्देश्य यह होगा कि सरकार और काश्तकारों के सम्बन्ध ज्यादा से ज्यादा अच्छे हों और काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायं। इस प्रकार के कानून की जहां तक मंशा है वह,

[श्री भैरोंसिंह]

किस प्रकार काश्तकारों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान कर सके और काश्तकारों की हित रक्षा कर सके, इस प्रकार की मंशा होती है। इस भू राजस्व विधेयक को यदि आप शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ें और किस प्रकार इसका अमल होगा इस पर दृष्टिपात करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस कानून को हम प्रतिक्रियावादी कानून कहते थे और जिस कानून को शोषण करने वाला कानून कहते थे, जागीरदारी का पोषक कानून कहते थे या जिसको सामन्तशाही पोषक कानून बताते थे उस कानून के कम्पीटीटिव दृष्टिकोण से इस कानून को पढ़ा जाय तो कोई भी व्यक्ति, जो इस कानून के अन्दर सरकार और काश्तकार की व्यवस्था है उसको देख कर, सोच कर नहीं कह सकता कि यह कानून एक प्रगतिशील कानून है और इस कानून से काश्तकारों का हित होगा और काश्तकारों और सरकार के सम्बन्ध इस कानून से अच्छे होंगे। इस कानून की यह नीति होनी चाहिये कि जितने तथ्य हैं जिनके आधार पर काश्तकारों का सरकार से सम्बन्ध है, लगान देने वालों का सरकार से सम्बन्ध है उन सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाय, इस प्रकार के कानूनों का हमेशा यही आधार होता है। पर हमने मूल में ही यहां गलती की है।

राजस्थान विधान सभा में इस बात की चर्चा हुई कि राजस्थान विधान सभा द्वारा कानून बनते हैं उनके इन्टरप्रेटेशन में सरकार की ओर से ज्यादती होती है, तो जनता हाई कोर्ट में आवेदन पत्र दे कर वहां से समुचित न्याय हासिल करती है और जहां तक जुडिशियल लाइन का सम्बन्ध है हाई कोर्ट से भी उपर के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर समुचित न्याय हासिल करती है। पर हमने इस कानून में रेवेन्यु बोर्ड द्वारा न्यय हासिल करने की व्यवस्था की है और जिन क्लॉजेज का रेवेन्यु बोर्ड से सम्बन्ध है उन क्लॉज़ेज़ को माननीय राजस्व मंत्रीजी ने डेफर किया था। इस बिल में जो क्लॉज़ेज रेवेन्यु बोर्ड के सम्बन्ध में विद्यमान हैं उनके खिलाफ उस समय सदन में ऐसा वातावरण पैदा हो गया था कि यदि उस समय उन क्लाज़ेज़ को लिया जाता तो सदन माननीय राजस्व मंत्रीजी की मंशा के खिलाफ फैसला करता पर उन्होंने समय का फायदा उठाया और आयन्दा के लिये उन क्लॉज़ेज़ को डेफर कर दिया, उस समय सदन को यह आशा थी कि इस क्लाज में जो भावना है उसको ठीक किया जायगा, पर फिर केवल यही कह कर कि डेफर करने के बाद सरकार ने जो रुख अपनाया है वह उसी प्रकार का रुख है, जैसा कि उन क्लाज़ेज़ में लिखा हुआ है, जवाब दिया।

माननीय अध्यक्ष, हमने आज ही नहीं अनेक बार इस बात की चेष्टा की है कि जहां तक कोई भी कानून बनायें, हम उस कानून का एक आधार रखें और कानून द्वारा यह हो कि न्याय के जो मामले हैं, उनमें प्रशासनिक दृष्टि से सरकार का जो हस्तक्षेप हो उसको हम मान सकते हैं। लेकिन जहां तक न्याय का मामला है, जिसको हम जुडिशियल नेचर के केसेज़ कहते हैं उसमें जिस प्रकार न्याय होता है और जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एक सिद्धान्त को मानना पड़ेगा और वह यह है कि इस प्रकार के मामलों में सरकार का किसी प्रकार से हस्तक्षेप न हो। अगर इस प्रकार के मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है तो लोगों को

[श्री भैरोंसिंह]

इन्साफ नहीं मिलता ! आज किसी दल की सरकार हो सकती है और कल किसी दल की सरकार हो सकती है ; कोई दल काश्तकारों का पक्ष करे और कोई काश्तकारों का हित नहीं देखे और वह काश्तकारों का भला नहीं करती। आज डेमोक्रेसी है और लोगों को अपना राज्य करना है। चूंकि हम आज इस प्रकार का कानून बना रहे है इसलिये हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे किसी प्रकार की कोई भी सरकार क्यों न हो अपना इसमें हस्तक्षेप न कर सकें। यदि सरकार राजस्व बोर्ड के सदस्यों के ट्रान्सफर, एपोइन्टमेंट आदि में हस्तक्षेप करती रही तो लोगों को राजस्व बोर्ड से न्याय मिलने की जो उम्मीद है वह नहीं रहेगी।

अब सरकार यह कहती है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज यह सरकार है, वह हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन सरकारें तो हमेशा बदलती रहती हैं और बदलती रही हैं। इसलिये जो कानून बनाया जावे वह ठीक ढंग से बनाया जावे लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार यह कहती है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई दबाव नहीं डालेंगे और न कोई अन् ड्यू इन्फ्ल्यूएन्स काम में लेंगे। हम किसी प्रकार का उनका प्रोमोशन या ट्रान्सफर या डिमोशन को किसी प्रकार के दबाव से नहीं करेंगे। इतना होते हुए भी जब इस प्रकार का कानून बने उसमें जितनी भी बरती जानी चाहिये बरती जानी चाहिये। सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में रखे हैं कि हम राजस्व बोर्ड की नियुक्ति करेंगे ; ट्रान्सफर और डिमोशन आदि करेंगे; इससे उन लोगों पर यह अंकुश रहेगा कि कितना भी न्यायसंगत काम हो और वे न्यायसंगत काम करते हों, अगर उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना हो तो इस कानून के अनुसार वह कर सकती है। फिर हम जैसे जुडिशियल केसेज़ से लोगों का सम्बन्ध रहता है उससे ज्यादा सम्बन्ध राजस्थान के लोगों का रेवेन्यू केसेज़ से रहता है और राजस्व संबन्धी मुकदमे अधिक होते हैं। हमें ऐसे लोगों को सस्ता न्याय देने के लिये निश्चित रूप से नियम और राजस्व बोर्ड के सदस्यों को बिल्कुल किसी प्रकार के लालच और भय से मुक्त होकर न्याय करें, इस प्रकार करना होगा। यदि उन पर यह भी एक प्रकार से अंकुश बना रहे कि सरकार उनका ट्रान्सफर कर देगी या डिमोशन कर देगी तो फिर न्याय नहीं हो सकता और जनता को न्याय नहीं मिलेगा। आज के दिन भी रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू बोर्ड के चैअरमेन को भी....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—No Personal aspersions.

श्री भैरोंसिंह—(जारी) जिस तरह राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड की आज स्थिति है यदि उसको हम देखें तो मालूम होगा कि किसी को कहीं प्रोमोशन का लालच दीखता है और कहीं डिमोशन का और कहीं ट्रान्सफर का लालच देते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड को इन सारी बातों से मुक्त रहना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें माननीय मंत्री महोदय से और इस सदन से प्रार्थना करनी चाहिये कि रेवेन्यू बोर्ड को न्यायसंगत बनाने के लिये वहां के सदस्यों के ट्रान्सफर, प्रोमोशन आदि में हस्तक्षेप न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

[श्री भैरोंसिंह]

इतना ही नहीं विधान सभा में जैसा कि सदन में पहले भी चर्चा की गई थी कि काश्तकारों को हमें लिटीगेशन से बचाना है और ज्यादा से ज्यादा लिटीगेशन में पड़े हुए हैं। मगर हम देखते हैं कि पटवारी से लेकर आखिर तक किस प्रकार उसको लिटीगेशन में फंसना पड़ता है। पटवारी से गिरदावर के पास, गिरदावर के पास से नायब तहसीलदार के पास और नायब तहसीलदार के पास से तहसीलदार के पास और फिर वहां से एस. डी. एम. के पास और फिर वहां से कलेक्टर के पास और कलेक्टर के पास से कमिश्नर के पास और कमिश्नर के पास से फिर रेवेन्यू बोर्ड के पास और फिर वहां से सरकार के पास और फिर अगर सरकार चाहे तो जिस ढंग से कागज सरकार के पास पहुँचे उसी ढंग से नीचे भेजेगी। अगर हम यह सोचें कि किसानों को लिटिगेशन से बचाया जावे और उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले तो हमें इस प्रकार के तरीके को कुछ अंश में बदलना पड़ेगा। अगर यही तरीका रहा तो किसानों को आर्थिक संकट इसी प्रकार का बना रहेगा। यदि इसको दूर करना है तो इसके लिये व्यवस्था करनी होगी कि अपील का ढांचा बना हुआ है उसमें परिवर्तन लाना होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि हमें काश्तकारों को लिटिगेशन से बचाना है तो एक सीढ़ी तो जो अनावश्यक रखी गई है जिस पर काफी गंभीरता से विचार हुआ और माननीय राजस्व मंत्री ने खुद ने कुछ समय पहले कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं के बारे में कहा गया कि इस प्रकार के लिटीगेशन के मामले रखे हैं। जिस समय इसकी सदन में चर्चा हो रही थी उस समय सरकार की ओर से कोई तथ्यपूर्ण आर्ग्युमेंट नहीं दिये गये कि इसलिये कमिश्नर के प की आवश्यकता है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—इसका स्कोप भी आप जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह—इसको रिजेक्ट किया जावे। क्या हुआ हाउस में, that all Members know इसको रिजेक्ट किया जावे। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि कमिश्नर का पद किस लिये लगाया गया है। कमिश्नर के लिये केवल काम बताया गया था वह यह था कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो काम होता है उसमें कोऑर्डिनेशन रखा जाए, अगर कलेक्टर कोऑर्डिनेशन का काम नहीं कर सकता। अगर आपको कोऑर्डिनेशन का काम ज्यादा जिलेवार स्वावलंबी बनाना है और इस ढंग से व्यवस्था करनी है तो ज्यादा उचित होगा कि हम कोऑर्डिनेशन का काम कलेक्टरों से लें और कमिश्नरों की फिर कोई आवश्यकता नहीं। केवल इसी काम के लिये कमिश्नरों का रखना मुनासिब नहीं। यह कहा जाता है कि कमिश्नरों की आवश्यकता इसलिये है कि जिलों की व्यवस्था अभी तक पूर्णतया ठीक नहीं हो सकी है और इसलिये यह आवश्यक है कि कमिश्नर का पद रहे। मैं समझता हूँ कि दोनों के पद की क्वालीफिकेशन एक है। राजस्थान के जिलों में जिस तरह से कलेक्टरों और कमीशनरों की व्यवस्था है, जिलों में भी आई० ए० एस० ऑफिसर नियुक्त करती है और उनको इस पद के लिये काफी योग्य समझा जाता है कि

[श्री भैरोसिंह]

वह ठीक तरह से जिले का काम चलाता रहेगा। जिले का एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होता है और वह अपना एडमिनिस्ट्रेशन टीक तरह से चलाता है, ऐमी मेरी मान्यता है। इसलिये केवल उनको अयोग्य समझें कि वह जिले का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ कि आई० ए० एस० की प्रतिष्ठा की भावना के यह प्रतिकूल होगा। हमने जिलों के अधिकारी नियुक्त किये हैं वे हमारे शासन की व्यवस्था ठीक तरह से चलाने के लिये मुकर्रर किये हैं। अगर उन पर किसी प्रकार से कोई अंकुश सरकार का लागू होगा तो न्याय की व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कमिश्नर के पद को, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, हटाया जावे।

माननीय अध्यक्ष, एक बार नहीं अनेक बार राजस्थान विधान सभा में इसकी चर्चा हुई बल्कि जहां कहीं बड़े बड़े राजनैतिक दल थे उन्होंने भी इस प्रकार के प्रस्ताव पास किये और कहा कि गांवों में पटेलों और लंबरदारों की स्थिति है वह सर्वथा सत्तारूढ़ दल की एक मात्र संस्था है जो उनकी आवाज बुलन्द करती है और इसको समाप्त की जावे। आज नहीं आज से कई वर्ष पहले इसके बारे में जनता ने मांग की थी कि यह ये लोग ब्रिटिश सरकार के एजेन्ट हैं और उन लोगों को वहां की पब्लिक की सब सूचना देते हैं, इसको समाप्त की जावे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके उत्तर में कहा जाता है कि इनसे कई काम लिये जाते हैं। लेकिन जब हमने पंचायतों के लिये पंचायत एक्ट बनाया है और हम यह चाहते हैं कि गांवों के रहने वालों को काफी अधिकार दिये जावें और दिये हैं इसके अलावा आप यह भी चाहते हैं कि गांवों के रहने वाले लोग अपने गावो की व्यवस्था खुद करें और अगर वे किसी प्रकार का हेर फेर किसी बातों में करना उचित समझें तो करें। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज राजनैतिक कारणों से हम कुछ उनके अधिकारों में हेर–फेर करना चाहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी जो भावना है उनके साथ कोई को ऑर- डीनेशन नहीं सकेगा और हमें यह सोचना पड़ेगा कि कौनसी चीज महत्वपूर्ण है और कौनसी नहीं और किसको कहां रखना आवश्यक है और कौनसी चीज को वहां से आसानी से समाप्त कर सकते हैं।

वैसी सूरत में हम पंचायतों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकेंगे। पंचायत बनाने पर यदि पंचायतों से शासन व्यवस्था ठीक नहीं कर सके हों, हालांकि वैसा एक्सीपीरियन्स हमें अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे एक्सपीरियेन्स के आधार पर कह सकेंगे कि पंचायतों पर निर्भर रहें या अंकुश लाना है। लेकिन कार्यकाल है उसमें विशेष जानकारी न होने के कारण लम्बरदार, विलेज सर्वेन्टस, वाचमेन जैसी संस्थाओ का निर्माण कर रहे हैं और जिनका कोआर्डिनेशन पंचायतों से है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गावों की व्यवस्था का बिगाड़ना है यदि उन नम्बरदारो, विलेज सर्वेन्ट्स और वाचमेन को पंचायतों के आधीन नहीं रखते हैं और उनका कन्ट्रोल पंचायतों के सिवाय दूसरों के हाथ में देते हैं। पंचायतों को गांवों की सुरक्षा और उन्नति के बारे में अधिकार दिये हैं वे जितनी व्यवस्था समझें सरकार की स्वीकृति लेकर व्यवस्था करें, धन की आवश्यकता हो तो किसी

Page No.47

[श्री भैरोंसिंह]

प्रकार का टैक्स लगायें, लेकिन जो लोग डाइरेक्टली जिम्मेदार हैं कि गांवों की व्यवस्था किस प्रकार हो उनको व्यवस्था न दी जाकर अगर कलेक्टर या एस. डी. ओ. को उनको व्यवस्था का भार दिया जाता है तो एक ही कारण होगा; पंचायत और उन लोगों में हमेशा झगड़ा और काम के लिए संघर्ष बाजी में समय निकल जायगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है, जनता को जो भावना है उसको नहीं निभाया गया है, इस कानून में ग्राम पंचायतों को लगान लेने का अधिकार नहीं दिया गया है लेकिन यह केवल उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है जो कि जनता की भावना के विपरीत हैं, ग्राम पंचायतों की शासन व्यवस्था के प्रतिकूल हैं और मैं फिर निवेदन करूंगा कि जब तक पंचायतों का अंकुश उन लोगों पर, विलेज सर्वेन्ट, वाचमेन, लम्बरदार पर नहीं होगा, यह कानून अधूरा है और इस प्रकार का कानून उनमें संघर्ष पैदा करने वाला है ।

तीसरी चीज़ जो मुझे कहनी है वह यह है कि आज-कल जनता की जो भावना है वह यह है कि सरकार के पास जो अधिकार है उनका किसी रूप में विकेन्द्रीकरण हैं । जनता की मांग है और और जितने लेजिस्लेटर्स हैं उनकी यह भावना बढ़ती जा रही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट को चलाने के लिए जो उसके सदस्य होते हैं वे तो केवल पोलिसी बनावें और उस पोलिसी को एक्ज़ीक्यूट करने की जो व्यवस्था है उसका नीचे के लेवल तक विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय और उसका मतलब यह होता है कि नीचे के क्षेत्रों तक विकेन्द्रीकरण हो । जिन लोगों को राजस्थान सचिवालय में आकर आदेश प्राप्त करने पड़ते हैं वे सारे के सारे नीचे के लोगों से ही उनको मिल सकें, ऐसी व्यवस्था करनी है । लेकिन इस कानून में पटेल, पटवारी, वाचमेन, चौकीदार है; किसी को अपील करना है, किसी को किसी मामले में फाइनल ऑर्डर्स प्राप्त करना है, किसी प्रकार की शिकायत करनी है, तो वह राजस्थान के सचिवालय में आये और राजस्थान के राजस्व मंत्री के पास आकर अपील या शिकायत पेश करें । अपील और शिकायतों का सम्बन्ध राजस्थान सरकार के बड़े २ अधिकारियों के पास होना चाहिये, उनका सुनने का उनको अधिकार होना चाहिये, वे सुन सकें लेकिन उनका अन्तिम द्वार भी तो होना चाहिए और वह अन्तिम द्वार इसमें रक्खा है । अपील करने का एक लालच है और यदि राजस्व मंत्री अपना फैसला दे दे; सरकार ऐसा फैसला दे सके जिसकी अपील दिल्ली और आगे हो सके तो और लोगों को संतोष हो सकता है; लेकिन छोटे २ अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार दें जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके और कम लिटीगेशन हो और उससे जो व्यवस्था बन सके उसका उसमें सर्वथा अभाव है और इसमें यह व्यवस्था है कि छोटे से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकार सचिवालय में रहें; अभी कोई अधिकार बचे नहीं । ऐसी सूरत में हम यह कहें कि हमने लोगों को न्याय दिया है, सस्ता न्याय देने का जिस कानून में अभाव हो, सत्ता का केन्द्रीयकरण हो वह अच्छा कानून और लोगों को राहत देने वाला कानून कैसे कहा जा सकता है ? आज पहले भी १९४९ में राजस्थान बनने से पहले राजाओं के राज्य थे, जयपुर रियासत में भी लैंड रेवेन्यू कानून था और जोधपुर में भी मारवाड़ लैंड रेवेन्यू कानून था और राजस्थान के बनने के

[श्री भैरोंसिंह]

बाद बनने वाले कानून को उसके साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार उस वक्त में उन कानूनों द्वारा सत्ता का केन्द्रीय करण किया गया था उसी प्रकार इस कानून द्वारा भी केन्द्रीयकरण ही किया जा रहा है। इस कानून में भी वही केन्द्रीय करण है। आशा तो यह थी कि जनता जनता में और जनता के नियुक्त अधिकारियों की भावनाओं में आपस में सामन्जस्य हो, छोटे २ लोगों को न्याय सस्ता मिल सके और आपस में मिलजुल कर गांवों में अच्छी व्यवस्था बना सकें, इस प्रकार का प्रोविज़न इस कानून द्वारा किया जायगा; लेकिन जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा इस कानून से गांवों की उन्नति की आशा करना केवल दुराशा ही है और आशा करनी भी नहीं चाहिये।

सबसे मोटी चीज़ जो आती है वह है लगान सम्बन्धी। हमने व्यवस्था की है कि लगान किस प्रकार से लगावे। लगान निश्चित करने में कौन कौन से फेक्टर्स को ध्यान में लेंगे और उन फेक्टर्स को निश्चित करेंगे ? इस लगान के सम्बन्ध में पहले भी चर्चा हुई है और राजस्व मंत्रीजी ने महसूस भी किया था। जिन काश्तकारों पर लगान दायर कर रहे हैं, लगान दायर करने का जो तरीका हो वह किस प्रकार का हो, उसकी भी व्यवस्था की है। लेकिन जो तरीका पहले के कानूनों में निर्धारित किया गया है उस तरीके को देखें और यदि इस कानून में निर्धारित तरीके को देखें तो पता चलेगा कि इनमें कोई विशेष प्रकार का अन्तर नहीं है। उनमें जो लगान निर्धारित किया है उनसे इतना ही हुआ है कि पहले के कानून में एक तिहाई हिस्से पर लगान निश्चित करते थे और वह हमने इसमें १/६ पर लगान निश्चित करने की योजना बनायी है। लेकिन केवल इस प्रकार का अन्तर ला देने से ही ठीक नियमों के आधार पर, ठीक रीति-नीति के आधार पर काम लिया जायगा, यह आशा नहीं की जा सकती है और यही एक मोटा कारण है।

हमने जो कानून बनाया, उसके लिए पहले का रेकर्ड लिया। पहले के वर्षों का रेकर्ड लिया जा सकता है, लो क्राप का एवरेज लिया जा सकता है, वहां के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रोप के बेसिस के ऊपर ही लगान लिया जा सकता है। वही लगान को निश्चित करने का आधार भी है, जिसमें किसी का पांच साल, दस साल या बीस साल का एवरेज लिया जा सकता है। इस प्रकार से क्रोप कटिंग एक्सपेरिमेन्ट हो और उसका एवरेज लगान निश्चित करने के लिये आधार माने तो हमें मालूम हो सकता है कि अमुक भूमि में परिस्थिति, जलवायु आदि के आधार पर इतनी पैदावार हो सकती है और उस पैदावार पर रेन्ट लगाया जाना चाहिये, लेकिन क्रोप कटिंग एक्सपेरिमेन्ट की न तो हमने इसमें व्यवस्था की है और व्यवस्था की ही नहीं लेकिन उसकी मान्यता भी इस कानून में नहीं है। प्रोड्यूस का रेन्ट लेने की व्यवस्था हमने इस कानून में नहीं की है और जब तक इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में नहीं कर लेते हैं तब तक यह कानून अधूरा है। मैं यह विश्वास के साथ कहूँगा कि जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्रोप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो सकता है उसका इस कानून में जो काश्तकारों के लिये भी हितकर हो सकता है और जो सरकार के हित में भी है जो कि लगान लेती है वह चीज़ अच्छी हो सकती है, इसमें ऐसी बात नहीं रखी गई है।

[श्री भैरोंसिंह]

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के लगान सम्बन्धी नियमों के साथ साथ काश्तकारों को और सुविधायें भी होनी चाहिए जिनका कि इस कानून में जिक्र तक नहीं किया गया है। चूंकि सुविधाओं के बारे में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने आश्वासन दिलाया था कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है या जिनको कहना कि अनइकोनोमिक होल्डिंग है उन अनइकोनोमिक होल्डिंग वाले काश्तकारों के लिए जब यह निश्चय कर लिया जायगा कि अमुक काश्तकार के पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है, ऐसा हो सकता है कि इस सम्बन्ध में घोषणा राजस्थान सरकार बाद में करे लेकिन इसका निश्चय अमुक अनइकोनोमिक होल्डिंग के साथ साथ करना था और उसकी व्यवस्था भी करनी थी वह व्यवस्था फिर हो जायगी। लेकिन अनइकोनोमिक होल्डिंग के ऊपर काश्तकारों के पक्ष में यह देखें कि खेती के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है, खेती के सिवाय दूसरा धन्धा कर रहे है, लेकिन जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हैं।

तो इस सूरत में सरकार की ओर से किन किन को किस प्रकार की रियायतें की जायेंगी इसमें व्यवस्था नहीं की गई है।

बाढ़ के समय, अकाल के समय और अकाल के अलावा भी और कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें सरकार की ओर से काश्तकारों को किस प्रकार की रियायतें दी जायंगी इसके अधिकार तो इस कानून में हैं, लेकिन वे रियायतें किस प्रकार की हो सकती हैं इसकी व्यवस्था इसमें नहीं की गई। जिस वक्त अकाल का समय आयेगा सरकार लगान में छूट देगी लेकिन अकाल के अलावा भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें रियायतें देना आवश्यक है। ऐसा देखा जाता है जहां वास्तव में अकाल होता है वहां तो लगान की छूट नहीं दी जाती और जहां अकाल जैसी कोई समस्या नहीं वहां अकाल में छूट दी जाती है। काश्तकारों को किसी प्रकार की छूट नहीं केवल यह दिखाने के लिये कि अकाल होने के कारण छूट दी गई है, केवल दो चार आने की छूट कर दी गई है। जब तक इस प्रकार की छूट की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। जिस कानून के अन्दर लगान निर्धारित करने की व्यवस्था है और उस कानून में यदि लगान छोड़ने की व्यवस्था नहीं तो इसका राजनैतिक स्टंट की तौर पर इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में नहीं है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा, जो पांच-सात बातें मैंने आपके सामने रखीं उनकी इसमें कमी है इसलिये इस कानून को पास नहीं करना चाहिये, बल्कि इस पर दुबारा विचार करके ठीक प्रकार से कानून सदन द्वारा पास करना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, लेन्ड रेवेन्यू बिल का तीसरा रीडिंग हाउस के सामने है। इस बिल के सम्बन्ध में मैं यह कहने को तो तैयार नहीं कि यह एक आदर्श बिल है। इसके अन्दर जो चीजें रखी गई हैं वे तमाम की तमाम पसन्द हम करते हों, यह बात नहीं है लेकिन जहां तक इस चीज का सवाल है कि आया इसको पास किया जाय कि नहीं मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसको पास करने में कुछ देरी की जायगी तो किसानों को और जनता को इस देरी

[श्री गोपीलाल यादव]

से नुकसान होने वाला है । जब से टिनेन्सी एक्ट पास हुआ है तब से इस एक्ट के बहुत से कानून रद्द कर दिये हैं । अगर लेन्ड रेवेन्यू बिल पास नहीं होगा तो बड़ी दिक्कतों का सामना कोर्टस् को करना पड़ेगा ।

मैं आपको यह बतलाऊं कि कोई कानून ऐसा नहीं है जो लेन्ड रेकार्ड की एन्ट्रीज़ के सम्बन्ध में लागू किया जाय या किस तरह यह बनाई जाय । नतीजा यह हो रहा है कि नीचे के जो कोर्टस् हैं वे केसेज़ को लेने से इन्कार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई लेन्ड रेकार्ड के सम्बन्ध में कानून नहीं है ।

इसलिये जो यह कानून बनाया गया है इसको जब तक हम पास नहीं करते तब तक सारा काम यों का यों पड़ा रहेगा । पार्टीशन वगैरह के सम्बन्ध में जितनी भी बातें सेटलमेंट होने के लिये, जो चीजें इस वक्त तक अमल में आती रही हैं वे करीब-करीब खत्म हो चुकी हैं । पुराने जो कानून चल रहे हैं वे इसके निस्बत कितने ही रिएक्शनरी हैं । मैं आपको यह बता दूं और मैं यह कह सकता हूं कि यह बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बिल तो नहीं है, फिर भी अगर इसको चार छः महीने और पटक दिया जायगा तो राजस्थान के अन्दर एक प्रकार से केओस पैदा हो जायगा । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय । मैं यह मानता हूं जहां तक रेवेन्यू बोर्ड का ताल्लुक है, उसके सम्बन्ध में जो अध्याय इस बिल में है उससे मैं किसी प्रकार भी सहमत नहो हूँ । वह चेप्टर ऐसे समय पास हुआ जब कि हम लोग यहां मौजूद नहीं थे, हमें नहीं मालूम वह कैसे इस तरह से पास होगया । इसको पहले डेफर कर दिया गया था और बाद में इसको एकदम ले लिया गया । अगर इस बारे में हमें पहले सूचना मिलती तो हम सदन के सामने और राजस्व मंत्री महोदय की जानकारी के लिये अपने विचार रखते और अपने सुझाव देते । तो रेवेन्यू बोर्ड के सम्बन्ध में जो शिकायत हम लोगों को है वह इस बिल द्वारा भी यों की यों बनी हुई है । हम में से हरेक आदमी या इस सदन के कम से कम ६० फीसदी सदस्य रेवेन्यू बोर्ड को जिस तरह का बोर्ड बनाना चाहते हैं वैसा इस एक्ट द्वारा नहीं बनता । यही चीज बनी रही तो जैसा अभी हुआ एक बहुत काबिल और निहायत तजुर्बेकार रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया । यह चीजें इस एक्ट से भी इसी प्रकार रहने वाली हैं । जब कि रेवेन्यू बोर्ड के सामने कमिश्नर्स की अपीलें होती थी अब यह हो रहा है कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन को कमिश्नर्स बनाकर भेज दिया गया । इस चीज के लिये मैं राजस्व मंत्रीजी से कहूँगा कि वे इस पर केबीनेट में फिर से विचार करें और इस संबन्ध में एक नया अमेन्डेड बिल लायें, और मेरा यह मानना है कि उन्हें लाना पड़ेगा । हम ऐसा रेवेन्यू बोर्ड बनायें जो हाईकोर्ट की तरह बिल्कुल इनडिपेन्डेन्ट हो जिसमें गवर्नमेन्ट को किसी प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं । अभी ऐसा हुआ कि एक मेम्बर को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमेन बनाया गया, श्री श्यामलाल जैन को उसके दूसरे ही दिन एक नया आर्डर निकला कि एक दूसरे व्यक्ति को परमानेन्ट चेयरमेन बनाया गया और उनको ओफिशियेटिंग चेयरमेन रखा है, जब कि हम श्यामलालजी को बधाई दे आये थे । इसी

[श्री गोपीलाल यादव]

प्रकार जो रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर थे उनको कमिश्नर बनाकर भेजना, यह बड़े शर्म की चीज है। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई आदमी पसन्द नहीं करता। इस संबन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें इस पर जल्दी से जल्दी विचार कर रेवेन्यू बोर्ड को ऐसी लाइन्स पर ढालें जिससे किसी भी आदमी को यह कहने का मोका न मिले कि इसमें गवर्नमेन्ट हस्तक्षेप कर सकती है। रेवेन्यू बोर्ड में वे ही आदमी रह सके जो स्वतंत्र राय रखते हों, जिन पर सरकारी हस्तक्षेप किसी प्रकार से न हो, इस प्रकार के प्रयत्न हमें करने चाहिये।

इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी मेरे एक मित्रने यह कहा था कि कमिश्नर का पद हटा देना चहिये। ये बातें वे हो लोग कह रहे हैं जिन लोगों को वास्तविकता का ज्ञान नहीं। जिस वक्त हमने टिनेन्सी एक्ट बनाया उस वक्त हमने यह कोशिश की कि जो न्याय मिले वह एफीशियेन्ट लोगों से मिले। इस प्रकार से जो बहुत सी छोटी छोटी अपीलें भी थी वह कलेक्टर्स के पास थी, अब वे कमिश्नर्स,के पास आ गयीं; रेवेन्यू बोर्ड में टिनेन्टस प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के तहत जितने मामले पड़े थे इस कानून की तहत कमिश्नर के यहां आ गये। इस तरह से कमिश्नर्स के पास इतना काम है, यदि कमिश्नर्स केवल केस वर्क का ही काम सारे दिन करें तो भी वे खत्म नहीं कर सकते, दूसरी ड्यूटीज़ अलग हैं। जहां लोगों की यह राय है कि इस ऑफिस को खत्म किया जाय मेरा यह कहना है कि उनको और ज्यादा स्टाफ दिया जाय। जयपुर कमिश्नर का यह हाल है जहां जो दो कमिश्नर हैं उनके पास एक ही स्टेनो है, जो विचारा कुछ घंटे एक के पास काम करता है कुछ घंटे दूसरे के पास। उस विचार को खाने पीने तक की फुरसत ही नहीं मिलती। और इस तरह से काम भी अच्छी तरह नहीं होता। इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि कई सौ केसेज ऐसे हैं जो टिनेन्सी एक्ट के तहत आये, जो कमिश्नर के दफ्तर में रेवेन्यू बोर्ड से ट्रान्सफर हुए, जिनको एक तरफ डाल दिया गया था...

श्री अध्यक्ष—But how this is relevant here?

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह बता रहा हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं जिनके कारण कमिश्नर का पद रहना चाहिये और कमिश्नर का पद आवश्यक है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता।

इसके अलावा रेन्ट वगैरह का जहां तक संबन्ध है, चौकीदार वगैरह का जहां तक संबन्ध है मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि यह विलेज पंचायत को सौंप दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि विलेज पंचायत अलग चीज है।

जहां तक रेवेन्यू बोर्ड से ताल्लुक इस बिल का है उसमें हम सब को शिकायत है। बाकी चीजों के अन्दर शिकायत होते हुए भी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके कारण मौजूदा जो भी कानून चालू है उनसे यह बेहतर है। अगर यह पास नहीं हुआ तो भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में जहां इतनी गड़बड़ियें हो रही हैं कि बहुत से अफसर यह समझ नहीं सकते कि इन सारे कानूनों को किस प्रकार इम्पोज़ करें और किस तरह उन अलग अलग कानूनों को काम में लेंगे, एक कानून

[श्री गोपीलाल यादव]

बनाना निहायत आवश्यक है और उसको लागू करना भी आवश्यक है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस कानून को पास कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य जब बोल रहे थे और यह फरमा रहे थे कि यदि इस कानून को जल्दी से जल्दी पास नहीं किया और एक दिन अथवा एक घन्टे की देरी होगई तो केऑस की स्थिति हो जायगी।

श्री गोपीलाल यादव—Already there exists.

श्री हरिकृष्ण व्यास—और अभी तक वैसो स्थिति है। ऑलरेडी, तब अचानक मेरा ध्यान जिस कानून का प्रस्ताव रेवेन्यू मन्त्री महोदय ने पेश किया है उसके अन्तिम भाग, सेकन्ड शेडूल की ओर गया, जिसमें उन कानूनों का उल्लेख है कि जिन्हें इस कानून के पास करने पर रद्द करने जा रहे हैं। राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस् जुरिस्डिक्शन एक्ट, १९५१, राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट डेजिग-नेशन ऑर्डिनेन्स, १९४९, राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डीनेन्स, १९४९, इत्यादि इत्यादि और पुराने राज्यों के लेन्ड रेवेन्यू एक्ट और लेन्ड रेवेन्यू कोड्स यह सब मौजूद हैं और यह राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस् जुरिस्डिक्शन एन्ड प्रोसीरज़ल एक्ट, १९५१, यह चीज मौजूद है। मेरा खयाल है कि जिस एक्ट का हम आज यहां उल्लेख कर रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि इसको जल्दी पास कर दिया जावे उसमें उन प्रोसीजरल कानूनों में जो कि आज मौजूद हैं, कल जो सब्स्टेन्टिव दूसरे कानून हैं और जो पहले से मौजूद थे राज्यों के समय में, उनमें कहीं बुनियादी परिवर्तन किया है। कौनसी ऐसी चीज हमें नई मिली या किसानों के हक में लागू की हैं इसका उल्लेख यदि माननीय सदस्य करते तो यह सोचता हूं कि बहुत सी खामियां होते हुए भी सदन उनकी राय का समर्थन कर देता। लेकिन ऐसी कोई बात उनकी तरफ से प्रस्तुत नहीं हुई बल्कि रेवेन्यू बोर्ड के निर्माण के बारे में अथवा रेवेन्यू बोर्ड के सिलसिले में मौजूदा जो कार्य प्रणाली चालू है उसके बारे में जिक्र किया है और मेरे खयाल से सभी जितनी बातें उन्होंने कहीं उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण बताई है। सही और सच्ची बात यह है कि ९० फीसदी लोगों को असन्तोष है, इस सदन में बैठने वालों का। मेरा खयाल है कि मेरे और उनके कहने में केवल मात्र इतना और संशोधन होगा कि रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जिस प्रकार का असन्तोष है, उस प्रकार का इस बिल के और कई अंगों और कई भागों में हैं, जिनके बारे में थोड़ा गौर करने पर असन्तोष होना चाहिए, किसी भी आदमी को जिसकी दिलचस्पी किसानों को आज सस्ता न्याय दिलाने के सिलसिले में रहती है और आसानी से उनकी समस्याओं को सुलझाने के बारे में जिसकी कानून बनाने की इच्छा है। मैं उन चीजों को दोहराना आवश्यक नहीं समझूंगा, मान-नीय अध्यक्ष, जिनकी ओर संकेत अभी कुछ समय पहले बोलने वाले दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने किया था। मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस बिल के मुख्यतर तीन भाग हैं। एक भाग है रेवेन्यू अदालतों के निर्माण के सिलसिले में अथवा रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति के सिलसिले में। दूसरा भाग है सर्वे और सेटिलमेंट के सिलसिले में, और तीसरा मुख्य

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

भाग जिसे मैं कहूंगा वह प्रोसीजरल भाग है। अमुक कार्य के सिलसिले में अमुक जगह, अमुक अवधि के अन्दर दरख्वास्त देनी चाहिये और इस प्रकार से उसका निर्णय होगा। अमुक अधिकार निर्णय करेगा। कहां अपील होगी, किन को अपील होगी, इत्यादि, इत्यादि।

जहां तक पहला हिस्सा जिसका ताल्लुक रेवेन्यू कोर्ट्स अथवा रेवेन्यू आफिसर्स की नियुक्ति से है उस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। जो सर्वोच्च रेवेन्यू अदालत है जिसका कि नाम रेवेन्यू बोर्ड है उस पर और अब ज्यादा कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए कि पहले से ही उसके सम्बन्ध में राय देते हुए माननीय सदस्य ने इस बात को कबूल किया है कि इस मामले पर केबिनेट को फिर से विचार करना चाहिए। इसलिए मैं उस पर ज्यादा समय सदन का नहीं लेते हुए आपके जरिये, माननीय अध्यक्ष, इस बिल के दूसरे भाग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सदन का। मेरा बहुत नम्रता से ऐसा निवेदन है कि चाहे अपने दिमाग की कितनी ही सन्जीदगी से कार्य किया हो; यह अच्छा है, यह मानकर कम्प्लीट रूप से विचार करके यह बिल पेश किया है लेकिन मैं एक मिसाल के जरिये यह स्पष्ट कर दूंगा, और अभी आपकी आज्ञा से वह मिसाल रेवेन्यू बोर्ड के अधिकार पर प्रस्तुत करूंगा जिससे यह साफ हो जायगा कि गम्भीरता से विचार करना तो दूर, जिन चीजों पर इस सदन ने पहले विचार करके अपनी राय बना ली और राय बनाई ही नहीं उस राय का एलान कर दिया, एलान ही नहीं किया बल्कि एलान करने के बाद मंजूर शुदा राय के तौर पर मोहर लगा दी, आज अचानक उसी प्रश्न पर उसी रूप में पुनर्विचार करने का मौका आया तो आज हमारी राय उस राय से भिन्न ही इस बिल के अन्दर प्रोवीजन करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर पर रेन्ट के सिलसिले में जो क्लॉज़ १५२ सी है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। क्लॉज़ १५२ सी के भाग (ए) में शब्द इस प्रकार के हैं अध्यक्ष महोदय, "The Collections from rent" यानी सेटिलमेंट ऑफिसर रेन्ट रेट मुकर्रर करते समय किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखेगा उसका उल्लेख करते हुए यह सबक्लॉज़ इस प्रकार से है। सबसे पहले जिस चीज का ध्यान वह रखेगा वह यह है—"The Collections from rent and cesses in the nature of rent during the twenty years preceding the settlement, excluding such years as the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, declare to be abnormal" वैसे तो आवश्यकता नहीं थी कि इस सब क्लॉज़ के सारे के सारे शब्दों को पढ़कर सुनाता लेकिन चूंकि मैं अभी एक और दूसरे कायदे-कानून की इस प्रकार की उपधारा का उल्लेख करने वाला हूँ कि जिसका इस सदन की एक सिलेक्ट कमेटी ने विरोध करने का निर्णय लिया था। अतः यह आवश्यक हो गया कि जिसका उस समय विरोध किया था और उसके शब्दों और मौजूदा धारा के शब्दों का कम्पेरिज़न भी किया जा सके इस वजह से जिस एक्ट को पास करने की सिफारिश की जा रही है उसको एक सब क्लॉज़ का उल्लेख किया है और उसे पढ़कर सुनाया है।

राजस्थान समेरी सेटिलमेंट एक्ट, १९५३, जिसको इस सदन ने पास किया, उसके बिल रूप में एक धारा मौजूद थी। वह धारा ८ की इसी प्रकार की उपधारा (ए) थी और उसके जो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

शब्द थे, अध्यक्ष महोदय, कि सेटिलमेंट ऑफिसर किन २ चीजों का ध्यान रखेगा एग्जेक्टली वही शब्द थे--

"The collections from rent and cesses in the nature of rent during the ten years preceding the date of the publication oi the notification under subsection (1) of section 3 excluding the abnormal years." तो सिवाय इसके कि १० से २० यह परिवर्तन हुआ है, बाकी जो शब्द अरीजिनल समेरी सेटिलमेंट बिल में थे वही के वही इसमें आज मौजूद हैं और जब वह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने गया तो सिलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी राय बनाई थी जो राय उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में मौजूद हैं, कि राजस्थान राजपत्र, तारीख १४ फरवरी, १९५३, के पेज ७७९ पर जहां कि वह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट छपी हुई है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अध्यक्ष महोदय :

"In view of the fact that the record of such collections may not be easily available and in some cases may be of doubtful authenticity and also because high rents were prevailing some years back which have now been statutorily reduced the Committee came to the conclusion that the actual collection of rents should not form any basis for arriving at rent rates. Hence para (a) of the sub-clause has been deleted by the Committee." और कमेटी की यह राय सदन ने स्वीकार की। उस बिल के क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (ए) को छोड़ दिया गया था कमेटी के द्वारा और सदन ने भी वैसा ही रखा। समेरी सेटलमेंट एक्ट जब पास हुआ उसमें इसमें इस प्रकार की धारा आप नहीं पायेंगे।

प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि एक चीज जो हमने उस समय छोड़ दी थी वह अब हमारे कानून में कैसे आ गई; प्रश्न बड़े उसूल का है कि जिस उपधारा पर इस सदन द्वारा नियुक्त सिलेक्ट कमेटी ने और उसकी रिपोर्ट पर सदन ने निर्णय दिया था कि राजस्थान में रेन्ट के बारे में जो कुछ इत्तलाएं हैं वे ना काफी हैं और कई बार झूंठी भी हैं और गलत भी हैं, जिनके ऊपर हम अपने आपको निर्धारित नहीं कर पायें। बल्कि इतना ही नहीं राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में रेंट के बारे में अलग अलग प्रणालियां प्रचलित हैं और साथ ही साथ कानून ने उनको कम किया है, पहले कहीं आधा बांटा था, कहीं तीसरा बांटा था, बीच में उसे चौथा बांटा किया और फिर छठे बांटे का कानून लगा, इसलिये पिछले १० साल के रेंट रेट पर ध्यान देना आवश्यक नहीं। पहले की रेंट रेट ज्यादा थीं, उन्हें कानून ने कम कर दिया तो पुराने रेंट रेकर्ड को देखने की आवश्यकता नहीं। इसलिये सिलेक्ट कमेटी ने निर्णय दिया कि इस धारा को हटा दिया जावे और सदन ने उसे मान लिया। आज अफसोस है, खतरनाक स्थिति है जिसके बारे में आशंका है और चिन्ता है कि इतनी गम्भीर बात को फिर से लैंड रेवेन्यू बिल में लागू करने चले हैं, जिसको इतने विचार के बाद विलुप्त करने का निर्णय हम ले चुके हैं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसका नतीजा यह होगा कि सिलेक्ट कमेटी ने जिस चीज़ के लिये कहा कि पहले रेंट रेट ज़्यादा थीं उससे किसानों पर पहले बड़ा बोझा पड़ता था अब फिर हम उसी चीज को रेंट रेट मुकर्रर करने में आधार मान कर किसानों पर बड़ा बोझा लादने जा रहे हैं। किसानों पर यह बोझा लादने में कैसे सफल हो सकते हैं, १५२-५३ धारा के रहने से वही स्थिति रहती है, इसलिये इस पर पूरा विचार किया जाय और सारे के सारे कानून पर विचार स्थगित करने की स्थिति को लिया जाय क्योंकि जो हम बिना पूरा विचार किये पास कर देंगे उसका फल राजस्थान के किसानों को वर्षों तक भुगतना पड़ेगा और अगर समेरी सेटलमेंट लागू करने में हिचकिचायेंगे और पहले हमने जो तय किया कि नहीं लगायेंगे, उसको फिर यहां लाना भयंकर अन्याय होगा। सोचता था कि इस सिलसिले में मेरे बहुत से मित्र ऐसा ही सोचते होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। कांग्रेस एग्रेरियन रिफोर्म्स कमेटी जिसके अध्यक्ष श्री जे० सी० कुमारप्पा थे, जिस कमेटी में हर सदस्य कांग्रेसी विचार धारा का ही नहीं बल्कि जिसे ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने जमीन के मामलों में, एग्रीकल्चर के कामों में एक्सपर्ट समझा उसको इस कमेटी का सदस्य लिया, उस कमेटी ने १९५० में ही जांच की है और अपने विचार रखे हैं और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि लगान के सम्बन्ध में मौजूदा प्रणाली केवल एग्जिस्टिंग सिच्यु-एशन को लीगेलाइज़ करती है, आज जो स्थिति है उसके कानूनी जामा पहनाती है, इसके बारे में साइन्टिफिक तरीके अपनाये जाने चाहिये, जिनसे हम खुद समाधानकारी रूप से संतोष कर पायें कि जो हमने किया है वह ठीक है। उन्होंने सिफारिश की थी कि लगान के सम्बन्ध में तीन—चार उसूल हर राज्य में कायम किये जाने चाहिये। पहला उसूल क्या था, वह यह था कि अनइकोनोमिक होल्डिंग पर नोमिनल रेंट लगाया जाय, रेंट के बोझे से उनको मुक्त कर दिया जाय।

जो लैंड रेवेन्यु बिल हम पास करने जा रहे हैं जिसका स्वायत्त शासन से सीधा सम्बन्ध है, उसके लिये कर लागू होने वाला है, उनके तौर पर अब तक हमने उस प्रणाली को लागू करने का जिक्र तक नहीं किया है। इतना ही नहीं आखिर इसकी क्या आवश्यकता है कि बांटा जो दे, उसी को कानूनी रूप देकर हम अपनी लगान की प्रणाली को आगे बढ़ा कर ले जायं। बांटे को जो प्रथा थी, वह एक जमाने की प्रथा थी वह सामन्ती प्रथा थी। सामन्ती तरीका था पैदावार में से हिस्सा लाटें, बांटा लें, चाहे चौथा हो, आधा हो, या दूसरे नाम से पुकारिये सामन्ती कर विशेष प्रणाली थी; जिसका ताल्लुक कहीं भी वैज्ञानिक तरीकों से नहीं था। वैज्ञानिक तरीका बनाना है तो हमको लगान का सम्बन्ध किसान की नेट इन्कम है, खर्चा वगैरह सब निकाल कर जो उसको इन्कम हुई है उससे जोड़ना होगा, लगान का सम्बन्ध किसान की नेट इन्कम से लगाना होगा; जैसा कि इन्कमटैक्स पर विचार किया जाता है या और बारे में सोचा जाता है। तो यहां लगान की प्रणाली लागू करते समय यह सोचा जाता कि जो प्रोडक्शन ऑफ हारवेस्ट है, उसका खर्चा निकालने के बाद सरप्लस हो उसका हिस्सा राज्य को अधिकार के रूप में मिलना चाहिये, यह थ्योरी है, तात्विक विचार धारा है जिसके आधार पर अपने आपको वेलफेअर स्टेट कहलाने वाली स्टेटें टैक्स को मुकर्रर करती हैं। पैदावार का एक यूनिट ऐसा मान कर, एक्सेप्शन मान कर चला जा रहा है, भारत के ८० फी सदी लोग किसान हैं, उसको छोड़ा किस लिये जा रहा है? पैदावार चाहे कुछ भी हो, स्थिति चाहे कुछ भी हो पर सरकार का जो

Page No.56

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लगान मुकर्रर है वह देना ही पड़ेगा, प्रोड्यूस में से देना पड़ेगा, सरप्लस में से नहीं और इस धारा का जो ढांचा बनाया गया है इसी उसूल से बनाया गया है कि केवल हमारा इतना मात्र काम है कि आज तक जो प्रणाली थी उसको कानूनी जामा पहना दिया जाय। ५४ गया, थोड़ा और ठहर जाते, ५५ का अन्त होने आया है इस वर्ष हम इतना नहीं कर पाये कि जो मौजूदा स्थिति है उसको कानूनी जामा पहना दिया जाय तो ऐसे कई लैंड रेवेन्यु एक्ट बने हुए हैं, कौनसा नया कार्य हम कर रहे हैं, इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय,·······

श्री अध्यक्ष— Confine your arguments to the time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am only making some submissions on very glaring aspects of the legislation.

श्री अध्यक्ष—Which are already passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And which to my mind justify a further conclusion on the part of the House that they might have been passed in whatever form but I do make bold to submit to the House that at this stage a revised opinion be drawn on the clauses which may have been passed but which may further influence the whole Bill.

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इतना ही नहीं समेरी सेटलमेंट बिल की एक धारा के बारे में बात हुई वैसी ही खतूनियों के बारे में। मैं समय की कमी के कारण या जैसा कि अध्यक्ष महोदय का इशारा है, आशा नहीं कि इन धाराओं का पूरा उल्लेख कर सकूं, पर धारा १२३ और १२४ जिनका सम्बन्ध सीधा खतूनियों से है और यह सर्व विदित है कि इस कानून में भी बेशक मैंने जिक्र किया कि समेरी सेटलमेंट एक्ट और वह कानून बनायें, सर्क्यूलर के द्वारा एक प्रणाली कायम की गई कि खतूनियां ऐसी जिम्मेवारी और आधारपूर्ण चीज है कि इसकी इत्तला किसानों को देने के बाद फिर कदम उठाना चाहिये और इसके बाद किसान को दावे की ओर एतराजात करने का मोका देने की प्रणाली शुरु की गई। एक कानून में वह प्रणाली शुरु की गई पर वह कानून समेरी सेटलमेंट के लिये था इसलिये सरकूलर के द्वारा दूसरी जगह लागू किया गया, अब खतूनियां के लिये धाराएं बनाई जा रही हैं लैंड रेवेन्यु बिल में, पर इसके एतराज के लिये प्रोविज़न नहीं किया जा रहा है और नतीजा यह होगा कि खतूनियां पूरी होने के बाद रेंट पूरी हो जायगी। खतूनियों में इतनी गड़बड़ी की गई है यह एतराज करेंगे तो सेटलमेंट ऑफीसर कहेगा कि पुरानी चीज समाप्त हुई। जिस पुरानी चीज को खत्म करने का उल्लेख इस कानून में है उसके अनुसार वह रेकार्ड किया जावेगा और किसान को इसकी इत्तिला नहीं दी जावेगी। किसान को इस की इत्तला नहीं करने का नतीजा यह होगा कि हम किसान को बहुत बड़े इन्साफ से गुमा देंगे और उसको इस बात का हक नहीं देंगे कि वह न्यायालयों से अपनी जमीन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पाने या होने का निर्णय करा सके। इसलिये जो शब्द दूसरे भाग में लगाये गये हैं और समेरी सेटलमेंट में हैं, चाहे वे अभी आपको किसी वजह से ओछे और छोटे नजर आवें लेकिन इसका किसानों के जीवन से बहुत संबन्ध है और इनका बहुत बुरा असर उन पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खामियें हैं और अगर यह कानून लागू हो गया तो ये खामियें कायम रहेंगी और अंत में इसका क्या होगा कि आज जो लगान की वसूली सेन्कराण्ड रेट पर कायम करना चाहते हैं, नहीं होगी बल्कि इस आधार पर होगी कि उस व्यक्ति के पास होल्डिंग में एवरेज कल्टीवेटेड और एवरेज इरिगेटेड एरिया कितना है, उस पर होगी और यह एक बहुत महत्वपूर्ण कमी है जो इस प्रकार के एक्ट में हम लोग पाते हैं।

अब रेवेन्यु बोर्ड के निर्माण के बारे में कहा गया है और दूसरा जिसका संबन्ध है लगान से उसके बारे मे कहा गया है। लगाने के तरीकों और, प्रोसीजर के बारे में कुछ उल्लेख करूंगा और अंत में इस बिल का बाकी का भाग है वह देखता हूं और प्रोसीजर के तरीकों की ओर जाता हूं तो देखता हूं और ऐसा मानता हूं, माननीय अध्यक्ष, कि इस पूरे के पूरे भाग में जो मौजूदा जुरिसडिक्शन और प्रोसीजर ओर्डीनेन्स है उसमें शायद ही कोई तब्दीली की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य यह होगा कि प्रोसीजर के जरिये रेवेन्यू बोर्ड को लगान लगाने में कठिनाइयें पैदा होंगी और अगर सरकार ने इस कानून को इसी प्रकार पास कर दिया तो मैं यह कहूंगा कि असंतोष निर्माण करने के लिये जल्दी से जल्दी पास कर सकती है। अगर सरकार को इसे जल्दी से जल्दी पास करना है तो दूसरी बात है, मगर इससे जो मौजूदा स्थिति है, उसमें क्योस हो जायगा और लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाएंगे व हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके लिये माननीय सदस्य ने वाक्य-चातुर्य से यह बताने की कोशिश की कि इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होगी। मैं यह कहूंगा कि ये कमियें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन कमियों को पूरा करने के लिये कोई तरीका निकाला जावे और वह तरीका यही है कि इसको पास करने के पहले इनको दूर करने का प्रयत्न किया जावे और ऐसी दुरुस्ती करने के बाद ही इसको पास करना ठीक होगा। इसलिये इस बिल को पास करने में मैं अपनी राय देने के लिये असमर्थ हूं। मैं मानता हूं कि दूसरा तरीका यह है कि अगर माननीय मंत्री महोदय अपना यह प्रस्ताव वापिस ले लें तो हो सकता है।

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, लेन्ड रेवेन्यू बिल में क्या गलतियें रह गई हैं, उनके लिये तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ जब बिल लिया गया था उस समय बहुत संशोधन आये थे और माननीय सदस्यों ने तरह तरह से अपने विचार प्रकट किये। इस समय इसका तीसरा वाचन हो रहा है। इस समय यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हानियें हैं। हमें विचार इस बात का करना है कि मौलिक मत-भेद क्या है, इस चीज के दो भाग किये जा सकते हैं। एक रेवेन्यू जस्टिस और दूसरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। यह बिल दोनों भागों में अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक रेवेन्यू जस्टिस का सवाल है रेवेन्यू बोर्ड जो सब से ऊपर है वह भी गवर्नमेंट के प्रभाव से वंचित नहीं रखा गया है। दूसरा जस्टिस के मामलों में हाई कोर्ट में कोई भी व्यक्ति पहुँच

[श्री शम्भूसिंह]

कर और अच्छे से अच्छा इन्साफ प्राप्त कर सकता है। रेवेन्यू केसेज़ में भी लोगों की बहुत प्रोपर्टी इन्वोल्वड होती है और रेवेन्यू केसेज़ में रेवेन्यू बोर्ड हाईएस्ट ऑथोरिटी है और हाईकोर्ट की तरह ही रेवेन्यू केसेज़ के फैसलों का अवसर लोगों को दिया गया है। इस पर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का का प्रभाव नहीं होना चाहिये। इसलिये माननीय अध्यक्ष, रेवेन्यू जस्टिस के लिहाज से यह अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

अब प्रश्न है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके लिहाज से यू० पी० और दूसरे देशों के रेवेन्यू एक्ट को मद्देनजर रखा गया तो इसको अगर Revenue Bill Adaptation Act कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसमें कोई मौलिकता नहीं है। उसमें से राजस्थान में जो लागू है उसमें एक बात हटा दी गई है और यू० पी० वगैरह में तो वह लागू की गई है।

वहां का एडमेनिस्ट्रेशन अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था और वे विदेशी थे और उन्होंने जो कानून बनाये वे अपने हित के लिए बनाये थे, प्रजा के हित के लिये नहीं बनाये थे। लेकिन अब काफी समय बदल गया है और अब जो कानून बनाये जाते हैं वे सब प्रजा के हित को दृष्टि में रख कर बनाये जाते हैं। इसलिये इस दृष्टि से यह बिल प्रजातान्त्रिक नहीं कहा जा सकता। इस वक्त जब कांग्रेस सरकार सोशियलिस्टिक का नारा बुलन्द करती है और दूसरी तरफ इस प्रकार के अप्रगतिशील बिल लाती है। यह आप देखेंगे कि प्रजातन्त्र की दशा में आपको ले जाएगा, ऐसा यह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है। कई जगह इस प्रकार के रेवेन्यू रेंट की व्यवस्था नहीं है...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य दूसरी जगह, किस प्रकार के रेन्ट हैं बताने की कृपा करें?

श्री शम्भूसिंह—इस प्रकार के रेवेन्यू रेन्ट की व्यवस्था नहीं है। वहां रेवेन्यू एग्रीकल्चर इन्कम लिया जाता है। अगर इसमें भी आप यह व्यवस्था कर दें कि इतना एग्रीकल्चर को मुक्त कर दिया जावेगा और उसके ऊपर जो आमदनी होगी उस पर एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स वसूल किया जावेगा। रेन्ट को बात किसानों के हित में नहीं कही जा सकती।

दूसरी बात यह सामने आई कि रेंट पंचायतों को क्यों नहीं सौंपा गया। यह तो होता कि जिन गांवों से रेन्ट वसूल किया जाता उन्हीं गांवों के हित के लिये लगाया जाता। मगर न तो रेन्ट पंचायतों के सुपुर्द किया और न किसानों को इससे मुक्त किया और उनके सरप्लस पर लागू करने की व्यवस्था की गई। इसलिये मौलिक मतभेद हैं, इसलिये यह बिल पास होना नहीं चाहिये और होना यह चाहिये कि इसके स्थान पर प्रगतिशील नया बिल लाना चाहिये और उस पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह ।

श्री जवानसिंह—अभी जो प्रस्ताव पेश हुआ है लेन्ड रेवेन्यू बिल को पास करने के सिलसिले में मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमने, पुरानी रियासतों के वक्त कह दीजिये, ब्रिटिश टाइम कह दीजिये, कानून लैंड रेवेन्यू के सिलसिले में देखे थे, जिनको काम में लेते हुए पाया था उनका करीब करीब हूबहू वही नमूना राजस्थान के लिए भी पेश हुआ है और उसके लिए शायद सरकार बड़े गौरव से यह कहती है कि इसको पास कर दिया जावे ।

मुझे इसमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई कि जिसकी वजह से उन्होंने हिम्मत करके यह प्रस्ताव पेश किया । हमें यह उम्मीद थी कि हम आजादी हासिल करने के बाद में बहुत बड़े २ कदम उठावेंगे और इस प्रकार की तरक्की हर कोने की तरफ करेंगे, हर रास्ते की तरफ बढ़ेंगे चाहे वह लैंड रेवेन्यू का हो, चाहे वह टिनेन्सी का हो, चाहे वह इन्डस्ट्रीज़ का हो । हर दिशा में हम तरक्की करेंगे । लेकिन जब इस प्रकार का कानून हमारे सामने आता है तो जो आशा हमारे दिलों में थी वह तमाम की तमाम खत्म हो जाती है । हम सोचा करते हैं कि क्या हम ऐसी ही तरक्की कर पायेंगे ?

मैं दो-चार बातें जो इस कानून को पास करते वक्त सदन में आयी थीं, उनकी ओर खास तौर पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । एक ओर से यह प्रस्ताव आया था कि यह तमाम की तमाम कार्यवाही जो लैंड वसूली के लिए की गई है, उस तमाम के तमाम प्रोसिज़र को पंचायतों को सौंप दिया जाय तो बड़ा कदम हो सकता है आबादी की तरक्की और लोगों को हक देने का । लोग-बाग महसूस करें कि हम अपने खुद के काम को अपनी आंखों से देखें, हाथों से करें और वास्तव में हम उसके अधिकारी भी हैं । इससे लोगों को एक मौका मिलता है । लोग महसूस करते हैं कि आजादी के बाद, स्वतन्त्र होने के बाद हम अपने खुद के काम को सम्हालने की ओर कदम बढ़ावें । हम अपनी तरक्की करें । लेकिन जो तरीका है, पंचायतों के लिए जो प्रस्ताव रखा था उसको ठुकरा दिया गया है । वह एक महत्व की चीज थी । अब भी मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ और इस ख्याल से देना चाहता हूँ कि सरकार इस पर वापिस विचार करे और जो तमाम का तमाम अधिकार है वह पंचायतों को सौंप दे ।

हमने अपनी पंचायतों को काबिल समझ कर अधिकार दिये हैं, क्रिमिनल अधिकार दिये हैं, तो फिर क्या परेशानी थी लैंड रेवेन्यू के काम को उनको सौंप देने में । कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं था । मेरे खयाल से ज्यादा तरक्की हो सकती है और लैंड रेवेन्यू का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है । उस चीज को नहीं किया गया । बहुत बड़ी गलती की उसको न दोहराया जाय इसलिये मैं उन तथ्यों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

[श्री जवानसिंह]

माननीय अध्यक्ष, जहां तक पंचायतों को अधिकार देने का प्रश्न है वे आसानी से दिये जा सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—बड़ी शिकायत है।

श्री जवानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) बहुत बड़ी शिकायत है। वही निवेदन कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जहां तक लैंड रेवेन्यू वसूल करने का सवाल है, मेरे ख्याल से यह ग्राम पंचायतों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें काश्तकारों की स्थिति को नजदीक से नजदीक जानते है और हर सूरत में उनसे पूरा लगान वसूल किया जा सकता है बल्कि सरकार द्वारा वसूल कराये जाने की हालत में कहीं तो रेमिशन करना होता है, पूरा वसूल नहीं होता है, ग्राम पंचायतों को वह नहीं करना पड़ता। चूंकि हमको जयपुर में बैठ कर जैसेलमेर के हालात के लिए हुक्म निकालना पड़ता है जब कि वास्तव में ग्राम पंचायतों को अपने एरिया की वस्तुस्थिति का पूर्णतया ज्ञान होता है; वे आसानी से उपर्युक्त तरीकों से सही चीज कर सकती हैं।

इसी प्रकार सेटलमेन्ट की प्रोब्लेम्स हैं। हमने कई दफा दफ्तरों में देखा है, कोर्ट्स में पाया है, कई बार इस प्रकार के झूठे इल्जाम लगाये जाते हैं, झूठी दरख्वास्तें दी जाती हैं, कब्जों के मामलों में झगड़ा होता है, अगर उस चीज़ को ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाता है तो साधारण तरीके से ग्राम पंचायतें चला सकती हैं और सही नतीजे पर पहुँच सकती हैं। गांवों में रहने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। लोगों को बीस बीस और पच्चीस पच्चीस मील की दूरी पर से जाना पड़ता है, रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना पड़ता है और इसके बावजूद भी उनको सही न्याय नहीं मिल पाता है, अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती है क्योंकि यहां बैठ कर वस्तु स्थिति को देखा जाय तो नहीं देखी जा सकती है। ये तमाम की तमाम बातें मौजूद हैं और अगर इस दृष्टिकोण से रखा होता तो काश्तकारों का ज्यादा भला होता। लेकिन उस चीज़ को बहुत आसान तरीके से ठुकरा दिया गया।

अभी जोधपुर से आये माननीय सदस्य ने जहां तक इकोनोमिक होल्डिंग का और अन-इकोनोमिक होल्डिंग का प्रश्न है अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा कि अनइकोनोमिक होल्डिंग के लिए नोमिनल रेन्ट होना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को दोहराया, जिसके सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में तय किया था। जहां अन—इकोनोमिक होल्डिंग है उस पर किसी प्रकार का लैंड रेन्ट नहीं होना चाहिए। हमें किसान की हालत देखना चाहिए। एक शहर में रहने वाला व्यौपारी है, ३८०० रुपया कमाता है उसके लिए टेक्स देना लाजमी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि काश्तकार गांवों में रहते हैं, अपनी बड़ी मुश्किल से रोजी कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से दोसौ रुपया सालाना कमा पाता है, तो भी क्यों उस पर फिर लैंड रेवेन्यू लगावें। कहते हैं कि हर सूरत में

[श्री जवानसिंह]

लगावेंगे। क्या वजह है कि एक शहर में रहने वाले के लिए अलग विचारधारा है और एक गांव में रहने वाले किसान के लिए अलग विचारधारा है? एक तरह की ही दोनों पर क्यों न नजर डाली जाय यह नहीं होना चाहिए कि चूंकि वह शहर में रहता है इसलिए अधिक कमाता रहे, फिर भी उस पर कोई पाबन्दी नहीं और चूंकि एक काश्तकार गांव में रहता है और बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी कमाता है लेकिन फिर भी उससे लगान वसूल होना चाहिए। ये जो इस प्रकार की चीजें हैं, जिनकी ओर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते थे। उस वक्त आपने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और उनको टाल दिया। यह ठीक नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वापिस इन चीजों पर ध्यान दिया जाय, पहले इसके लिए हम इस कानून को पास कर दें इन चीजों की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

अब इसके अलावा मुझे एक चीज और निवेदन करना है और वह यह है कि अभी हाल में ५३-५४ के अन्दर एक कमेटी मुकर्रर हुई थी, कमीशन मुकर्रर हुआ था टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन और उसने अपनी तरफ से सरकार को कुछ सिफारिश की थीं। मुझे यह पूर्ण आशा थी कि हम इस कानून को जब पास कर रहे हैं और हमारे सामने एक सरकारी कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, उसकी सिफारिशें मौजूद हैं तो कम से कम उनके ऊपर अवश्य ही ध्यान दिया जावेगा और जो कुछ भी उन्होंने सलाह दी है उनको मानकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार की ओर से उन पर कतई ध्यान नहीं दिया गया है और उनकी बातों को कतई ध्यान में नहीं लाने की वजह से आगे मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही निवेदन किया था कि हम पुराने जो कानून थे वैसा का वैसा कानून अब भी पास करने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में खास तौर पर दो-तीन सिफारिशें हैं। एक तो इस विषय में है कि स्लाइडिंग स्केल्स हों। जहां तक रेन्ट मुकर्रर करने का सवाल है उसमें यह होना चाहिए और वे सिफारिशें केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं तमाम के लिए हैं। स्लाइडिंग स्केल्स जैसी पंजाब में है, कीमतों की दरें तय कर दी जावें एक वक्त के अन्दर, एक समय के अन्दर जो प्राइसेज़ हैं उसके बाहर निकलीं तो चाहे ऊपर हो तो उसी हिसाब से लगान बढ़ जावेगा। अगर निश्चित दायरे के नीचे प्राइसेज़ चली जाती हैं तो उसी हिसाब से कम रेन्ट वसूल किया जायगा। यह भी एक सिफारिश कमीशन ने की थी लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया।

इसके अलावा एक और भी बड़ी मोटी सिफारिश की थी कि हमको बजाय इसके कि पुराना तरीका जो है लैंड रेवेन्यू का, एक इनकम टेक्स का तरीका अपनाना चाहिए और जैसा मैंने पहले अर्ज किया जो इकोनोमिक होल्डिंग का और अन-इकोनोमिक होल्डिंग का डिफरेन्स रह जाता है या जो गरीबों पर रह जाता है वह अपने आप हट जाता है। हम एक निश्चित आधार मानें कि इतनी इनकम के आधार पर जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उन पर कर लगावेंगे और उसके नीचे किसी किसान पर कर नहीं लगावेंगे।

ये दो-तीन मोटी मोटी सिफारिशें उन्होंने की थीं लैंड रेवेन्यू के सिलसिले में। हमारी सरकार ने उनको बलाये ताक रख दिया और उन पर गौर तक नहीं किया। यह बुरी चीज रही।

[श्री जवानसिंह]

इन चीजों को सदन के सामने पेश करते हुए मैं इस बात के लिये निवेदन करूंगा कि अगर हमने इस कानून को इस तरह से पास कर दिया तो यह न तो हमारे लिये गर्व की बात होगी और न इससे काश्तकारों का ही भला हो सकेगा। इसलिये बहुत बेहतर यह होगा कि इस कानून को ऐसा ही पास न करें।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, लेन्ड रेवेन्यू बिल का इस समय थर्ड रीडिंग हो रहा है और मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल को पास किया जाना चाहिये। इस बिल की एक बात को लेकर खास चर्चा चली है और वह बात है रेवेन्यू बोर्ड से संबन्धित। यह सही है कि जिस वक्त रेवेन्यू बोर्ड के प्रोविज़न्स सदन के सामने प्रस्तुत हुए उस समय माननीय मंत्री महोदय ने उनको डेफर कर दिया था ताकि उन पर विचार करके पास किया जा सके लेकिन आगे चलकर जिस रूप में शुरू में प्रोविज़न्स थे उसी तरह पास किये गये। हो सकता है, इसका कारण यह था कि दूसरे प्रोविन्सेज़ में इस प्रकार की व्यवस्था हो। लेकिन दर असल इस सदन को शिकायत यह है कि रेवेन्यू बोर्ड का कार्य जिस तरह से इस समय चल रहा है उससे लोग बागों को यह आशा नहीं कि उनको वहां पर न्याय मिल सकेगा। वहां पर होता क्या है, चाहे जब जिस किसी मेम्बर को बदल दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा बिठा दिया जाता है। इसके लिये मेरा अर्ज करना यह है कि इस बिल को पास करने से पहले मैं आशा करता हूँ माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन जरूर देंगे कि जो मेम्बर्स रेवेन्यू बोर्ड में चले जाते हैं उनको पहले ही गवर्नमेंट को सोच समझ कर भेजना चाहिये। एक दफा जो मेम्बर बोर्ड में चला जाता है जब तक उसका रिटायरमेंट न हो उसको उस पद से नहीं हटाना चाहिये और न ट्रान्सफर ही करना चाहिये। एक अजीब बात यहां होती है कि एक रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन को कमिश्नर का पद दिया जाता है। जो शख्स खुद कमिश्नर्स की अपीलें सुनता है वह जाकर आयन्दा कमिश्नर होता है और उसकी अपीलें दूसरा सुनता है। सरकार द्वारा इस बात पर जरूर आश्वासन दिया जाना चाहिये कि जहां तक होगा रेवेन्यू बोर्ड में कम से कम एक मेम्बर तो ऐसा रखा जायगा जिसको जुडिशियरी का अनुभव हो और कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज के केडर का व्यक्ति हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जिस रूप में पेश हुआ है इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सरकार अभी सोच ले तो बहुत अच्छा है, इसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं कुछ इनको निसन्टेसीज रह गई हैं वे दूर हो सकें। अगर इसी प्रकार जैसा कि यह बिल है वैसा ही पास होगया, तो कुछ खामियां इसमें रह जायगीं और वह ठीक भी नहीं होगा। मेरे इस संबन्ध में कुछ अमेन्डमेन्ट्स भी थे। मुझे दुख है कि १२ तारीख को जिस दिन यह चेपटर लिया गया मैं ऐसा विवश हो गया था कि समय पर नहीं पहुंच सका, इसलिये वे अमेन्डमेन्ट सदन के समक्ष नहीं आ सके। गालिबन मंत्री महोदय ने उन अमेन्डमेन्ट्स को देखा तक नहीं, उन पर विचार तक नहीं किया, बहुत से ऐसे अमेन्डमेन्ट्स थे जिनको मैं समझता हूं वे बहुत आसानी से उनको मन्जूर करते, अभी भी हो सकते हैं अगर वे उन पर विचार करें और अपनी ओर से अमेन्डमेन्ट पेश कर दें।

[श्री श्यामलाल गोयल]

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान चेप्टर १० के क्लॉज २५८ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें " Responsibility for revenue..."

अध्यक्ष—Discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support or rejection of the Bill.

श्री श्यामलाल गोयल—That is what I say. I want to put certain facts before this House to show that there are certain inconsistencies which if the Hon' ble Ministar approves, he might......

श्री अध्यक्ष—There is no occasion for any amendment now. If there is any inconsistency a separate amendment biil can be brought......

श्री श्यामलाल गोयल—It is just possidle that the learned Minister might defer the motion. He hae moved that it should be passed I think only tomorrow another bill may be brought for amendment.

श्री अध्यक्ष---May be. But the Hon' ble Member cannot refer to the clauses anew.

श्री श्यामलाल गोयल—This is quite another thing. If I cannot do that, I would not do it.

मैं यहां क्लॉजेज़ का रेफरेन्स देकर एक दो बातें बतलाना चाहता हूं। यह जो बिल पेश हुआ है इस बिल में रेवेन्यू और रेन्ट ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको सरकार वसूल कर सकती है, लेन्ड होल्डर से वसूल किया जायगा, लेन्ड रेवेन्यू है वह भी सरकार वसूल करेगी। टीनेन्ट से जो लगान वसूल होगा जिसे रेन्ट कह सकते हैं वह भी सरकार वसूल कर सकती है। लेकिन जो प्रोसेस इसमें दिया है, जिस प्रोसेस के जरिये सरकार इसे वसूल करेगी उस प्रोसेस में सिर्फ रेवेन्यू का ही उल्लेख है। रेवेन्यू जो बकाया हो जाय उसके लिए तो यह चल जायगा, लेकिन अगर किसी के रेन्ट का एरियर्स है वह सरकार किस तरह से वसूल करेगी इसके लिए एक लफ्ज भी एक्ट में नहीं है। मतलब यह कि रेन्ट एरियर्स रह जाते हैं उसके लिए सरकार को उसी तरह दावा करना पड़ेगा जिस तरह से आर्डिनरी आदमी दावा लेता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसका मतलब यह है कि जितनी धारायें हैं इस कानून की उनमें से मोटी मोटी धारायें आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे; दरअसल यह ठीक नहीं हुआ इसलिए इसमें इन चीजों का समावेश करना चाहिये जो गलती से रह गई हैं उनका आयन्दा चल कर समावेश करें।

इस तरह से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें कुछ प्रोवीज़न्स प्रोक्लेमेशन वगैरह के मुतल्लिक हैं, किस तरह सेल (sale) किए जायेंगे इसके लिए जो व्यवस्था इसमें की गई है कि किस

[श्री श्यामलाल गोयल]

तरह से बकाया वसूल हो सकता है उसके लिए केवल एक नीलाम का तरीका रखा है। जायदाद, अचल संपत्ति और जमीन ये चीजें नीलाम हो सकती हैं। लेकिन जहां पर इसका तरीका रखा है उसमें अचल सम्पति के लिए एक शब्द भी नहीं इसके लिए प्रोक्लेमेशन होगा क्या तरीका होगा !

बिल जिस रूप में इस वक्त पास किया जा रहा है इसमें रही हुई खामियां दूर नहीं हुई तो मैं ऐसा मानता हूं कल ही यह जरूरत आ जायगी इन कमियों को दूर करने के लिए या इन कोन्सिस्टेनसीज को रफा किया जाय। इनको दूर करने के लिए सरकार को और दूसरा बिल लाना पड़ेगा। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में इस बारे में जो क्लॉज हैं उन क्लॉज के माफिक क्लॉज २७२ है। इस क्लाज २७२ में ऐसी व्यवस्था है, जो उल्लेख है खण्ड २६२ और २६४ के अनुसार, जिस पट्टी या जमीन या गैर मकबूला जायदाद की रेवेन्यू बोर्ड ने नीलामी की मन्जूरी दे दी है उसके लिए प्रोक्लेमेशन इश्यू किया जायगा लेकिन मुझे अफसोस है कि खण्ड २६२ और २६४ में इसका कतई उल्लेख नहीं है, उसके लिए खण्ड २६६ और २७१ हैं। खण्ड २६६ में रेवेन्यू बोर्ड सेंक्शनिंग ओथोरिटी है जहां कि पट्टी वगैरह की सेल की जरूरत हो। खण्ड २७१ में यह है, दूसरी जायदाद की सेल(sale)हो। वहां पर यह बात दर्ज नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड की मन्जूरी ली जायगी या नहीं, जहां धारा २७२ में दोनों का after sanction उल्लेख किया गया है। इस तरह से ये धारायें एक दूसरे से इनकोन्सिस्टेन्ट हैं। मैं यह अर्ज करता हूं कि इन धाराओं में अभी अमेन्डमेंट हो जाय ताकि फौरन ही अमेन्डमेन्ट बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जहां इस प्रकार की कमियों को दूर करना आवश्यक है उसी प्रकार यह बिल भी फौरन ही पास होना चाहिये और जो इनकोन्सिस्टेन्सीज रह गई हैं उनको सरकार दूर करने की कोशिश करे।

श्री जवानसिंह:—तो फिर इसको रिजेक्ट क्यों न कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष:—नहीं, यह भी नहीं कहते।

कुं० श्री जसवन्तसिंह:—माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लैंड रेवेन्यू बिल आखिरकार अन्तिम यात्रा में दृष्टिगोचर हो रहा है...

श्री अध्यक्ष:—विलम्ब किया जा रहा है। (हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह:—लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह अन्तिम यात्रा कोई सफल यात्रा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी अभी भी बातें रह गई हैं कि इस बिल को जब यह एक्ट का रूप धारण कर लेगा तो फौरन ही इस कानून में हमारे माननीय मंत्रीजी द्वारा जो कि इसको पास करने के लिए उतारू हैं दूसरा एमेंडमेंट बिल या संशोधन बिल जरूर लाया जायगा और मुमकिन है

[कुं०श्री जसवन्तसिंह]

कि इसी सेशन में ले आयें; तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का कानून पास करना हमारी विधान सभा के लिए कोई शोभा नहीं देता है । इस बिल में बहुत सारी बातें रह गई हैं जिनका कि बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है, लेकिन दो-चार फन्डामेन्टल सिद्धांत की बातें इसमें रह गई हैं जो कि आयन्दा बहुत नुकसान हमारे राज्य को और हमारे राजस्थान की जनता को पहुंच सकता है। कई माननीय सदस्य, इस विषय में कि क्या २ खामियां और कमियां इस बिल में रह गई हैं उस पर रोशनी डाल चुके हैं और उनको दोहराना मैं पसन्द नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ दो ही बातें खास तौर से एतराज लायक दिखाई देती हैं।

सबसे पहले मैं सेटिलमेंट के रेन्ट रेट्स के मुताल्लिक माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो प्रोविज़न इस बिल में रखा गया वह एक अग्रसर कदम नहीं है। गवर्नमेंट ने यह सत्ता अपने हाथ में रखी है कि ऐसे मामलों में रेवेन्यू बोर्ड तो एक सिर्फ सलाह ही देगा लेकिन उस पर अन्तिम ऑर्डर सरकार का होगा। उसमें वह फेरफार कर सकती है। तो इसके लिए निवेदन मैं यह करूंगा कि भारतवर्ष में जनतन्त्रवाद एक नई चीज है और जब तक इसमें काफी समय नहीं लग जाय तब तक राजनैतिक चीजों का दबाव हर काम में इतना ज्यादा पड़ता है कि उसमें जनता के साथ न्याय जितना होना चाहिए वह नहीं मिला है। गवर्नमेंट या खुद मंत्रीजी से बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि वह बुरा नहीं समझें क्योंकि यह पोलिटिशियन्स जो कि मंत्री का पद ग्रहण करते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स नहीं हैं। उनको दुनिया का अनुभव जरूर है और राजनैतिक भावना किस प्रकार देश में है, जनता में है, उसका अनुभव जरूर है लेकिन कार्य करना और उसको एक वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में कार्य में लाना एक दूसरी बात है। तो टेक्निकल ऑफिसर्स सेटिलमेंट करते हैं। रेवेन्यू बोर्ड तक वह मामला आता है, और रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य भी टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जिनको कि इस बात का बहुत अनुभव है और वर्षों तक इस विषय पर वह काम करते आ रहे हैं और बहुत सीनियर आफिसर होने के लिहाज से उनको रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य का पद मिला है, वह भी टेक्निकल ग्राउन्ड्स के अनुभव पर और उस स्थान पर जाकर क्या होना चाहिए रेन्ट रेट, सेटिलमेंट क्या होना चाहिए, यह सब चीजें वे तय करते हैं तब फिर फैसले के लिए सरकार के पास जाता है और सरकार यह कह दे, कि प्रोफोर्मा रूप में जो रेवेन्यू बोर्ड से ऐसे टेक्निकल मामले जो सरकार के सामने आयेंगे उनमें अगर फेरफार करके उसको स्वीकार कर सकती है तब तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है, लेकिन जो पॉवर इस बिल के अन्दर सरकार ने अपने हाथ में लिया है उसके मुताबिक फेरफार भी कर सकती है तो मैं फिर नम्रता के साथ निवेदन करूंगा मेरे मित्र राजस्व मंत्रीजी से कि पोलिटिशियन होने के नाते, और मानव प्रकृति जैसी है वह आपको भली भांति विदित है, पोलिटिकल प्रेशर और राजनैतिक दबाव से अपने पथ से विचलित हो सकते हैं; चाहे वे कितने ही सत्यवादी हों, सिद्धान्तवादी हों और सिद्धान्त के ऊपर चलने वाले हों। अभी हाल में ऐसा देखने में आया है कि सेटिलमेंट रेट्स के लिए टेक्निकल ऑफिसर्स के द्वारा उसी स्पोट, उसी स्थान पर पहुँचे और स्थिति की जानकारी करके उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। रेवेन्यू बोर्ड तक वे

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

सिफारिशें हुई लेकिन राजनैतिक दलों के दबाव से या दूसरे कारणों से कि जिस दबाव से वह बच नही सके वह रेन्ट रेट्स जो कि टेक्निकल ऑफिसर्स ने स्पोट पर, स्थान पर पहुंचकर पेश किये हैं उनमें अदला बदली कई जगह कर दी गई है और उनका नुकसान बहुत जगह पड़ा भी है और खास तौर से जब कि जनरल इलेक्शन्स या और इस तरह के चुनाव हों, हमें उस वक्त तो ऐसी कार्यवाही अक्सर हमारे राजस्थान में देखने में आती है। तो यह न तो एक प्रजातन्त्रवाद के लिए शोभा की बात बनती है और न प्रजातन्त्रवाद को पनपाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि कम से कम अगले २५ साल के लिए ऐसी धारा रखने को एतराज लायक समझता हूं। जब तक यह अधिकार इस बिल में सरकार के पास होंगे और रेवेन्यू बोर्ड और टेक्निकल ऑफिसर्स द्वारा भी जो तजवीजें कर दी गई हैं उनको गवर्नमेंट राजनैतिक विचारों से बदल सकती है तो यह एक बहुत सख्त अधिकार उनके पास है जो कि इसको इस्तेमाल में लाने के योग्य नहीं है। यह मैं स्पष्ट विचार रखता हूं।

इसके अलावा दूसरी बात का जो मुझे सबसे ज्यादा एतराज है वह यह है कि रेवेन्यू बोर्ड को जो उच्च स्थान मिलना चाहिए वह उच्च स्थान इस रेवेन्यू बिल में नहीं दिया गया है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता माननीय गोयल जी ने इस पर काफी कहा और मैं नहीं समझता कि सरकार इस बात पर क्यों डरी हुई है कि रेवेन्यू बोर्ड जैसे उच्च स्थान के सदस्यों को वह एक खास महत्व नहीं देती है। क्या हम लोगों के सामने हाई कोर्ट्स या न्यायालय जो हैं उनके दृष्टान्त नहीं हैं? हमारे संविधान में क्यों न्यायालय को इतना उच्च स्थान दिया, एक दफा जो व्यक्ति उस पद पर नियुक्त कर दिया गया उसको वापिस नौकरी नहीं मिल सकेगी और न कहीं और किसी ऐसे विशेष स्थान पर भेजा जा सकेगा जिनसे उनको किसी प्रकार लाभ हो इसलिए कि उन पर राजनैतिक दबाव किसी प्रकार का न पड़े और अपनी आत्मा जो गवाही दे उसी के मुताबिक वे फैसला करें, और किसी लालच में नहीं लिए जा सकें। यह एक मूल सिद्धान्त है कि जिस पर जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग किया गया है और संविधान में इसके लिए हमारे पास एक हमेशा के लिए बहुत बड़ी पाबन्दी रखी गई है। मैं रेवेन्यू बोर्ड के न्यायालय को किसी प्रकार से कम महत्व का नहीं समझता। उनके भी अधिकार इतने ही महत्व के हैं जितने कि हमारे न्यायालयों के उच्चाधिकारियों के हैं। बहुत बड़े बड़े मामले जिनका जनता से सम्बन्ध है वह मामले अन्त में रेवेन्यू बोर्ड के पास आते हैं और रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य अगर सरकार द्वारा जब चाहें तब बदले जा सकते हैं, जब चाहे तब एक तरह से डिमोट हो सकते हैं या नीचे के पद पर लाए जा सकते हैं और नीचे के पद पर इसलिए लाये जा सकते हैं जैसा कि एक उदाहरण माननीय गोयलजी ने दिया कि आज एक व्यक्ति रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य है, कल वह कमिश्नर बना कर भेज दिया जा सकता है और चेयरमेन होने पर भी कमिश्नर बनाकर भेजा जा सकता है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, ६.२९ बजे पदासीन)

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

कोई ताज्जुब नहीं कि कलेक्टर बनाकर भेजा जाय तो उसमें एतराज नहीं हो सकता है। थोड़े दिनों के अनुभव के बाद में यह ठीक मालूम हो कि सरकार खर्चा कम करने के लिए कमिश्नर का पद हटा दे।

हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां कमिश्नर्स नहीं हैं। वहां कलेक्टर ही सबसे बड़ा अधिकारी जिले का है और मुमकिन है कमिश्नर्स पर जो लाखों रुपयों का खर्चा हो रहा है और कमिश्नर्स के पास विशेष अधिकार भी नहीं हैं और सरकार यह उचित समझे कि कमिश्नर्स का पद हटा दिया जाय और कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अफसर रहेगा तो अब हम रेवेन्यू बोर्ड बना रहे हैं और अपनी मंशा के माफिक उसके सदस्यों को बदल सकते हैं तो, उनको कलेक्टर, एस. डी. ओ. आदि भी बनाया जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि एस. डी. ओ. व कलेक्टर को रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर भी बना सकते हैं और जिन रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों के पास इतनी बड़ी ताकत है कि न्यायालय का मुकाबिला करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तो कोई अग्रसर कदम नहीं है और इस तरह के कदम से हम डेमोक्रेसी को पनपाने वाले नहीं हैं।

तो ये इतनी अहमियत की बातें हैं, वे राजस्व बिल से रह गई हैं; उन पर विचार करना अत्यावश्यक है। यदि उन पर विचार किये बगैर उन्हें पास कर देंगे तो हमारे एक्ट में ऐसी बातें रह जायंगी कि जिनसे किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला है। और और बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, वे काफी अहमियत की हैं, उन पर राजस्व मंत्रीजी आवश्यक विचार करेंगे, पर ये दो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं उनके बारे में मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह बिल इस काबिल नहीं है कि इसे सदन पास करे। अगर बहुमत से पास कर देंगे तो मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है और राजस्व मंत्री जी को खुद को बहुत जल्दी मालूम हो जायगा, बहुत ज्यादा समय में मालूम हो, ऐसी बात नहीं है, थोड़े ही समय में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में मालूम हो जायगा कि बहुत से संशोधन लाने पड़ेंगे और अगर वे ऐसा करेंगे तो वह न तो कोई उनके लिये शोभा की बात हैं और न विधान सभा के लिये ही शोभा की बात है कि हम सही बात को सोच न सकें और जल्दबाजी में बगैर सलाह लिए, एक बात जो सरकार के मुंह से निकल गई है अड़े रह कर उसी पर चलेंगे; तो मैं समझूंगा यह तो कोई अच्छी बात नहीं है।

जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है, हम जो कुछ कर पाये हैं वह हमने किया है, बहुत से संशोधन, बहुत से सुझाव इस बिल में विरोधी पक्ष की ओर से पेश किये गये थे, उनको बहुत से कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। बहुत अहमियत के सुझाव थे, उनको स्वीकार नहीं किया गया, जिससे बहुत खामियां इस बिल में रह गई हैं, इसलिये इस बिल को पास करने में हम सहमत नहीं रह सकते। बहुत जल्दी नहीं है, इस बिल को अभी रोकें, अभी पास नहीं करें, इसमें जो खामियां रह गई हैं उनको संशोधन के रूप में, यह बिल पास नहीं हो उससे पहले

Page No.68

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

पहले विचार करें और फिर इसे पास करें। पर इस मौजूदा सूरत में तो मैं समझता हूँ जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है हम कभी सहमत नहीं होंगे कि इस बिल को इस रूप में पास किया जाय।

चौधरी श्री ईश्वरीसिंह—हमार एक सवाल पूछियो उण रे जवाब में क्यों के अमेरिका हूं ज्यादा लाभ है, मैं आ जाणूं हूँ के अमेरिका हूं ज्यादा गरज है तो अठ्या को तो जरूर होगी। मैं पुराणी सामन्तशाही की और अबार की न्यारी न्यारी बातां बता दूं। ५० की साल तक तो मारे ठिकाणां में बांटो हो, कठेई दूसरा बांटा सूं लेता, कठे ई तीसरा बांटा सूं लेता। पाछे ५१-५२ की साल में बांटो तोडर बीघोडी बांधी जद ३ लाख रुपया ठिकाणां में बीघोडी का बैठ गया। बीघोडी चाली और सामन्तशाही चूसणो शुरू कियो, बधतां बधतां ८८ की साल में ६ लाख रुपया दिया बीघोडी का। जद एक आन्दोलन छिड़ियो क्योंकि किसान इस्या तंग आ गया के गरथ ढांढा बेचर बीघोडी का रुपया चुकाणां तो बड़ी बात नहीं, बच्चा बेच बेच लगाण दियो। ईं सूं भी कोने निभियो तो आन्दोलन छेड़ियो। पोलूडी में एक अंग्रेज आयर वीं आन्दोलन ने दबायो सिटलमिंट कर र दो लाख रुपया तोड र सात लाख रुपयां को राखियो, तो वो लगाण हाल तक अबे चालियो आ रयो है। तो अब आप बणा दिया हो प्रजातन्तर और सवराज, अबे आप पूणो दो लाख रुपया भी वां सात लाख में सूं तोड़ दो जद तो मैं भी जाणूं के हां ऐ भी कयूं करियो है। अब आप भी यियां ही करो तो थांकी मरजी है, पण वा आपके शोभा की बात नहीं है और न वे काश्तकार ही निभ सकेला और नहीं निभ सकेला तो फेर आन्दोलन छिड़ेगो आ की के सारा की बात कोनी है, नहीं निभ सकेला तो आप ही आन्दोलन करेला। क्यूं न क्यूं काश्तकारां ने कर र बताओ के प्रजातन्तर, सिवराज बणियो है तो ईं सूं थारे भी ओ फायदो पहुंचियो है, ईं कानून की अंतो ओ जल्दी कोनी। बीं अमरीका की पूंछी बैठा हो, बीने सराहो हो ईं मौजूदा जमाना में काई तो अमरीका में और काई और दूसरी जग्यां, कठेई भी इयां को लगाण है काई जीं सूं किसान बरबादां की बरबादी होगी। जींसूं किसानां की बरबादी हो बींयां को कानून बणा रिया हो तो अतो खर्चो क्यूं करियो, ईं की के जरूरत ही। कीयो तो परजातन्तर जाय और सामन्त शाही सूं आगे जा रया हो।

ज्यादा मैं तो की के नहीं सकूं क्यूं के ओ कानून जो थे बणा रिया हो वो अंग्रेजी में बणा रिया हो, मैं तो ईं वजह सूं ओ कानून देख नहीं सकूं। पण मुद्दा की, परमाणिक बात है वा बता दूं के आगे बढ़ोगा तो पार पड़ेगी कोनी और कई दिनां तक आगे शर्मिंदगी उठाओगा।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, थर्ड रीडिंग में इस बिल पर वाद-विवाद में कई माननीय व्यक्ति बोल चुके हैं और अभी अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने जो २ सैद्धान्तिक विचार पेश किये हैं उसके सम्बन्ध में मुझको भी कुछ शब्द कहने हैं। मेरी समझ में इस बिल में कुछ फंडामेंटल -सैद्धान्तिक खामियां रही हैं और उनको पूरा किये बगैर इस बिल को एक्ट का रूप दे देते हैं तो यह हम सब के लिये शोभा की बात नहीं है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

कांग्रेस ने आज से नहीं, वर्षों पहले सैद्धान्तिक रूप में इस बात को माना था कि हम उन इन्स्टीट्यूशन्स को जिनका कि काम इन्साफ देने का है, जिनको जुडिशियल कहा जा सकता है, एग्जीक्युटिव से इनडिपेन्डेन्ट बनायेंगे और इस सिद्धान्त को कोन्स्टीट्यूशन में स्वीकार किया गया। पर यह बिल जिस रूप में पेश किया जा रहा है, उसको देखते हुए मैं बता सकता हूं कि इस बिल में इस सैद्धान्तिकता पर कुठाराघात कर रहे हैं और जिस चीज को कॉन्स्टीट्यूशन में स्थान दिया है, उसे इस बिल में स्थान नहीं दिया है। जब यह बिल क्लाज़ बाई क्लाज पास किया जा रहा था तो कई माननीय सदस्य पुरजोर शब्दों में यह वातावरण बना रहे थे और कह रहे थे कि हम रेवेन्यू बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन की धाराएं हैं, उन्हें पास नहीं होने देंगे और यही कारण था कि उन धाराओं के निर्णय को माननीय राजस्व मंत्री जी ने डेफर किया और सोच—विचार करके थोड़े दिनों बाद निर्णय देने को कहा। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की ओर से, जो विचारधारा सदन में माननीय सदस्यों ने रखी थी, इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो दलीलें दी थीं उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया और यही कह दिया कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के एपोइन्टमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ियें नहीं होंगी, जो एन्टीसीपेट की जाती हैं। मैं यह निवेदन करूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोन्सटीटयुशन बनाया था, उसमें उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अदालत बनाई थी और उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड को इस बात की मान्यता नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने एक कन्वेन्शन इस प्रकार का डाला कि जिन प्रोविन्सेज़ में रेवेन्यू बोर्ड के अधिकार को रखते वह सीनियर आई. सी. एस. ओफिसर होता जो इस काबिल होता था कि वह एग्जिक्यूटिव ड्यूटीज के साथ इन्साफ पसन्द ज्यादा होता था और इनडिपेन्डेन्ट हाई कोर्ट का जज हुआ करता था। उसकी फिक्स पे होती थी। जब कोई व्यक्ति बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एपोइन्ट हो जाता था तो वह वहां पर चेयरमेन तक हो सकता था और उसका ट्रान्सफर कहीं दूसरी जगह नहीं किया जाता था और यही कारण था कि जो आदमी बोर्ड ओफ रेवेन्यू का मेम्बर हो जाता था वह यह समझता था कि उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा और वह अपने आपको इनडीपेन्डेन्ट हाई कोर्ट के जजों की तरह से इन्साफ देने को तत्पर रहता था। उन्होंने इस प्रकार से इन्साफ दिये हैं और देते थे। हाई कोर्ट को इसीलिये इनडि-पेन्डेन्ट बनाया है कि वे जनता को बिना किसी दबाव के इन्साफ दे सकें। हम यह नहीं चाहते कि जिस प्रकार हाई कोर्ट के जजों का एपोइन्टमेंट प्रेसीडेन्ट के द्वारा होता है उसी तरह से रेवेन्यू बोर्ड का भी चेयरमेन का एपोइन्टमेंट हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रकार का कानून न होते हुए भी कन्वेन्शन इस प्रकार के डाले थे। अगर इन पर कोई कुठाराघात हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। यहां का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कलेक्टर और कमिश्नरों की अपील सुनता है वे कमीश्नर बना दिये जाते हैं और कलेक्टर बना दिये जाते हैं। हाल ही में इस प्रकार के ट्रान्सफर हुए हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि साल भर में कितने ट्रान्सफर हुए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेम्बर्स के लिये क्या क्वालीफिकेशन होनी चाहिये, क्या क्रीटेरिया होगा? इस प्रकार बिना किसी बात को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य मुकर्रर किये जाते हैं।

[श्री वेदपाल त्यागी]

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहूंगा कि आज की डेमोक्रेटिक सरकार को यह कहें कि कोई इस प्रकार के कन्वेन्शन बना दें और किसी प्रकार की बन्दिश रख दें कि एक दफे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बनने के बाद उनको हटाने का कोई जरिया उनके पास नहीं रह जावे ताकि वे भी यह समझने लगें कि हम सेफ हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं ऐसा भी होता है कि कई केसेज़ में गवर्नमेंट के पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भी होते हैं। जैसे सेटलमेंट के रेन्ट रेट मुकर्रर करना और उनको मंजूर करना या जागीरदारों के मुतल्लिक कोई अधिकार दिये गये हों, इनमें भी गवर्नमेंट का इन्ट्रेस्ट हो सकता है। उनके खिलाफ भी वे अपना जजमेंट दे सकते हैं इसलिए यह होना चाहिये कि उन पर कोई दबाव नहीं हो। वे अपने आपको यह महसूस करें कि यदि वे गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर इन्साफ से जजमेंट देंगे तो हमारे हक़ूको पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। लेकिन आज सरकार ने इस बात को नहीं माना। मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसी सिद्धान्तिक बात पर भी सरकार ने इतना लाइटली जवाब देकर टाल दिया कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि किसी प्रकार का रेवेन्यू बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं होगा। मगर आप इस चीज को कानून में क्यों नहीं ले आते कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा ताकि इस बात की हमें कहने की नौबत आवे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमको इस बिल को पास नहीं करना चाहिये। अगर हम इसको पास करते हैं तो यह हमारे लिये और सदन के लिये शोभा की चीज नहीं है।

दूसरी सैद्धान्तिक चीज आपोजिशन के लीडर ने रखी, उसका भी मैं समर्थन करूंगा और कहूंगा कि सेटलमेंट ओपरेशन वह ओपरेशन है जिसमें लोगों के हक़ूकों का फैसला होता है।

हम रेन्ट रेटस मुकर्रर करते हैं। इसलिये जब रेन्ट रेट मुकर्रर करने का प्रश्न आता है तो वह एक इन्डीपेन्डेन्ट बोडी के पास से तय होना चाहिये। वह कल्टीवेटर्स गाइड् होता है और इन्डीपेन्डेन्ट बोडी से नहीं होना पोलिटिकल चैक सा होता है। यह उसके राइट्स का सवाल होता है। हाई कोर्ट को इन्डीपेन्डेन्ट बनाते हैं इसलिये कि वहां पर कन्फलिक्ट बिटवीन दी गवर्नमेंट एन्ड दी पीपल्स पैदा होता है। तो इस स्थिति में इसका निर्णय कोई इन्डीपेन्डेन्ट बोडी करे नहीं तो गवर्नमेंट उन पर कोई चैक लगा सकती है और सेटलमेंट ओपरेशन का काम रेवेन्यू बोर्ड के पास तभी होना चाहिये, जबरेवेन्यू बोर्ड इन्डीपेन्डेन्ट बोडी हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा और पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस पर पुन; विचार करें और देखें कि इस प्रकार इसको उन्होंने अगर कानून का रूप दे दिया तो आज की दुनिया क्या कहेगी, जहां हम वेलफेअर स्टेट बनाने जा रहे हैं, जहां हम लोगों को यह तसल्ली देने जा रहे हैं कि हमने आपको डेमोक्रेटिक रिजीम में राइटस क्रीएट करने के फन्डामेंटल राइटस दिये हैं वहां इस प्रकार फन्डामेन्टल राइटस बिटवीन दी स्टेट एन्ड दी पीपल, तो उनकी एडजुडिकेटिंग मशीनरी भी हम इन्डीपेन्डेन्ट रखें। जब तक यह नहीं होगा पूर्ण इन्साफ नहीं मिलेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा और फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस पर पुन; विचार करें और इतना लाइटली कह कर इसको

[श्री वेदपाल त्यागी]

न टाल दें, कि हमने आश्वासन दे दिया है। हमें इस पर विचार करना है। आशवासनों से कार्य बिल्कुल विपरीत होते हैं इसलिये में फिर निवेदन करूंगा कि आपके आशवासनों से काम नहीं चलेगा और उन पर कोई न कोई कानूनी बन्धन होना चाहिये और तभी लोगों को विश्वास हो सकता है कि हमको न्याय मिलेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव पर पुन; विचार करें।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, विरोधी दल के कई व्यक्तियों ने रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति और टेन्योर पर काफी कहा है। इस चीज पर जब बिल को पास किया जा रहा था उस वक्त भी कहा गया था और अब भी कहा गया है। अगर रेवेन्यू बोर्ड को हाई कोर्ट की तरफ का समझा जाता तो जो प्रोवीज़न हमारे संविधान में हाई कोर्ट के लिए दिये गये हैं वही इसके लिये भी देते। लेकिन ऐसा नहीं हैं। आज हम दूसरे प्रदेशों को देखें तो आपको मालूम होगा कि कहीं पर भी इस प्रकार की नियुक्ति और संरक्षण का नियम नहीं है। फिर भी यहां पर सिलेक्ट कमेटी ने और सदन ने सब सेक्शन (४) और जोड़ दिया है, उसमें इनकी क्वालीफिकेशन्स एड की हैं कि उनको क्या क्या क्वालीफिकेशन्स होगी। तो मेरे खयाल से जो चीज सरकार ने रखी है वह किसी दूसरी स्टेट में नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा किसी जगह नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य हैं उनका कार्य जुडिशियल नेचर का नहीं है। इनको कई एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर में कार्य करना पड़ता है। मैं यह मानता हूं कि न्याय निष्पक्ष रूप से होना चाहिये और उन पर किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उनके लिए क्वालीफिकेशन प्रेस्काइब्ड होनी चाहिए। हाई कोर्ट का केस बिल्कुल अलग है। वह इसके साथ ठीक नहीं बैठता।

इसके बाद कई सदस्यों ने कहा है कि सेटलमेंट पर रेवेन्यू बोर्ड का एकाधिकार रहना चाहिए। इस बिल में कहीं ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कानून बनाये तो गरीबों की मदद के लिए जाते हैं लेकिन वे मालदार के पक्ष में जाते हैं। इसलिए सरकार के पास अधिकार रहना चाहिए। यदि सरकार के हाथ में इस प्रकार के अधिकार नहीं होते तो २० वर्ष पूरे होने पर भी किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। अगर ऐसे अधिकार गरीबों के हित में होने के नाते सरकार के पास रहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है।

एक चीज मैं यह कहूंगा कि जो किसान गांवों में रहते हैं। वहां पटवारी के हाथ में सत्ता होती है और जो जिन्स गिरदावरी कराते हैं वह उसको वसूल करने का presumpstiv preof होगा। अगर इस चीज को हम कड़े तौर से निश्चित नहीं रखते हैं तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि लोग अदालतों में चक्कर लगाते फिरते हैं, मगर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, गरीब लोग मारे मारे फिरते हैं।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

इस चीज़ को हम इस बिल के अन्दर और व्यापक बना दें स्थान पूर दे तो मुमकिन था ज्यादा अच्छा होता । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि दूसरी चीज़ देखी जाय तो इस बिल को अभी पास नहीं किया जाय ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष— आम बात ही कह । दौहराये नहीं ......

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, ।

श्री उपाध्यक्ष—आम बात कहेंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोती—आम बात ही कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल हाउस के सामने आया तो पहले तो यह अंग्रेजी में आया, मैं इस बिल का इसलिए विरोध करता हूं कि यह बिल हिन्दी में आना चाहिए था ।

(करतल ध्वनि)

इसके बावजूद बिल रखने वाले कम से कम लॉ पढे हुए हैं और कानून को कोर्ट के अन्दर हमेशा काम में लेते हैं, इसके बावजूद भी इसमें जो खामियां हैं और सरकार में जाने के बाद जनता के लिए खामियां रखी हैं, जनता का कुछ भी खयाल नहीं रखा सिर्फ अपनी इस मिनिस्टरी का ही खयाल किया ।

(विपक्ष द्वारा करतलध्वनि एवं हियर. हियर)

माननीय उपाध्याय, इस बिल के अन्दर दूसरे सदस्या ने यह बताया कि कानून के जरिये हिम्मत वाले लोग हैं वे कानून को हाथ ले या नहीं ले परन्तु मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय, बतांऊ कि आज इस प्रजातन्त्र के जमाने में यह कानून ही सारी जनता के लिए लाभदायक हो सकता है न कि हिम्मत । इस कानून के पहले भी राजस्थान में जयपुर स्टेट में कानून थे । उनको इसलिए खत्म किया गया कि पटवारी, गिरदावर और दूसरे लोग इतने परेशान थे कि उनका रेकार्ड का कुछ पता भी नहीं था । इसलिए कानून को खतम किया । और फिर यह कानून दुबारा लागू हो रहा है हमारी जनता के ऊपर । इससे ज्यादा खर्चा बढेगा, कितनी परेशानी होगी, सबसे ज्यादा बात यह होगी कि जो गवर्नमेंट के चलाने वाले हैं उनके गुलाम लोग ज्यादा नहीं थे वे ज्यादा बन जांय इस कानून के द्वारा ।

Page No.73

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर, हियर")

और जो हाईकोर्ट के जजेज़ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज़ हैं वे इस सरकार के गुलाम नहीं हैं, इसके मातहत नहीं है उसी तरह के अधिकारी इस कानून के अन्दर सरकार नियुक्त कर देती तो तब तो हम मान लेते कि सरकार ज्यादा सफल होती है, किन्तु सारे अधिकार अपने हाथ में रखे हैं और इस तरह से वह सफल नहीं हुई है। इस कानून को आज नहीं साल भर के बाद, दो साल के बाद रद्द करना पड़ेगा।

(विपक्ष द्वारा "हियर हियर")

आज भले ही कानून बना ले, लेकिन यह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है।

(हियर, हियर)

क्योंकि इसलिए नहीं चलने वाले हैं कि

श्री गोपीलाल यादवः—कानून नहीं चलेगा या सरकार ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—वह रिजेक्ट हो जायगा। एक्ट ही बदल दिया जायगा। इस कानून के जब तक कि जिस प्रकार हाई कोर्ट के रूल्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स हैं रेवेन्यू बोर्ड के रूल्स बनायेगी सरकार, वैसे नहीं होंगे तो यह चलने वाला नहीं है। सेटलमेन्ट के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी, बताऊं कि मेरी तहसील में छः तरह की रेट्स हैं।

(हियर हियर)

उस तहसील के अन्दर एक आया, दूसरा आया तीसरा आया जो चाहता है वैसी ही रेट्स हो जाती हैं।

(घंटी)

माननीय उपाध्याक्ष, जब तक इस कानून के अन्दर वह चीज नहीं होगी हर सेटलमेन्ट ऑफिसर, हर कानून और कोई भी कानून के ऊपर सरकार का पूरी तरह से अंकुश नहीं होगा, ऑफिसर के ऊपर इस कानून का अंकुश नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

श्री गोपीलाल यादवः—वह है। इसमें दिया हुआ है।

श्री मुक्तिलाल मोदीः—आफिसर चाहे जब बदल देते है, कानून को बदल देते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर को जब तक पूरे अधिकार नहीं दे देगें कि इस तहसील में यह रेन्ट होगा तब तक इस जनता का और इस हिन्दुस्तान का कभी भला नहीं कर सकते हैं।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

(राज्य पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

राज श्री हिम्मतसिंहः—उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि हमारे मंत्री महोदय इस बिल को बहुत जल्दी से पास कराने में बहुत उत्सुक मालूम होते है।

श्री दामोदरलाल व्यासः—नहीं साहब।

श्री हिम्मतसिंहः—बार बार खडे होकर डिबेट को खतम कराना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि कोशिश यह करेंगे कि आज हम इस बिल को पास नहीं करेगें।

श्री गोपीलाल यादवः—कल कोई क्या अच्छा मुहुर्त है ?

श्री हिम्मतसिंहः—शाम भी हो गई है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)ः—छुट्टी मांग लें।

एक माननीय सदस्यः—मांगिये साहब।

श्री हिम्मतसिंहः—उपाध्यक्ष महोदय, सब की यह राय है कि छुट्टी देदी जावे इसलिए क्या में कल भाषण दूं

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस बिल के कतई खिलाफ हूं। जितने सुझाव मैंने इस बिल के सम्बन्ध में रखे थे उनसे वे भलीभांति परिचित थे और उन्होंने कहा कि बहुत सारे अमेन्डमेन्ट स्वीकार करूंगा लेकिन अफसोस है कि उन्होने एक भी स्वीकार नहीं किया। यह एक इमानदारी का नमूना है।

श्री दामोदरलाल व्यासः—ओन ए पोइन्ट ओफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन, सर, अमेन्डमेन्ट्स का पुलिन्दा बहुत बड़ा था। अमेन्डमेन्ट्स जरूर हुए हैं। इत्तिफाक से आपको कोई अमेन्डमेन्ट ही नहीं आया।

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंहः—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेन्ट्स दिये थे वे एक खास कारण से दिये थे।

श्री गोपीलाल यादवः—चले कहां गये !

श्री हिम्मतसिंहः—चले गये तो चले गये। उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। तमाम अमेन्डमेन्ट के खारिज हो जाने से मुझको दर असल खुशी हुई। इस बात के लिए खुशी हुई कि हमारी सरकार दर असल बहुत ही लायक है।

(हंसी)

लायक इस मतलब से है, इस तरह से है

श्री रामकिशोर व्यासः—आप फरमाइये।

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंहः—आंख मींच कर नकल करना जानती है।

एक माननीय सदस्य—वह भी आप करने देते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—उसमें भी रद्दोबदल होकर न मालूम अजीब तरह की चीज़ खड़ी हो जाती है और फिर दुबारा अमेन्डमेन्ट लाने पड़ते हैं।

दुबारा अमेन्डमेन्ट बिल लाना पड़ेगा इस बात के लिये कुछ अमेन्डमेन्टस दिये गये, जिनमें से कुछ तो स्वीकार किये गये और कुछ बहुत छोटे अमेन्डमेन्ट्स थे, वे वैसे के वैसे ही रहगये हमारे जो माननीय सदस्य थे वे उनको पेश नहीं कर सके। उस बात का दुख उन्होंने आज प्रकट किया है। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि आयन्दा अवश्य ही अमेन्डमेन्ट बिल लाकर इस बिल को ठीक तरह से मौल्ड करना पड़ेगा।

मौल्ड होगा या नहीं होगा यह मैं नहीं कह सकता किन्तु हाउस के सामने यह तो जिक्र करना चाहता हूं। हाउस कोई बुद्धिमानी का काम नहीं कर रहा है इसको इतना जल्दी पास कर। हम अपनी बुद्धि काम में ले सकते थे। सरकार खास तौर से इस बिल को एक ऐसा नया रूप देती एक नये ढंग का यह लेन्ड रेवेन्यू पेश करती ताकि हिन्दुस्तान को मालूम होता कि हमारा राजस्थान कितना आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन यह ब्रिज यू. पी. की नकल है,उसके सिवाय हमारे पास बुद्धि नहीं; इससे अधिक हम नहीं जानते। मैंने इस संबन्ध में कुछ सुझाव दिये थे। दुनियां में जो वातावरण खास तौर से हिन्दुस्तान में जो जनतंत्र अपनाया गया है तो हम पूरा जनतन्त्री रूप स्थापित करना चाहते हैं, उसी को आधार मानकर मैंने कुछ सुझाव पेश किये थे ...

श्री दामोदरलाल व्यास—Is he speaking on the amendments, Sir ?

श्री हिम्मतसिंह—Is there any particular objection ?

श्री हरिदेव जोशी— Nothing particular.

श्री उपाध्यक्षः—जनरल बातों पर बोल रहे हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—तो आपका मतलब यह था कि जो अमेन्डमेन्ट आपने मूव किये वे सब मान लिये जाते ।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं तो एक प्रिन्सिपल को डील कर रहा था । जिस प्रिन्सिपल को इसमें ओवरलुक किया गया उससे क्या नतीजे हो सकते हैं । प्रिन्सीपल हमें यह एडोप्ट करना चाहिये था कि "The land belongs to the cultivator, not to the Government" इस प्रिन्सिपल को, ध्यान में रखते हुए हमें यह कानून बनाना चाहिये । गवर्नमेन्ट ने जमीन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, काश्तकारों का हक उस पर नहीं समझ सकते । ऐसा प्रोवीज़न इसमें रखा है "The Rent will be payable to the Government" यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसको इसमें ओवर लुक किया गया है ।

कहा यह जाता है कि लेन्ड रेवेन्यू लेने का अधिकार गवर्नमेन्ट को अनादिकाल से है लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी जगह है । मैंने यह सुझाव दिया और गवर्नमेन्ट इस तरह का बिल लाती कि 'Rent will not be payable to the Government जमीन पर एग्रीकल्चर इनकमटेक्स लगाकर वसूल कर सकती थी ! तो मैं यह समझता यह लेन्ड रेवेन्यू बिल अच्छा बिल पेश हुआ है । लेकिन जिस सामन्तशाही और पुराने युग की हम बातें कहते हैं उसी युग की माफिक इस बिल में हमारी सरकार बातें रख रही है, जो बड़े खेद की बात है । जब कि जमीन गांव वालों की है तो इससे लाभ उठाना चाहिये, गांव वालों को; तो सरकार को रेन्ट लेकर लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं है । जब कि गांवों से मिलकर ही यह देश बना है तो जब हम गांवों की तरक्की के लिये कोशिश कर रहे हैं लेकिन, हम वास्तव में गांव वालों को सहायता देना नहीं चाहते । मुझे समझ में नहीं आता, फिर हम गांव की तरक्की कैसे कर सकेंगे ? मैंने यह सुझाव दिया था कि सरकार को चाहिये कि जो रेन्ट है वह गांव वालों के लिये छोड़ दिया जाय और सरकार अपना काम एग्रीकल्चरल इनकमटेक्स लगाकर चला सकती है । अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इस पर कतई ध्यान नहीं दिया । खैर जो कुछ हुआ सो हुआ । यह तो शासन परिवर्तनशील है यह तो परिवर्तन हुआ ही करते हैं, मुमकिन है शायद आगे आने वाला शासन इसमें अवश्य परिवर्तन करेगा ।

मैंने यह भी जिक्र किया था कि सेटलमेन्ट आधार जो माना गया है, दुबारा सेटलमेन्ट करने के लिये सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि १० फी सदी कम से कम बेसी रकम मिल जावे ताकि सेटलमेन्ट का जो खर्चा हो वह पूरा हो सके । यह एक बहुत ही आपत्तिजनक सिद्धान्त इस बिल के अन्दर रखा गया है । १० फीसदी सरकार को निकालने के लिये लगान बेसी है, उसी हालत में सेटलमेन्ट किया जा सकता है ऐसा प्रोवीज़न रखा है, यह कोई बात नहीं सरकार को इस तरह के सिद्धान्त रखना मुनासिब नहीं । काश्तकारों के ऊपर भार पड़ रहा है वैसे ही और अगर पांच, पचास सौ, डेढ़ सौ जहां बेसी रखा जावे रेन्ट; लेन्ड रेवेन्यू उसके ऊपर भार है हर सेटलमेन्ट में यह भार बढ़ता ही जा रहा है । मैं नहीं समझ पाता कि काश्तकार इस निरन्तर बढ़ते हुए कर के भार को किस तरह बर्दाश्त करता रह सकता है जब कि सरकार ही ऐसी नीति अपनाती है । रिसेटलमेन्ट जब किया जावे कम से कम सरकार को इस बात का इत्मिनान हो जावे कि रिसेटलमेन्ट करने में लगान अवश्य बेसी होगा ।

Page No.77

[राज श्री हिम्मतसिंह]

लेन्ड रेकर्डस की बाबत भी मैंने सुझाव दिये थे कि जो लेन्ड रेकर्ड्स रखे गये हैं वे बिल्कुल अपटूडेट नहीं हैं। इससे बेटर लेन्ड रेकर्ड्स रखने चाहिये ताकि हमको अपनी जमीन के एक एक बिस्वे का पता चल सकें, हर साल पता चले; लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है पुराने जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से जो जमींदारी सिस्टम के वक्त में जो सारी रियासतों में अपनाया जाता रहा है आज भी सरकार वही सिस्टम अपना रही है, इससे बेटर लेन्ड रेकर्ड रखना नहीं चाहती। इस बात पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं। लेन्ड रेकर्डस जो हमने इस बिल में प्रोवाइड किये हैं दर असल हम इससे ज्यादा अच्छे तरीके प्रयोग में ला सकते थे, वह इस लेन्ड रेवेन्यू बिल में नहीं रखे गये हैं।

एक बात अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ा डिफेक्ट मुझे इस बिल में मालूम हुआ है वह यह है कि जैसा कि विरोधी दल के नेता ने अभी अपने भाषण में बतलाया था।

जो अपना यह रेवेन्यू बोर्ड है वह रेवेन्यू बोर्ड स्वतन्त्र होना चाहिये। सरकार के आधीन रेवेन्यू बोर्ड को रखने का मतलब यह है कि लोग बागों को इन्साफ नहीं दे सकेंगे। रेवेन्यु बोर्ड के ऊपर अगर सरकार हस्तक्षेप करे तो रेवेन्यू बोर्ड का फन्क्शन करीब करीब समाप्त हो जाता है। इसलिये रेवेन्यू बोर्ड बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट, जैसी कि जुडीशियरी है, उस तरह का इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक काश्तकारों को न्याय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सरकार किन्हीं कारणों से हस्तक्षेप करने की कोशिश इसके अन्दर करेगी। तो मेरा मतलब यह है कि इस तरह का डिफेक्टिव बिल इस तरह से जल्दबाजी में पास कर देना ठीक नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको वापिस लेने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब प्रस्ताव रखेंगे ताकि दूसरा अच्छा विचार करके और पहले से अच्छा बिल हम पास करें जिससे कि हमारी विधान सभा की महिमा बढ़े और राजस्थान की महिमा बढ़े। और दूसरों की नकल कर देने से एक बिल रख देने से तारीफ नहीं होती है। वे समझते हैं कि दूसरों से लोग बागों ने ले लिया है। उसकी नकल करके यहां जारी कर दिया है, इससे हमारी बुद्धिमत्ता के ऊपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, लेन्ड रेवेन्यू बिल के बारे में माननीय राजस्व मंत्री का जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसकी वजह यह है कि लेन्ड रेवेन्यू बिल जैसा कि इस सदन के सामने आया है उसके अन्दर कई खामियां हैं, और उनका मैं सैद्धान्तिक तौर पर विरोध करता हूं।

सबसे पहले मुझे इस बात से विरोध है कि इसके अन्दर रेवेन्यू बोर्ड को जो स्वरूप दिया गया है उसे मैं अच्छा नहीं समझता। न्याय की दृष्टि से रेवेन्यू बोर्ड को एक स्वतन्त्र Body बनाना चाहिए, और इस बिल के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड को इस तरह का आकार दिया गया है जिससे कि सरकार का प्रभाव हमेशा रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर रहेगा, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं

[श्री अवनीकुमार मुकर्जी]

कि रेवेन्यू बोर्ड का यदि यही स्वरूप रहा तो कभी भी सच्चे मायने में न्याय रेवेन्यू बोर्ड से नहीं मिल पायेगा। इसलिए न्याय की दृष्टि से चाहिए था कि रेवेन्यू बोर्ड को इन्डिपेन्डेंट बोडी बनाते और न्याय संगत अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को देते। रेवेन्यू बोर्ड के लिए जब इस सदन के अन्दर बहस हो रही थी तो माननीय मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि रेवेन्यू बोर्ड की Administrative duties भी हैं इसलिए रेवेन्यू बोर्ड को सरकार के संरक्षण में रखना पड़ता है। मैं उनकी दलील को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे हाई कोर्ट को भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हाई कोर्ट इन्डिपेन्डेंट नहीं हो। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड को भी पूरे अधिकार देने चाहिए थे। सच्ची बात तो यह है कि सरकार की मन्शा नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड को पूरे अधिकार दिये जायं और रेवेन्यू बोर्ड सही रूप से काम करे। आज रेवेन्यू बोर्ड में जिस तरह से काम चल रहा है उसको मैं तो संतोषप्रद नहीं कह सकता। वहां के किसी मेम्बर को इस बात का पता नहीं है कि कितने दिन वह रेवेन्यू बोर्ड का member रहेगा। आज रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के तौर पर काम कर रहा है तो कल कमिश्नर हो सकता है, बाद में कलेक्टर हो सकता है। Security के नाम को कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसी हालत में आप कैसे आशा करते हैं कि इस ढंग से जो रेवेन्यू बोर्ड बना हुआ है वह लोगों को न्याय दे सकेगा। मैं राजस्व मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस बारे में वह जरा सोचें। जब सदन के सामने इस मामले पर बहस हो रही थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले पर अच्छी तरह से सोच-विचार करेंगे और इस क्लॉज़ को रिड्राफ्ट करके सदन के सामने रखेंगे।....

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मैंने कभी नहीं कहा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—आपने कहा था सोच विचार करेंगे। सोच विचार करने का कुछ नतीजा नहीं निकला और जैसी क्लॉज़ पहले थी वैसी की वैसी सदन के सामने फिर रख दी गई। इसलिए मैं अपील करूंगा कि बिल के अन्दर और रद्दोबदल नहीं करना चाहते तो रेवेन्यू बोर्ड का जो चेप्टर है उसके अन्दर रेवेन्यू बोर्ड को एक स्वतन्त्र बोडी बनाने के लिए रद्दोबदल कर दें, यह उनको मन्जूर कर लेना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह सेटिलमेंट के विषय में है, इस बिल के अन्दर जैसा कि अब है रेन्ट रेट को approve करने की फाइनल authority गवर्नमेंट को दी गई है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझता हूं। जैसा कि इस बिल के अन्दर है गवर्नमेंट की पोज़ीशन लैंड लॉर्ड के माफिक है और गवर्नमेंट ही आयन्दा टेनेन्ट्स से रेन्ट वसूल करेगी। अगर उनके बीच किसी तरह का झगड़ा खड़ा होता है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर निर्णय देने के लिए एक स्वतन्त्र बोडी होनी चाहिए। इस बिल के अन्दर ऐसी बात नहीं है। रेन्ट रेट्स के आखरी तौर पर निर्णय करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो झगड़े खड़े होंगे उनका ठीक तरह से निबटारा नहीं हो पायेगा, लोगों को जो न्याय मिलना चाहिये वह

[श्री अवनीकुमार मुकर्जी]

नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सोच विचार कर यह अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को दे दें तो अच्छा हो।

दूसरी बात यह है कि सेटिलमेंट के लिए जो प्रणाली इस बिल के अन्दर अपनाई गई है वह प्रणाली एक दकियानूसी प्रणाली है। उसके अन्दर इस तरह का रद्दोबदल किया जाता है तो मैं समझता हूं कि प्रान्त के हक में और किसानों के हक में अच्छा होता। अभी हमारे एक मित्र ने आज भाषण करते हुए कहा कि रेन्ट रेट स्लाइडिंग स्केल पर होना चाहिए। अनाज के भाव के अन्दर जिस तरह की घटोतरी या बढ़ोतरी होती रहती है उसी तरह से rent rate में भी होती रहे, यह उसूल अगर आप मान लें तो किसानों के ऊपर जो बोझ है वह काफी हद तक हलका हो सकता है। अनाज के भाव बढ़ जाते हैं तो ज्यादा लगान दे देंगे, अनाज का भाव कम हो जाता है तो कम लगान दे देंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि जब टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने थी तब उसके अन्दर जो जो अच्छे सुझाव हैं उनके ऊपर सरकार ने सोच-विचार क्यों नहीं किया। Report का अध्ययन करके उसके अन्दर जो सुझाव दिये गये हैं उनका मनन करके उनको इस बिल के अन्दर Incorporate करने की कोशिश की जाती तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने एमेन्डमेंट क्यों नहीं पेश किये।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैंने एमेंडमेंट पेश नहीं किये, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री जसवन्तसिंह—आप (श्री राजस्व मंत्री) एमेन्डमेंट स्वीकार कर लेते तो जरूर दे देते।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि इस बिल के अन्दर जो Procedural बातें हैं उनसे मुझे असन्तोष है। हमें तो वह चाहिए कि न्याय जल्दी मिलना चाहिए और सस्ता मिले, पर इस बिल के अन्दर जो तरीका अपनाया गया उससे न्याय जल्दी नहीं मिल सकता है और न सस्ता ही। बहतर तो यह होता कि एक सरल Procedure बनाते जिससे कि न्याय सीधे तरीके से किसानों को मिल जाता, पर कोई ऐसा तरीका अपनाया नहीं गया। पुराना दकियानूसी जो तरीका है वह अपनाया गया है। मैं यह कहूँगा कि और प्रान्तों के जो पुराने लेन्ड रेवेन्यू एक्ट्स हैं यह नया एक्ट करीब करीब उनकी नकल है, पर नकल के अन्दर भी अकल की जरूरत पड़ती है लेकिन अक्ल काम में नहीं ली गई है। (हियर, हियर) मुझे इस बात का अफसोस है। और सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता और इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण कर रहा हूँ।

श्री मानसिंह भद्दार—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल की आखरी रीडिंग पर जब कि यह एक्ट के रूप में परिणत होने जा रहा है तब मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मेरी राय

[श्री मानसिंह महार]

के अन्दर यह एक ऐसा दकियानूसी कानून है कि इसको कभी भी एक्ट नहीं बनाना चाहिए। (हियर, हियर) अगर यह सदन इसको बनायेगा तो मैं यह कहूंगा कि राजस्थान के किसानों के हक हकूकों का सत्यानाश होगा (हंसी) मेरी राय के अन्दर इस कानून के अन्दर वही अंग्रेजी साम्राज्यवादी और पुरानी राजाशाही की बू है ।

मेरी राय में इस कानून के अन्दर वही पुरानी अंग्रेजी सामाज्यवादी और पुरानी राजाशाही की बू है जिसको कि इस कानून को बना कर हम मिटाना चाहते हैं। हम यह चाहते थे कि किसानों को सीधा-सादा न्याय मिले। किसान को उसके राजस्व रूपी झगड़े में ज्यादा दिक्कत न उठानी पड़े, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि किसान को आज तक जो मंजिल तय करनी पड़ती थी उससे मेरे ख्याल से इस कानून के बनने के बाद ज्यादा नहीं तो एक भी मंजिल कम नहीं होगी, किसान को आज तक जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उतनी की उतनी दिक्कतें आज भी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा वरना मिसालें देकर बताता कि आज के युग में जमीनों के झगड़े में खास कर दो-दो, तीन-तीन बीघा जमीन के झगड़े में १०-१०,१५-१५ वर्ष बीत जाते हैं और रेवेन्यू बोर्ड तक पहुँचते पहुँचते वे लोग बर्बाद हो जाते हैं और उनका फैसला नहीं होता और उन झगड़ों में माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहूँगा कि उस गरीब किसान को उस भूमि की कीमत से २० गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इस कानून को बनाते वख्त इस बुनियादी चीज को सोच कर चलना चाहिये था कि किसान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए किस प्रकार जल्दी से जल्दी न्याय प्रदान करें, परन्तु हमने इस बात को नहीं देखा। हमने इस कानून के अन्दर कुछ अमेंडमेंट रखे और कुछ बातों के जरिये से चाहा था कि लाल फीतेशाही कम हो और कमिश्नरों की बात की तो माननीय मंत्रीजी अपनी जगह से हिले नहीं। अगर वहां पर भी थोड़े से अपनी जगह से मुकर जाते तो हम मान सकते थे कि वे वाकई में राहत पहुँचाना चाहते हैं; पर उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर भी दुर्भाग्य की बात होती है, यह ऐसे मंत्रियों के जमाने में होती है जिन्होंने हमेशा किसानों के लिये लड़ाई की, जिनको शुरू से मालूम है कि किसान की क्या क्या दिक्कतें हैं और वे तो खुद वकील रह चुके हैं और उनको तो मालूम है कि किस प्रकार किसानों के मुकदमों को रोक दिया जाता है और उनका समय व्यर्थ ही नष्ट किया जाता है।

तो जो कानून हम बनाने जा रहे हैं वह उतना न्यायोचित नहीं है जितना कि होना चाहिये था, इसलिये मेरी राय में यह तीसरा वाचन होते समय भी मैं सदन से अपील करूंगा और खास कर मंत्रीजी से अपील करूंगा कि जैसा कि उन्होंने उस रोज कहा था और उनके मित्रों ने भी उस रोज कहा था कि कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों पर विचार कर के दुरूस्त करना चाहते हैं, वैसे ही वे आज फिर कह दें कि इसमें कुछ बुनियादी त्रुटियां रह गई हैं जिनको दूर किये बिना काश्तकारों को फायदा नहीं होने वाला है; यह सोच कर चलेंगे और मानेंगे कि हम काश्तकारों को फायदा पहुंचा सकते हैं और यह फायदा किसानों को पहुंचायेंगे तो राजस्थान के बहुत बड़े तबके को फायदा पहुंचा देंगे ।

[श्री मानसिंह महार]

माननीय उपाध्यक्ष, में सदन को आपके जरिये निवेदन करूंगा और जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि वे माननीय राजस्व मंत्रीजी को दबायें कि इस प्रकार की बडी भगदड़ और जल्दबाजी से इस कानून को पास किया जा रहा है उसको कुछ दिनों के लिये रोक दीजिये और इस बात को रखा जाय कि किसी तरह किसानों की राहत पहुंचती है उस पर गौर किया जायगा तो में समझता हूं कि राजस्थान का बहुत भला किया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल की थर्ड रीडिंग पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार बताये। खास बातें माननीय विरोधी दल के नेता ने, जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर एतराज किया, उनके बारे में मैं पहले कहूँगा। पहला एत-राज पुरजोर शब्दों में सिद्धान्त के ऊपर और सेटलमेंट के लिये लॉ बनाया है उस पर किया और यह बताया कि राजनैतिक कारण बहुत से ऐसे होते हैं, और कई राजनैतिक दबाव भी होते हैं जिनके कारण ये अधिकार राजस्थान सरकार के पास नहीं रहने चाहियें। सेटलमेंट में कई टेक्निकल दिक्कतें हैं इसलिये रेवेन्यु बोर्ड में ये अधिकार रहने चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, में बहुत अदब के साथ उनसे डिफर करता हूँ, खास कर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में उनके ध्यान में बातें आई कि इन अधिकारों का लगान की दर लगाने के लिये उपयोग किया गया। मैं बताऊं कि इन अधिकारों का उपयोग किया गया है और वह माननीय विरोधी दल के नेता को बुरा लगा होगा; इन अधिकारों का प्रयोग किया गया है वह इस लिये किया गया है कि वहां जागीरी इलाकों में बहुत ज्यादा लगान लगा दिया गया था, किसानों पर सो काल्ड टेक्निकल हैंड्स ने लगाया था। वह लगान जो लगाया गया उसे विरोधी दल के नेता देखेंगे तो मानेंगे कि वास्तव में वह ज्यादा था।...

श्री गोपीलाल यादव—बहुत इलाकों में बहुत ज्यादा लगा हुआ है।

राज श्री हिम्मतसिंह—जिन्होंने गलती की है, ऐसा ज्यादा लगान लगाया है, उनको डिसमिस कीजिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एट लीस्ट सस्पेण्ड (At least suspend) तो कीजिए ही

श्री दामोदरलाल व्यास—तो जो यह कहा गया कि वह टेक्निकल काम ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिये। सरकार के पास पहले कानून में ये अधिकार हैं, वे इसलिये हैं कि सरकार इन अधिकारों का उस जगह उपयोग करे कि जहां किसानों पर ज्यादा लगान हो। ज्यादा लगान हो उसको कम करने के लिये सरकार इन अधिकारों का उपयोग करे। आज तक के जितने उदा-हरण दिये और उन्होंने जो भाषण में कहा माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि आज तक एक

Page No.82

[श्री दामोदरलाल व्यास]

भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया जा सकता कि इन अधिकारों का उपयोग लगान बढ़ाने में किया गया हो या उचित तरीके से इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया गया हो।

मैं बता दूं कि जितने अधिकारों का उपयोग किया गया है, लगान कम करने के लिये किया गया है और उन्हीं इलाकों में किया गया है जो जागीरदारी में हैं या पहले जागीरदारी में थे और जहां वास्तव में महसूस किया गया कि लगान बहुत ज्यादा है। इसके लिये हमारे विरोधी दल के नेता को बुरा लगना चाहिये, उनकी नाराजगी की वजह मैं माकूल समझता हूँ।

सेटलमेंट का जो कानून बना हैं उसकी कोई खास खामी नहीं बताई। हमने यह क्राइ-टेरिया बना दिया है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेंट रेट्स डिटरमिन की जायंगी। जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें यह प्रोविजन रख दिया गया है कि पिछले २० साल के आंकड़ों को ध्यान में रखा जायगा और इसको समेरी सेटलमेंट के समय ध्यान में नहीं रखें, ऐसी बात नहीं। समेरी सेटलमेंट को हम आम तौर से इस्तेमाल नहीं करना चाहते, रेगुलर सेटलमेंट में दोष हों तो समेरी सेटलमेंट करके किसानों को राहत देना चाहते हैं। यहां लैंड रेवेन्यु बिल बनाने जा रहे हैं तो यह प्रोमिनेन्ट लॉ होगा तो ऐसी सूरत में पिछले २० सालों की आमदनी को ध्यान में रखना चाहिये, रेंट रेट्स डिटरमिन करने में। वहां हमने गार्डेड क्लाज़ रखा है कि १।६ हिस्से का रेंट रेट्स मुकर्रर करने में ध्यान रखा जायगा। तो इससे कोई खतरा नहीं होता, गार्डेड क्लाज़ से साफ है कि चाहे कुछ भी आमदनी हुई हो १।६ हिस्से से बेसी लगान किसी किसान पर नहीं लगेगा। तो। यह कहना कि समेरी सेटलमेंट में जिस चिज को दर्ज नहीं किया उसे यहां रखा है, यह उचित नहीं है वह रखना उचित था। इसके साथ हमने इस बात को भी ध्यान में रखा है, २० साल की मयाद इसलिये मुकर्रर की है कि इसमें एब्नोर्मल, नोर्मल सभी साल आ जाते हैं। १० साल में एब्नोर्मल ज्यादा निकल गये तो लगान की रेंट ज्यादा पड़ती थी, इसलिये सिलेक्ट कमेटी में सभी मेम्बरों ने और सदन में सभी सदस्यों ने विचार करके २० साल इसलिये रखे हैं कि सभी आ जायेंगे, एब्नोर्मल भी और नोर्मल भी।

रेंट रेट्स डिटर्मिन करने का जो सिद्धान्त बनाया है उससे किसानों को बहुत लाभ पहुँचने वाला है और लगान जो होगा वह इस तरह का होगा कि एक्सेस नहीं होगा जैसी कि शिकायत आज आम तौर से सुनी जा रही है कि लगान ज्यादा है।

दूसरी बात इस कानून में हमने यह प्रोवाइड की है कि अगर कहीं प्राइसेज बहुत ज्यादा फाल डाउन हो जावे या इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जावे कि रेन्ट एक्सेसिव है तो सरकार को यह पॉवर है कि इसको कम किया जा सकता है। अब रही बात किसानों के लिये रेन्ट रेट कायम करने की। अगर वह रेट एक्सेसिव हो जावे तो सरकार उसको कम कर सकती है। मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने जो सेटलमेंट के बारे में अर्ज किया है और उसके लिये जो कारण

[श्री दामोदरलाल व्यास]

बताये हैं उन कारणों का तो मैंने स्पष्टिकरण कर दिया है और जहां तक वे विरोधी दल के नेता हैं इसलिये उनको एतराज होना स्वाभाविक है। मगर यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है। हम भी किसानों के हित की बात सोचते हैं। सेटलमेंट के प्रोविजन के बारे में कहा जो सबके हितों के लिये है।

दूसरी बात सदन में जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई और जो सदन में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना वह है रेवेन्यू बोर्ड की बात। जब इस पर चर्चा हुई और विरोध में अपने अपने विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये तो मैंने कहा कि जहां तक रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों का ताल्लुक है वे अपने काम करने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हैं। उन पर किसी प्रकार का दखल किसी भी सरकार की तरफ से न दिया जाता है और न दिया जावेगा और मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्यों को इस प्रकार की भावना इस प्रकार के आश्वासन के बाद अपने दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिये अगर किसी के दिल में हो। अब रहा प्रश्न उनकी तकरूरी या तबदिली या पनिशमेन्ट का कि यह पॉवर भी सरकार के हाथ में क्यों रहे? इसके लिये मैंने यह उस दिन भी अर्ज किया था कि आई. ए. एस. के केडर के होते हैं और उनके लिये सर्विसेज़ रूल्स इस सम्बन्ध में बने हुए हैं और उन रूल्स के मातहत ही उनको कोई डिग्रेड या प्रोमोट कर सकते हैं। इसलिये किसी व्यक्ति के दिमाग में इस बात का रहना कि उनका वहां पर रहना और न रहना सरकार की महरबानी पर मुनस्सर है बिलकुल गैर वाजिब है। अब रहा ट्रान्सफरों का प्रश्न। इसके लिये मैं यह कहूँगा कि ट्रान्सफर इस शिकायत से नहीं किये जाते हैं कि उनका कुछ अहित हो। ट्रान्सफर जब कभी करने आवश्यक होते हैं तभी किये जाते हैं।

जहां तक रेवेन्यू बोर्ड के चेअरमेन और सदस्यों की योग्यता का संबन्ध हैं हम वहां पर योग्य से योग्य व्यक्तियों को वहां पर रखने की कोशिश करते हैं और हम यह चाहते हैं कि वहां का स्टेन्डर्ड ओफ जजमेंट बहुत अच्छा रहे। अब रही यह बात कि रोजमर्रा जब वे मुकदमें तय करते हैं तो रोजमर्रा मंत्रियों का दखल होता है, तो क्या मंत्रियों को उनके मुकदमों में दखल देने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं हो। जहां तक उनका केस वर्क से संबन्ध है मैं यह कहूंगा कि वे इस मामले में जजमेंट देने के लिये बिल्कुल इन्डीपेन्डेन्ट हैं। जुडिशियरी से गवर्नमेंट को कोई संबन्ध नहीं है। जहां तक प्राइवेट राइट्स हैं, रेवेन्यू बोर्ड सुप्रीम कोर्ट है। फिर मैं नहीं समझता कि सदस्यों को फिर किस बात की शंका हो रही है। हो सकता है कि माननीय विरोधी दल के नेता के दिमाग में पहले वाली बातें हैं और उसी के आधार पर कहा जा रहा हो...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य जेसलमेर चले जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपके जमाने में गये होंगे।

दूसरी बात क्रोप कटिंग के बारे में कही गई। इसके लिये हर मुमकिन तरीके इस्तैमाल किये जाते हैं। अब रही प्रोसीजर की बात यह तो एक ऐसी बात है जिसको मान लेना

[श्री दामोदरलाल व्यास]

चाहिये। बहुत से सदस्यों ने कहा कि बहुत सीढ़ियें पार करनी पड़ती हैं और बहुत सी इधर उधर की बातें कही गईं इसके लिये यह कहूंगा कि जहां तक रेवेन्यू बोर्ड के प्रोसीजर का संबन्ध है किसी भी सदस्य ने इसके अलावा दूसरा प्रोसीजर नहीं बताया।

श्री मानसिंह महार—कमिश्नर का......

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं उस पर भी आता हूं। खास कर यहां पर श्री मुक्तिलालजी का भाषण बहुत दिलचस्प हुआ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आपने मालपुरा में किया था वह मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भूला नही हूँ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—रूस के कानून का जिक्र नहीं किया।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था कि कई सदस्यों ने कमिश्नर के नहीं रहने का सुझाव दिया था और मैंने उसमें कहा था कि as senior administrative officers रहना जरूरी हैं। क्योंकि डिफ्रेन्ट युनट्स से लोग आए हुए हैं इसलिये कुछ अर्से तक इनका रहना जरूरी है। औॅर्डिनरीली मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अर्से के लिये इनको रखना जरूरी है। मैंने यह कहीं पर भी नहीं कहा कि आज को स्थिति में उनका रहना आवश्यक है। मैंने यही कहा है कि फोर सम टाइम (for some time) और फिर यह सोचना कि कमिश्नर की बात जो कही गई वह मानी नहीं गई, यह ठीक नहीं। मैंने मानी है और कुछ अर्से बाद जब हम यह समझने लगेंगे कि आफिसर ठीक हैं और उन पर सुपरवीजन की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा था।

दूसरी बात यह कही जाती है कि बहुत सी गल्तियें रह गई हैं। वे बहुत सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं उनके लिये किसी प्रकार का एमेन्डमेंट लाने की जरूरत नहीं। जैसे २६२ की जगह २६५ छप गया है वे अपने आप ठीक हो जावेंगी। और कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल कोन्सीक्वेन्शयल हैं और अपने आप ठीक हो सकती हैं। हमारे जोधपुर से आने वाले माननीय ने समेरी सेटलमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा है। जहां तक इस कानून का प्रश्न है न्याय के लिये हमने खास तौर से यह प्रोविजन रखा है कि सिंगल जज के फैसले से नाराज होकर कोई डिविजन ब्रांच में उसकी रिविज़न कर सकता है, इसलिये कि उनको न्याय मिले। इसीलिये यह प्रोविजन रखा गया है।

तो किसानों के लिए यह कहना कि यह बहुत दकियानूसी कानून है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। कानून को शुरू से आखीर तक देखें तो मालूम होगा कि किसानों को सेफगार्ड किया है। जितनी फैसीलिटीज़ दी जानी चाहिए थी उनको देने के लिए हमने प्रोविज़न किया है। टरें के लिए, मकान के लिए, बाड़े के लिए, जो उनको चाहिए, दी जाने की कोशिश की है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तो मैं नहीं समझ सका कि माननीय विरोधी दल के नेता का क्या विरोध हो सकता है सिवाय इसके कि वे विरोधी दल के नेता हैं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जैसे कि इस सेकिंड रीडिंग में इसको पास किया है उसी तरह से इसको पास किया जाय।

श्री राज हिम्मतसिंह—फर्ज अदा करते हैं; सोच समझ कर करते हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल, १९५४ को पारित किया जाय।

(मत दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री दामोदर लाल व्यास—Ayes have it, Sir.

श्री गोपालाल यादव—Ayes have it, Sir

(विराम)

श्री दामोदर लाल व्यास—क्या कर रहे हैं कुंवर साहब, यह तो पास हो रहा है।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल, १९५४ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता। विधेयक पारित हुआ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—अच्छा साहब, आप जीते!

श्री उपाध्यक्ष—बिल पारित किया गया।

(करतलध्वनि)

सदन की कार्यवाही कल ८ ।। ।.४५ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ७ बज कर ५३ मिनट पर,कल,दिनांक २० दिसम्बर १६५५ के ८ ।।। बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१६ दिसम्बर, १६५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

२२३ (१६१ सी. एम.) श्री शिवदानसिंह, एम. एल.ए., डिविजन नं. १४०—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री नाथद्वारा तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई कार्य किया गया है ?

(ख) अगर हां, तो कहां २ और उनमें कितना २ खर्च हुआ और नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्री नाथद्वारा तहसील में कोई नई योजना का कार्य चालू करने का सरकार का विचार है ?

(घ) अगर हां, तो क्या २ कार्य चालू होने वाला है ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

क—हां

ख—जिन स्थानों पर कार्य किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

कार्यों पर किये गये खर्चे का विवरण निम्न प्रकार है ।

१—लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के अन्तर्गत	२३,००० रुपया
२—रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत	१८,५६६ रु०
३—सिंचाई विभाग के द्वारा :—	
अ. लघु सिंचाई	४४,५७०
ब. बड़ सिंचाई कार्य	५५,१५६५ कुल ५६६१३५

४—सड़क विभाग के द्वारा २,६३,००० रु०

ग—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत धन-राशि का जिलेवार बंटवारा अभी नहीं किया गया है।

घ—प्रश्न नहीं उठता।

ङ—प्रश्न नहीं उठता।

सूची

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नाथद्वारा तहसील में कार्य किये गये स्थानों की सूची :

लोकल डेवलपमेंट वर्क्स स्कीम के अन्तर्गत

१—त्रिजनोल टेन्क	१०,००० रुपये
२—मिडिल स्कूल खमनोर की दुरुस्ती	२,५००
३—वाटी सेसागट फेयर वेदररोड	१,०००
४—गांगोडा रोड़	६,५००
५—सीसोदा स्कूल	१,०००
६—कोटारिया स्कूल इमारत	२,०००

ग्रामीण जल कष्ट निवारण योजना के अन्तर्गत

१—उथनोल	२६६६
२—नेगड़ीया	१५००
३—डिगेला	२०००
४—पावटी	२०००
५—जोशियों की मादड़ी	२०००
६—कूठवा	२०००
७—धइला	८००
८—बागोल	२०००
९—मोसिन्गा	१०००

१०—कडिया मोरियों की		१४००
११—नेगडिया		१२००

सिंचाई विभाग द्वारा

१—अ. लघु सिंचाई कार्य	१—गांव गुडा	१३,४४६
	२—गोडच	१०,६६२
	३—सलोदा	२०,१६६
ब. बड़ी सिंचाई योजना	१—नमाना केनाल एवं मादड़ी बांध	५,५१,५६५

सड़क विभाग

१—नाथद्वारा स्टेशन से नाथद्वारा शहर की सड़क पर डामर किया जाना	३१,३५६
२—नाथद्वारा पर बाई पास बनाना	२,४०,४८४
३—हल्दीघाटी सड़क इस्वाल सड़क का एक मील का कार्य पूरा करना	२१,२००

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २१६ का उत्तर देखिये)

भीलवाड़ा सेपुर गंगापुर पोटला कांकरोली की भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की सड़क अनुमानित लागत रु० ३,६१,७०० एग्रीमेंट के अनुसार

क्रम	सेक्शन	मील कहां से कहां	मील क.	ठेकेदार का नाम	टेन्डर के हिसाब से लागत	दिनांक प्रारम्भ	दिनांक समाप्ति	समय में वृद्धि दी गई	कार्य की स्थिति	
१	१	यह उदयपुर डिस्ट्रक्ट में है और इस प्रश्न के सम्बन्धित सड़क में सम्मिलित नहीं है।								
२	२	२२ — २७	३ — १	श्री श्रीरामत्रीजावर्गी	५६८१६	६-३-५३	८-१०-५३	नहीं	आधी मील में कुटाई बाकी	पैनल्टी जुर्माना किया जायगा।
३	३	२७ — ३२	५ — ०	श्री जयसिंह	७४७५५	१०-३-५३	२५-१-५४	...	डेढ़ मील में कुटाई बाकी	ठेकेदार के खर्चे पर दूसरे साधन से कार्य समाप्त किया जा रहा है
४	४	३२ — ३६	४	श्री अर्जनदेव ब्रदर्स	६८२७८	१४-४-५३	१४-१-५४	...	कुटाई हो चुकी है।	
५	५	४६।४— ५३	३ — ४	श्री अर्जनदेव ब्रदर्स	६१६०१	१४-४-५३	१४-१२-५३	...	कार्य समाप्त हो चुका।	
६	६	५४,५५ और ५६ का हिस्सा	२ — ५	ओम् कार्यालय	४८७४३	२३-२-५३	१०-६-५३	....	कार्य समाप्त हो चुका।	

नोट---भीलवाड़ा कांकरोली की तरफ से इस सड़क पर मील संख्या ५६ पर है।

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१. (८५सी.एम.) श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री एम. एल. ए. (५६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. जयपुर जिला में कितनी ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्हें कि सरकार की ओर से ग्रान्ट इन एड मिलती है ? उनके नाम क्या २ हैं तथा वे कहां २ हैं ?

ख. उपरोक्त संस्थाओं की एग्ज़ीक्यूटिव कमेटीज़ में या ट्रस्टीज़ में शिड्यूल्ड कास्ट्स से भी कोई प्रतिनिधि लिया गया है ? यदि लिया गया है तो किस २ शिक्षण संस्था में और किस २ में नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

ग. सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली उन शिक्षण संस्थाओं में कितने मास्टर अथवा चपरासी शिड्यूल्ड कास्ट्स के रखे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

घ. किस २ शिक्षण संस्था में कितने २ हरिजन बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं ?

ङ. जिन २ शिक्षण संस्थाओं ने अब तक न अभी प्रबन्धकारिणी समिति में, मास्टरों एवं चपरासियों में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया हो उनके प्रति सरकार का क्या रुख रहेगा ? क्या हरिजनों की उपेक्षा करने वाली उन शिक्षण संस्थाओं को बदस्तूर ग्रान्ट इन एड दी जाती रहेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) सूची संलग्न है।

(ख), (ग) व (घ) इनके उत्तर के लिये नोटिस की आवश्यकता है। यह सूचना संस्थाओं से मांगी गई है। प्राप्त होने पर हाउस की टेबल पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(ङ) ग्रान्ट इन रूल्स के अनुसार इन संस्थाओं पर अपनी प्रबन्ध कारीणि समिति में हरिजन प्रतिनिधि मास्टरों एवं चपरासियों को लेना या न लेने पर ऐसी कोई पाबन्दी अंकित नहीं है। परन्तु सरकारी आज्ञानुसार किसी भी जाति के छात्र को एडमिशन करने में एवं चपरासी की नियुक्ति में कोई रोक नहीं लगा सकते। यदि कोई संस्था हरिजन छात्रों के प्रवेश पर तथा चपरासियों की नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक लगाती है, तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है।

जयपुर जिले में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की सूची।

१. एस. के. एन. एग्रीकल्चर कालेज, जोबनेर.

२. वनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली.

३ .एस. एस. जी पारीख कालेज, जयपुर.
४. अग्रवाल इन्टर कालेज जयपुर.
५. एस. एस. जैन, सुबोध इन्टर कालेज, जयपुर.
६. राजस्थान आर्य वैदिक टीचा कालेज, जयपुर.
७. दिगम्बर जैन, संस्कृत कालेज, जयपुर.
८. श्री दादू महा विद्यालय, जयपुर.
९. पी. आर. सहारिया हाई स्कूल, कालाडेरा.
१०. खन्डेलवाल हाई स्कूल, जयपुर.
११. भवानी निकेतन हाई स्कूल, जयपुर.
१२. मूसलिम हाई स्कूल, जयपुर.
१३. जैन श्वेताम्बर हाई स्कूल, जयपुर
१४. महावीर दिगम्बर जैन, हाई स्कूल, जयपुर
१५. स्कोटिस मिशन. हाई स्कूल, जयपुर.
१६. महेश्वरी हाई स्कूल, जययुर.
१७. सनातन धर्म हिन्दी विद्यापीठ, जयपुर.
१८. विजय सागर ब्रह्मचार्याश्रम तलावगन, जयपुर.
१९. सनातन संस्कृत धर्म विद्यालय, लाल सोट.
२०. गोविन्द संस्कृत विद्यालय, सामोद.
२१. श्रीधर संस्कृत पाठशाला, ब्रह्मपुरी.
२२. नरेन्द्र स्वर, संस्कृत विद्यालय, धोबल.
२३. गौड़विप्र विद्यालय, जयपुर.
२४. श्री लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय, चीतवाड़ी.
२५. भारतीय साहित्य विद्यालय, जयपुर.
२६. श्री सरस्वती संस्कृत विद्यालय, खोरी.
२७. दूलेश्वर संस्कृत विद्यालय, मनोहरपुर.
२८. हनैमत ब्रमचार्य पाठशाला, छोटा मेंहदीपुर.
२९. खंडल विपरा विद्यालय, जयपुर.
३०. हनूमत संस्कृत पाठशाला, सारंगपुरा.
३१. सनातन धर्म संस्कृत विद्यापीट. जयपुर.

३२. श्रीराम विद्यालय,ब्रानगंग ।

३३. मनोरंजक मिडिल स्कूल, जयपुर.

३४. सिन्धी पंचायत मिडिल स्कूल, जयपुर.

३५. धाधी मठी पाठशाला, जयपुर.

३६. यूनियन मिडिल स्कूल,जयपुर.

३७. श्वेताम्बर जैन तैरापन्थी स्कूल, जयपुर.

३८. उसमानिया स्कूल, जयपुर.

३६. जय हिन्द स्कूल सिन्धी, जयपुर.

४०. कायस्थ पाठशाला, जयपुर.

४१. हिन्दी ए.वी. मिडिल स्कूल, जयपुर.

४२. मूस्लिम लोवर मिडिल स्कूल, जयपुर.

४३. मूस्लिम गर्ल्स स्कूल, जयपुर.

४४. श्री कन्या सदाचार पाठशाला, जयपुर.

४५. सेंट एंजेलिस सोफिया स्कूल, जयपुर.

४६. स्कोटिश मिशन गर्ल्स स्कूल, जयपुर.

४७. महावीर दिगम्बर जैन विद्यालय, जयपुर.

४८. मिशन ब्रांच चटगेट स्कूल, जयपुर.

४६. मिशन स्कूल छिपामहला, जयपुर.

५०. कर्मवीर विद्यालय, जयपुर,

५१. गुरुनानक विद्यालय, जयपुर.

५२. गोपीनाथ चैत्यशाला, जयपुर.

५३. घनश्याम चैत्यशाला, जयपुर.

५४. शंकर साही चैत्यशाला, जयपुर.

५५. इन्फैन्ट मोलियन की मन्डी, जयपुर.

५६. जीवन विद्यालय, जयपुर.

५७. बन्सीधर पाठशाला, जयपुर.

५८. शिक्षा इनैमत विद्यालय, जयपुर.

५६. लाडूराम चैत्यशाला, जयपुर.

६०. मदनलाल चैत्यशाला, दूसा.

६१. कल्यान प० विद्यालय, दूसा.

६२. मूकताब, दूसा.

६३. भरून विद्यालय, जयपुर.

६४. बाल शिक्षक मन्दिर, जयपुर.

६५. महिला विद्यापीठ, जयपुर.

६६. बीर बालिका विद्यालय, जयपुर.

६७. पद्मावती सरस्वती पाठशाला, जयपुर.

६८. मिशन प्राइमरी गर्ल्स काली स्कूल, जयपुर.

६९. महारानी गायत्री देवी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, जयपुर.

प्रश्न

२. (४८।आर.एम.) श्री **सरदारसिंह**, एम. एल. ए. (१३७)–क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. १ जनवरी १९५५ के बाद राजस्थान में कितनी २ नई तहसीलें बनाई गईं और कितनी २ तहसीलों के हैडक्वार्टर्स स्थानान्तरित किये गये ?

ख. जिन तहसीलों के हैडक्वार्टर्स स्थानान्तरित किये गये उनके क्या २ नाम हैं और उनके पहले हैडक्वार्टर्स कहां २ थे ?

ग. उनके पहले जहां हैडक्वार्टर्स थे उनको प्रारम्भ में किन २ आधारों पर तहसील हैडक्वार्टर्स के उपयुक्त समझा गया था ?

घ. पहले तहसील हैडक्वार्टर्स के स्थान की जन-संख्या व स्थिति क्या है तथा अन्य क्या २ सुविधायें उपलब्ध थीं ?

ङ. नये परिवर्तित स्थानों की जन संख्या, स्थिति व अन्य क्या २ विशेषताएं हैं ?

च. किन २ तहसील की जनता ने तहसील हैडक्वार्टर्स स्थानान्तरित न करने के लिये आवेदन-पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये व कहां २ कितने २ दिनों तक हड़तालें रहीं व कहां २ आंदोलन किया गया ?

छ. सरकार ने किस आश्वासन से इन आंदोलनों को समाप्त किया ?

ज. कहां २ तहसील हैडक्वार्टर्स पुनः पूर्व स्थानों पर ही वापिस रख दिये गये और किन २ स्थानों का मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

३. (१३७सी.एम.) श्री शंभूसिंह, एम. एल. ए. (१३६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. भीलवाडा जिले की सहाड़ा और रायपुर तहसीलों में सन् १६५१ से १६५५ तक प्रत्येक वर्ष में किस २ गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गये व अभी कितने जारी हैं ?

ख. उपरोक्त तहसीलों में कौन २ से गांवों में स्कूल खुलवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत हुये तथा वहां कब तक स्कूल खोले जावेंगे ?

क. भीलवाड़ा जिले की सहाडा और रायपुर तहसीलों में सन् ५१ से ५५ तक प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले जाकर जारी हैं :

तहसील,	५१,५२	५२,५३	५३,५४	५४,५५
सहाड़ा	,,	,,	चीरखेड़ा	अरनियां
,,	,,	,,	कंगनी	अरसीपुर
,,	,,	,,	उलाली	भुनास
,,	,,	,,	शिवगढ़	गलुनी खेड़ा
रायपुर	,,	,,	पारा	खेमाना
,,	,,	,,	नोरियांपुरा	नारायणखेड़ा
,,	,,	,,	नान्दिया	नाथ दियास
,,	,,	,,	कोट	सरेवड़ी

ख. इस वर्ष उपरोक्त तहसीलों में से जिन जिन गांवों से स्कूल खुलवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत हुए व जहां पर स्कूल खोले गये उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

गांव जहां से स्कूल खुलवाने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

त० सहाडा		तहसील रायपुर.	
१.	डेलाना	१.	बगोलिया
२.	दौसर	२.	बागड़
३.	सतजियां	३.	खूटियां
४	निगारियों का खेड़ा	४	खरबड़माला

५. सालेरा
६. मनगरास
७. मकरियां

५. पनोती
६. मिटन
७. चरोट
८. गलिया वाड़ी
९. गागरस
१०. गलवा

जहां पर स्कूल खोले गये :

तहसील सहाडा
१. डेलाना
२. दोसर

तहसील, रायपुर.
१. बगोलिया
२. बागड़
३. खरबड़माला

ग. जन संख्या, तथा अन्य सुविधाओं की दृष्टि से प्राइमरी स्कूल खोलने की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए, तहसील सहाड़ा में २ स्कूल डेलाना व दोसर तथा तहसील रायपुर में ३ स्कूल बगोलियां, बागड़, व खरबड़माला में खुलने चाहिए थे, वो खोल दिये गये हैं।

शुद्धि–पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१२८७	१	चांदमल मेहता	श्री चांदमल मेहता
१२६०	२२	श्री शंभसिंह	श्री शंभूसिंह
१३१३	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान
१३१३	१८	स्वीकृत	स्वीकृति
१३४२	२८	बुनियां	दुनियां
१३४३	२८	Presumptiny Preof	Presumptive Proof
१३४४	१०	मोती	मोदी